प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

खण्ड-2

फरवरी 2019 एवं जुलाई 2019 सत्र
के
प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिसम्बर 2019 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-2

फरवरी 2019 एवं जुलाई 2019 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2019

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्रीमती मंजू गजभिये	--	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (उप सचिव)
	श्री एस.एन. गौर	--	अवर सचिव
	श्री एम.एल. मनवानी	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	शिष्टाचार अधिकारी
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार फरवरी 2019 एवं जुलाई 2019 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

भोपाल :
दिनांक : 10 दिसम्बर, 2019

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)		पृष्ठ संख्या (3)
1.	फरवरी, 2019 सत्र	--	--
2.	जुलाई, 2019 सत्र	--	--
3.	जुलाई, 2019 सत्र से संबंधित परिशिष्ट	--	--
4.	फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये शेष अपूर्ण उत्तरों की सूची	--	--
5.	जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये शेष अपूर्ण उत्तरों की सूची	--	--

फरवरी, 2019 सत्र

SC/ST/OBC के रिक्त पदों की पूर्ति
[सामान्य प्रशासन]

1. परि.अता.प्र.सं. 1 (क्र. 21) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले में शासन के किन-किन विभागों में बैकलॉग, SC/ST/OBC के कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की विभागवार/पदवार विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। इन रिक्त पदों पर कब तक भर्ती हो सकेगी। **(ख)** दमोह जिले में SC/ST/OBC के छात्रों के लिये क्या योजनायें संचालित हो रही हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रदेश सरकार इन छात्रों को क्या-क्या सुविधा दे रही हैं? पिछले 5 सालों में कितने छात्र योजनाओं का लाभ ले पाएं हैं? जानकारी योजनावार बताएं।

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** दमोह जिले में एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के कुल 4912 स्वीकृत पद हैं। उक्त कुल पदों में से एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के कुल 403 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की विभागवार/पदवार/विधान सभा क्षेत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। विशेष भर्ती अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा समस्त संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार** है।

शराब व आयोडिन मुक्त नमक के नुकसान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. अता.प्र.सं.6 (क्र. 73) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शराब और आयोडिन मुक्त नमक के मानव शरीर के कौन-कौन से नुकसान हैं एवं इनके कारण मानव को कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं या होती हैं? **(ख)** शराब के इतने नुकसान होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके सेवन और उत्पादन को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया है? **(ग)** शराब और आयोडिन मुक्त नमक में से कौन सा उत्पाद मानव शरीर के लिए हानिकारक है? **(घ)** क्या सरकार आयोडिन मुक्त नमक को भी शराब की तरह वैधानिक चेतावनी के साथ इसके उत्पादन/प्रयोग की अनुमति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ग) शराब और आयोडीन मुक्त नमक दोनों ही उत्पाद मानव शरीर के लिये हानिकारक हैं। **(घ)** आयोडीन मुक्त नमक के विक्रय के संबंध में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) विनियम, 2011 के नियम 2.3.12 में आयोडीन मुक्त नमक के संबंध में प्रावधानित किया गया है एवं सामान्य नमक का, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लैबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (21 और 42) में यथा विनिर्दिष्ट उचित लेबल घोषणा के अधीन आयोडिनीकरण, लौह प्रबलीकरण, पशु उपयोग, परिरक्षण, औषधि विनिर्माण और औद्यौगिक उपयोग के लिये विक्रय किया जा सकेगा या उसे विक्रय के लिये रखा जा सकेगा अथवा विक्रय के लिये भंडारित किया जा सकेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (क)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** शराब को प्रतिबंधित करना एक नीतिगत विषय है। वर्तमान में शराब को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है। **(ग)** शराब और आयोडीन मुक्त नमक दोनों ही उत्पाद शरीर के लिये हानिकारक है। **(घ)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आयोडीन मुक्त नमक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** पर अंकित दुष्परिणामों के दृष्टिगत इसे वैधानिक चेतावनी के साथ उत्पादन/प्रयोग किये जाने की अनुमति दिये जाने पर विभाग की कोई योजना नहीं है।

किसानों की आत्महत्या प्रकरण
[गृह]

3. परि.अता.प्र.सं. 34 (क्र. 184) श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया) : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर संभाग में गत 3 वर्षों में किसानों द्वारा कुल कितनी आत्महत्याएं की गई? जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक ग्वालियर संभाग में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या कितनी है? जिलेवार जानकारी दें। **(ग)** क्या आत्महत्या ग्रस्त किसान परिवारों को सरकार द्वारा कोई राहत राशि उपलब्ध कराई गई? यदि हाँ, तो कब व कितनी राहत राशि किसानों को प्रदान की गई? **(घ)** क्या सरकार आत्महत्या ग्रस्त किसान परिवारों को पूरी तरह ऋण मुक्त कराने तथा संपूर्ण पुनर्वास करने के लिये कोई नीति बना रही है? क्या शासन इन परिवारों को 5 लाख रूपये की राशि प्रदान करने की कोई नीति बनायेगा?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** राजस्व पुस्तक परिपत्र कंडिका-6(4) में आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों को राहत राशि प्रदाय का कोई प्रावधान नहीं है। **(घ)** वर्तमान में ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

धारा 420 के प्रकरण में पटवारियों एवं तहसीलदारों को आरोपी नहीं बनाये जाने विषयक

[गृह]

4. परि.अता.प्र.सं. 65 (क्र. 323) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या थाना सिटी कोतवाली सतना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 169/17 एवं थाना कोलगवां जिला सतना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 168/16 में सम्मिलित तहसीलदारों एवं पटवारियों जिन्होंने शासकीय भूमियों को कूट रचित दस्तावेजों से निजी भूमियों में बदला को प्रश्नतिथि तक आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है? **(ख)** तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र क्रमांक/न.पु.अ./सतना/3958/16, दिनांक 01/12/2016 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र लिखकर उक्त शासकीय आराजियों का नामांतरण किन-किन पटवारियों एवं तहसीलदारों द्वारा कराया गया है? उनकी सूची/नाम एवं वर्तमान पदस्थापना की जानकारी मांगी गयी थी? **(ग)** क्या एस.डी.एम. रघुराजनगर द्वारा दिनांक 16/02/2017 को नगर पुलिस अधीक्षक सतना को जानकारी भेजी जा चुकी है? साथ ही तहसीलदार रघुराजनगर ने 12/07/2016 को पत्र क्रमांक 193/आ.का./तह. रघु./2016 से थाना प्रभारी कोलगवां सतना को प्रथम नामांतरण करने वाले तहसील एवं पटवारी का उल्लेख किया है? **(घ)** क्या पुलिस अधीक्षक सतना ने पत्र क्र./पु.अ./सतना/रीडर/438/2016, दिनांक 23.07.2016 से उल्लेख किया है, कि सी.एस.पी. सतना को पत्र के बिन्दु क्रमांक 03 में तत्कालीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आरोपी बनाया जाना सुनिश्चित करें? यदि हाँ, तो प्रश्नतिथि तक उक्त हेराफेरी के प्रकरण में कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है? कौन अधिकारी दोषी हैं? नाम दें। उसके विरूद्ध राज्य शासन कब तक क्या कार्यवाही करेगा?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **]** **(क)** प्रश्नांश में वर्णित अपराध विवेचना से संबंधित होने से जानकारी दी जाना न्यायसंगत नहीं होगा। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र के द्वारा पुलिस अधीक्षक सतना ने ''अनुसंधान के दौरान यदि तत्कालीन राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर कार्यवाही करने के'' निर्देश दिये थे। प्रकरण में विवेचना जारी है। अतएव अभी शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मुख्यमंत्री द्वारा योजनाओं की घोषणा

[सामान्य प्रशासन]

5. अता.प्र.सं.46 (क्र. 399) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश में पिछले 05 सालों में मुख्यमंत्री द्वारा कुल कितनी योजनाओं की घोषणा की गई और कितनी योजनायें संचालित हैं?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास/खाद्य नागरिक आपूर्ति

एवं उपभोक्ता संरक्षण/राजस्व एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ विभाग से जानकारी प्राप्त होना शेष है।

खाद्य एवं पेय पदार्थ

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. अता.प्र.सं.49 (क्र. 413) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर संभाग के किन-किन जिलों में कब से पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब-कब, कहां-कहां से किन-किन खाद्य/पेय पदार्थों चैक्ड व डिब्बाबंद पदार्थों खाद्य तेल डेयरियों से दूध, दुग्ध उत्पादों, घी, मावा व पनीर व मिष्ठान के कितने-कितने नमूने जांच हेतु लिए हैं? इन्हें जांच हेतु कब भेजा? जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? जांच में कौन-कौन से नमूने नकली मिथ्या छाप दूषित व मिलावटी पाये गये हैं? पदस्थी दिनांक से जानकारी 2019 तक की माहवार व जिलावार पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांकित नमूनों के किन-किन प्रकरणों में किस-किस खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभियोजन की स्वीकृति कब किस सक्षम अधिकारी से ली है? किन-किन प्रकरणों में न्यायालय में चालान कब प्रस्तुत किया? किन-किन प्रकरणों में चालान समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं क्यों? अन्य किन-किन प्रकरणों में कब-कब किसने क्या-क्या कार्यवाही की है? किन-किन प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं क्यों? **(ग)** प्रश्नांकित किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब-कब कहां-कहां से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि का नकली मिलावटी, सिंथेटिक मावा, घी, पनीर, खाद्य तेल जब्त किया है एवं किसके आदेश से कब-कब किसने कितनी-कितनी मात्रा में नष्ट किया है? क्या शासन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लेने में भ्रष्टाचार व मिलावटकर्ताओं को संरक्षण देने की जांच कराकर उनपर कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(ग) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 से 7 अनुसार** है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। **] भाग (क)** से **(ग) की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

टैक्स के संबंध में

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

7. परि.अता.प्र.सं. 83 (क्र. 475) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी एवं सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत कुसमी, मझौली एवं देवसर के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 में प्रश्न दिनांक तक किन-किन पंजीकृत/अधिकृत सप्लायरों/वेण्डरों को किन-किन सामग्री आदि हेतु कितनी-कितनी शासकीय राशि भुगतान की गई? वर्षवार व जनपदवार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पंजीकृत सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा कितनी राशि का भुगतान प्राप्त किया? क्या उपरोक्त सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा सामग्री देने के स्थान पर मात्र बिल लगाकर

अनियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया गया है? प्राप्त राशि में से कितनी राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा की गई? क्या प्राप्त राशि से कम राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा कर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं? इसके लिये जवाबदेह कौन है? क्या संबंधित सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन योग्यता रखते हैं? उनकी जांच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या शासन/विभाग प्रश्नांश (क) से (ख) की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त वर्षों में सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा दी गई सामग्री एवं प्राप्त किये गये भुगतान की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराकर अनियमिततायें करने वाले दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर इन्द्रजीत कुमार) : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। क्रय की गई प्रमुख सामग्री सीमेंट, सरिया, रेत, गिट्टी और मुरम आदि हैं। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राप्त भुगतान का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। अनियमित रूप से भुगतान की कोई जानकारी अथवा प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। जानकारी एकत्रित की जा रही है। सप्लायरों/वेंडरों की निर्धारित मापदण्डों की योग्यता के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश (ख) के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। क्रय की गई प्रमुख सामग्री सीमेंट, सरिया, रेत, गिट्टी और मुरम आदि है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राप्त भुगतान का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। अनियमित रूप से भुगतान की कोई जानकारी अथवा प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। सप्लायरों/वेंडरों द्वारा प्राप्त राशि में से सेल-टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा कराई गई राशि की जानकारी वाणिज्यकर विभाग से अपेक्षित है, जिसमें समय लगने की संभावना है। इस संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टरों को आवश्यक समन्वय कर जानकारी देने हेतु लेख किया गया है, साथ ही आयुक्त वाणिज्यकर से भी जानकारी चाही गई है। सप्लायरो/वेंडरों की निर्धारित मापदण्डों की योग्यता के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश (ख) के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषकों की कर्ज माफी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

8. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 482) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सहकारिता विभाग में गुढ़ विधानसभा क्षेत्र की किन-किन पंचायतों में कितने कृषकों की कितनी कर्ज माफी हुई है? इसके आलावा अन्य बैंकों के पंचायतवार कृषकों की संख्या बताएं। **(ख)** क्या गुढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में जो सूची भेजी गई है, उसमें उन कृषको के भी नाम हैं, जिन्होंने कभी कर्ज लिया ही नही या जिन्होंने कर्ज अदायगी

कर दिया है? क्या इसकी जॉच कराई जा रही है? इसमें दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या ग्राम पंचायत महसांव जनपद पंचायत रीवा के कृषक राममिलन चौरसिया, पिता द्वारिका चौरसिया, नारायण दास चौरसिया, राघवदास चौरसिया सहित कई कृषकों के नाम कर्ज सूची में हैं, जबकि उनके द्वारा कभी कर्ज नहीं लिया गया या जिसने लिया वो अदा कर रसीद रखे हुऐ हैं, इसके बावजूद कृषकों के नाम कर्ज माफी की जा रही है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) योजनान्तर्गत नियत प्रक्रिया अनुसार कर्जमाफी की कार्यवाही प्रचलन में है। **(ख)** जी नहीं। यदि ऐसे कृषकों के नाम, जिन्होंने कभी कर्ज लिया ही नहीं या जिन्होंने कर्ज अदायगी कर दी है कि शिकायत प्राप्त होगी तो जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ग)** संबंधित कृषकों के द्वारा दावा आपत्ति का गुलाबी फार्म भरा गया था, जिसके आधार पर सुधार कर लिया गया है। उक्त के लिये दोषी सहायक समिति प्रबंधक को निलंबित किया जा चुका है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

प्रदेश में 20000 करोड़ का राशन घोटाला
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

9. अता.प्र.सं.62 (क्र. 549) श्री मनोज चावला : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रतलाम जिले में राशन के वितरण में पिछले 5-7 सालों में करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ है? क्या रतलाम शहर की दस दुकानों में दस करोड़ रूपये से ज्यादा का घोटाला पकड़कर पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया? यदि हाँ, तो बतावें कि जिस प्रक्रिया से दस दुकानों का परीक्षण किया गया, उसी प्रक्रिया से जिले की शेष दुकानों का परीक्षण किया गया या नहीं? यदि हाँ, तो परीक्षण की रिपोर्ट से अवगत करावें, यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** रतलाम जिले में राशन की कुल कितनी दुकाने हैं तथा उन दुकानों द्वारा पिछले पांच वर्षों में कुल कितने हितग्राहियों को कितनी मात्रा में सामग्री प्रदान की गई? रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट ताल, बाजना तथा नामली में कुल कितनी-कितनी दुकानें हैं तथा उनमें पांच वर्षों में वितरित सामग्री की कुल मात्रा तथा कुल व्यक्तिगत हितग्राही की संख्या वर्षवार बतावें। **(ग)** क्या प्रदेश के अन्य जिलो में भी प्रश्नांश (ख) अवधि में राशन घोटाले के प्रकरण शासन के संज्ञान में आये हैं, यदि हाँ, तो किस किस जिले में पुलिस प्रकरण दर्ज किया गया? **(घ)** क्या रतलाम शहर में शेष दुकानों का परीक्षण नहीं किया गया? यदि हाँ, तो कारण बताओ? यदि नहीं, तो परीक्षण की रिपोर्ट से अवगत करायें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** रतलाम शहर की 8 दुकानों में तत्कालीन कलेक्टर रतलाम के आदेशानुसार जांच दल का गठन किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी रतलाम

शहर द्वारा जांच कर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है तथा खाद्य विभाग के अमले द्वारा 01 उचित मूल्य दुकान का प्रकरण निर्मित किया जाकर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। **(ख)** रतलाम जिले में वर्तमान में कुल 512 उचित मूल्य दुकानें हैं, पिछले पांच वर्षों में दुकानों द्वारा हितग्राहियों को प्रदाय की गई राशन सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट ताल, बाजना तथा नामली में कुल दुकानों की संख्या तथा पांच वर्षों में वितरित सामग्री की कुल मात्रा तथा कुल व्यक्तिगत हितग्राही की वर्षवार संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** वर्तमान में जनवरी 2019 से दल गठन कर जिले की दुकानों का रोस्टर अनुसार परीक्षण कराया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समाज के हित में की गई कार्यवाही के सम्बंध
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

10. परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 551) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 894/1571/2018, दिनांक 03/10/2018 को पत्र लेख किया गया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी तो क्यों? दोषी कौन है? **(ख)** क्या 06/08/2018 को मांझी समाज की पर्याय जातियों को भी अनुसूचित जनजाति हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी हुये? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति प्रदाय करें।

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री (श्री आरिफ अक़ील) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हॉ। म.प्र. पिछडा वर्ग आयोग द्वारा आदिम जाति कल्याण से समन्वय स्थापित कर प्रकरण में अभिमत तैयार करने की कार्यवाही की गई। यह प्रक्रिया लंबी होने के कारण वांछित जानकारी विलंब से प्राप्त हुई। इसके लिए आयोग को दोषी नहीं माना जा सकता है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

लंबित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के संबंध में विलम्ब
[सामान्य प्रशासन]

11. परि.अता.प्र.सं. 74 (क्र. 552) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा दिवगंत शासकीय सेवकों के परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों को शिथिल करते हुए अद्यतन निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो उसकी छाया प्रति उपलब्ध कराई जावे? **(ख)** प्रश्नांश (क) में लंबित स्व. श्री अशोक कुमार मेहरा, सहायक ग्रेड-3 जल संसाधन विभाग के आश्रित परिवार के सदस्य द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में कोई प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के सदस्य को निर्धारित समय-सीमा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान न करते हुए

अनावश्यक विलम्ब करने के संबंध में कौन दोषी हैं तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) जी नहीं। दिनांक 29/09/2014 के पश्चात् कोई अद्यतन निर्देश जारी नहीं किए गए। **(ख)** एवं **(ग)** संबंधित विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** पूर्वानुसार। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्व. श्री अशोक कुमार मेहरा के पुत्र श्री अजय कुमार मेहरा के लंबित प्रकरण में कलेक्टर नीमच के आदेश दिनांक 01.10.2019 द्वारा चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। प्रकरण 7 वर्ष से अधिक अवधि का होने के कारण पूर्व में निरस्त कर दिया गया था। माननीय न्यायालय निर्णय के पालन में नियुक्ति प्रदान की गई है। अत: प्रकरण में विलंब होने या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जय किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

12. परि.अता.प्र.सं. 68 (क्र. 557) श्री संजीव सिंह (संजू) : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में संचालित जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत भिण्ड जिले में कितने किसान योजना में ऋण माफी हेतु पात्र पाये गये? विधानसभा क्षेत्रवार संख्या बतावें। **(ख)** क्या उक्त योजना में पात्र किसानों से नये बैंक खाते खुलवाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों? क्या उनके द्वारा बिना खाता खोले ही बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया गया था? **(ग)** क्या भिण्ड जिले में किसानों द्वारा किसी भी बैंक से ऋण नहीं लिया गया है और उनके नाम पर ऋण बताया गया है, की शिकायत दर्ज कराई गई है? यदि हाँ, तो कितने किसानों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई? विधानसभा क्षेत्रवार संख्या बतावें।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) योजनान्तर्गत नियत प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

प्रदेश के मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में बाहारी खाद्य सामग्री का उपयोग
[वाणिज्यिक कर]

13. अता.प्र.सं.107 (क्र. 643) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 के परिशिष्ट द्वारा विहित प्रारूप में जारी लाइसेन्स की शर्त संख्या-20 या अन्य में सिनेमा घरों में खाद्य सामग्री को लेकर क्या शर्तें निहित हैं? क्या मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों के लिए अलग से कोई शर्तें निहित हैं? यदि हाँ, तो शर्तों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? **(ख)** क्या भोपाल, इंदौर के विभिन्न मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों सहित रतलाम के गायत्री मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर में मुहर बंद खाद्य

पैकेट में खाद्य सामग्री ले जाने से सिनेमा संचालकों द्वारा मना किया जाता है, जबकि मध्यप्रदेश चलचित्र (विनयमन) अधिनियम, 1955 की धारा 8 के अंतर्गत किसी भी दर्शक को मुहर बंद खाद्य सामग्री ले जाने से नही रोका जा सकता? यदि मुहर बंद खाद्य सामग्री दर्शकों को नही ले जाने संबंधी कोई नियम विभाग के पास है, तो विभाग अवगत करायें? **(ग)** क्या प्रदेश सहित रतलाम में जिला खाद्य अधिकारी एव अन्य की लापरवाही के चलते रतलाम में गायत्री सिनेमा घर में महंगी पानी की बॉटल, अधिक मूल्य के खुल्ले पॉपकार्न, अंकित मूल्य से अधिक सील बंद खाद्य सामग्री बेचीं जा रही है एवं दर्शकों की शिकायत के बावजूद अधिकारियों को कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती, यदि नहीं, तो प्रश्न दिनांक तक बाहरी सामग्री उक्त सिनेमा घर में नही ले जाने देने के क्या कारण हैं?

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर) : [(क) से **(ग)** ''जानकारी एकत्रित की जा रही है।'' **] (क)** प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1972 की लायसेंस शर्त संख्या 20 में खाद्य सामग्री को लेकर कोई शर्त नहीं है। उक्त नियम में ज्वलनशील वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। सिनेमाघरों में खाद्य सामग्री के बेचने अथवा सिनेमाघरों में लेकर जाने पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। मध्यप्रदेश सिनेमा (विनिमन) अधिनियम नियम, 1952 अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश सिनेमा (विनिमन) नियम, 1972 में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक बी-5-11-2008/2/पांच, दिनांक 02/11/2010 द्वारा किए गए संशोधन अनुसार नियम 2(छ-क) में प्रावधानित किया गया है कि मल्टीप्लेक्स/बहुआयामी मनोरंजन केन्द्र में अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त फास्ट फूड सेंटर होना चाहिए। प्रश्नाधीन संशोधन की प्रति विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1972 व मध्यप्रदेश सिनेमा (विनिमन) अधिनियम, 1952 व मध्यप्रदेश सिनेमा (विनिमन) नियम, 1972 में उक्त के अतिरिक्त, सिनेमा घरों में खाद्य सामग्री से संबंधित कोई अन्य प्रावधान नहीं है। **(ख)** मध्यप्रदेश सिनेमा (विनिमन) नियम, 1972 संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 577, दिनांक 02.11.2010 का उप नियम 8 सिनेमाघरों की संरचना से संबंधित है, इसमें खाद्य सामग्री के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। मुहर बंद खाद्य सामग्री दर्शकों को नहीं ले जाने संबंधी कोई नियम आबकारी विभाग से संबंधित नहीं है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** कलेक्टर जिला रतलाम के माध्यम से प्राप्त नाप तौल विभाग के पत्र क्रमांक/59/ना.तौ./वि.सभा./19, रतलाम, दिनांक 05.02.2019 अनुसार गायत्री सिनेमा रतलाम में सीलबंद बंद बेची जा रही पानी की बोटलों, रेडबल एनर्जी ड्रिंक, चिप्स पैकेट, मूंगफली दाना, कोलड्रिंक्स बॉटल बेंची जा रही है, किसी भी पैकेट पर अंकित एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर विक्रय नहीं की जा रही है। संस्था द्वारा मूंगफली दाना के पैकेट पर विधिक माप विज्ञान (पैकेज वस्तु) नियम 2011 के नियम 6 का उल्लघंन के कारण प्रकरण के पंजीबद्ध/कायम किया गया। खुल्ले पॉपकोर्न एवं स्नेक्स, मैगी आदि खुल्ले रूप में बेंची जा रही, इस पर विधिक माप विज्ञान (पैकेज वस्तु) नियम 2011, के नियमों में इन पर कार्यवाही करने का

प्रावधान नहीं है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की शिकायत जिला कार्यालय रतलाम में नहीं की गई है।

अ.ज.जा. बलिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा
[गृह]

14. अता.प्र.सं.99 (क्र. 655) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014 से 2019 में अ.ज.जा. महिलाओं बालिकाओं की तस्करी/अपहरण के कितने मामले पंजीबद्ध हुये हैं? **(ख)** दर्ज मामलों में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** सरकार ऐसे मामलों को लेकर कितनी चिंतित है एवं उन्हें रोकने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? **(घ)** क्या अ.ज.जा. बालिकाओं को स्कूली स्तर पर स्वयं सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण देने की कोई योजना वर्तमान में है? यदि है, तो क्या और नहीं है तो भविष्य में ऐसा करने की क्या योजना है?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2019 तक प्रदेश में अ.ज.जा. महिलाओं एवं बालिकाओं की तस्करी के क्रमशः 34 तथा 79 मामले पंजीबद्ध हुये हैं तथा अपहरण के क्रमशः 323 तथा 7040 मामले पंजीबद्ध हुये हैं। **(ख)** दर्ज अ.ज.जा. महिला तस्करी के 34 मामलों में 34 महिलाओं की दस्तयाबी, 115 आरोपियों की गिरफ्तारी तथा 30 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही की गई। दर्ज अ.ज.जा. बालिका तस्करी के 79 मामलों में 89 बालिकाओं की दस्तयाबी 281 आरोपियों की गिरफ्तारी तथा 74 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही की गई। दर्ज अ.ज.जा. महिलाओं के अपहरण के 323 मामलों में 301 महिलाओं की दस्तयाबी 375 आरोपियों की गिरफ्तारी एवं 207 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही की गई। दर्ज अ.ज.जा. बालिकाओं के अपहरण के 7040 मामलों में 5664 बालिकाओं की दस्तयाबी, 3854 आरोपियों की गिरफ्तारी एवं 2917 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही की गई। **(ग)** ऐसे मामलों को रोकने हेतु किये जा रहे प्रयास :- 1. प्रदेश में महिला एवं बच्चों के मानव दुर्व्यापार के प्रकरणों को रोकने हेतु 24 जिलों में मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई गठित कर अति. पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। 2. पुलिस विभाग द्वारा प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्था आदि के सम्मिलित प्रयास से समय-समय पर टीच यौर बॉयस, सामाजिक चेतना अभियान, ऑपरेशन सुप्रभात, आत्मरक्षार्थ शिविर, जनसंवाद शिविर जैसे जागरुकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। 3. बच्चों के गुम होने पर धारा 363 भा.द.वि. तहत् तत्काल अपराध पंजीबद्ध करते हैं। लैंगिक शोषण, मानव दुर्व्यापार एव अनैतिक देह व्यापार तथा पॉस्को एक्ट के तहत् गुणात्मक विवेचना करते हैं। 4. पुलिस एवं अभियोजन शाखा सम्मिलित रुप से कार्य फास्ट ट्रेक कोर्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा दोषसिद्धि हेतु प्रयासरत् हैं। 5. पुलिस विभाग द्वारा 24 X 7 महिला हेल्पलाईन-1090, डायल-100 सेवा प्रांरम्भ की गई है। 6. मैत्री स्कूटर फोर्स, शक्ति स्कॉट, निर्भया मोबाइल के माध्यम से अपराधों पर नियंत्रण हेतु

सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। 7. समर्थ संगिनी योजना के माध्यम से आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं विभिन्न कार्यक्षेत्र की महिलाओं को पुलिस से जोड़कर सूचना संकलन सुदृढ़ करते हुए कानून/नियम का प्रचार प्रसार कर जागरुकता लाई जा रही है। **(घ)** समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में सुरक्षा हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2018-19 में 745 शालाओं में कुल 83553 छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सभी वर्गों की बालिकाएं सम्मिलित होती है।

जुलाई, 2019 सत्र

धार्मिक संस्थाओं की शिकायत पर कार्यवाही
[अध्यात्म]

1. अता.प्र.सं.1 (क्र. 26) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2018 से अप्रैल 2019 तक होशंगाबाद संभाग अन्तर्गत कितनी पंजीकृत हिन्दू/मुस्लिम/ईसाई/बौद्ध/सिख संस्थाओं (मंदिर/दरगाह/चर्च) के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायत पर किन-किन संस्थाओं में कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है? **(ग)** क्या शासन सिर्फ हिन्दू संस्थाओं पर प्रशासक नियुक्त करता है, अन्य मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध संस्थाओं पर नहीं? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं?

अध्यात्म मंत्री (श्री कमल नाथ) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** होशंगाबाद जिले में 2 शिकायतें एवं जिला बैतूल में 01 शिकायतें प्राप्त हुई है। **(ख)** एवं **(ग)** जी नहीं।

धार्मिक संस्थाओं के सर्वराकार/अध्यक्ष/प्रशासक
[अध्यात्म]

2. अता.प्र.सं.2 (क्र. 28) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** होशंगाबाद, भोपाल, बुरहानपुर, इंदौर जिलों में कितनी पंजीकृत धार्मिक (हिन्दू/मुस्लिम/ईसाई/बौद्ध/सिख) संस्थाएं (मंदिर/न्यास/दरगाह/चर्च) हैं? जिलावार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितनों के अध्यक्ष/सर्वराकार कलेक्टर है? क्या जिला कलेक्टर सिर्फ हिन्दू संस्थाओं (मंदिरों) के अध्यक्ष या सर्वराकार हो सकते हैं, मुस्लिम/ईसाई/बौद्ध/सिख/(दरगाह/चर्च/गुरूद्वारा) संस्थाओं के नहीं? **(ग)** यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? **(घ)** क्या शासन सभी धर्मों के इबादतगाहों पर समान निर्णय/संहिता/नीति लागू करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

अध्यात्म मंत्री (श्री कमल नाथ) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) (i)** होशंगाबाद जिले में 271 पंजीकृत धार्मिक (हिन्दू/मुस्लिम/ईसाई/बौद्ध/सिख) संस्थाएं (मंदिर/न्यास/दरगाह/चर्च) है। **(ii)** भोपाल जिले की **जानकारी परिशिष्ट अ अनुसार** है। **(iii)** बुरहानपुर जिले की जानकारी निरंक है। **(iv)** इंदौर जिले में कुल 613 हिन्दू (मंदिर) 08 मुस्लिम (दरगाह) पंजीकृत संस्थाएं है। **(ख)** जिला होशंगाबाद में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 153 कलेक्टर प्रबंधक के रूप में दर्ज है। भोपाल जिले की तहसील हूजूर स्थित कलेक्टर 05 मंदिरों के व्यवस्थापक है। उपरोक्त प्रश्नांश के सभी धार्मिक/मंदिर/न्यास/ट्रस्ट के अध्यक्ष/सर्वराकार कलेक्टर नहीं है। जिला बुरहानपुर के अन्तर्गत अध्यक्ष/सर्वराकार कलेक्टर नहीं है। जिला इंदौर के अन्तर्गत प्रश्नांश (क) उत्तर में जिला इंदौर में कुल 613 हिन्दू (मंदिर)

08 मुस्लिम (दरगाह) अंकित सभी मंदिर दरगाह के व्यवस्थापक कलेक्टर जिला इंदौर के राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जिला कलेक्टर उन संस्थाओं के अध्यक्ष या सर्वराकार हो सकते है जो शासकीय रिकार्ड में दर्ज है तथा व्यवस्थापक के रूप में प्रबंधक कलेक्टर दर्ज है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार। **(घ)** विभाग में मात्र हिन्दू धर्म से संबंधित कार्य किये जाते है।

परिशिष्ट - ''एक''

प्रदेश मे बढ़ते सायबर अपराध

[गृह]

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : 3. परि.अता.प्र.सं. 8 (क्र. 125) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश मे किन-किन थानों में कितने सायबर अपराध किस-किस तरह के दर्ज हैं तथा कितने सायबर प्रकरणों का निराकरण किया गया? प्रदेश मे सर्वाधिक सायबर अपराध कौन से शहर में उक्त अवधि में दर्ज हुये हैं? शहर का नाम बतायें। **(ख)** क्या प्रदेश में सायबर अपराध से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को सूक्ष्मता से जांच करने के लिये सायबर केस मे परिपूर्ण श्रेष्ठ अधिकारियों की कमी है? क्या विभाग मानता है कि सायबर अपराध से निपटने के लिये प्रत्येक जिले में अति संसाधन युक्त सायबर सेंटर की कमी है? यदि नहीं तो क्या प्रदेश के समस्त थानों में सायबर अपराध से जुड़ी अपराधिक घटनाओं से निपटने के लिये प्रत्येक थाना सक्षम है? यदि नहीं तो इन्हें कब तक योग्य अधिकारी एवं संसाधनों से सक्षम बनाया जायेगा? **(ग)** प्रदेश में वर्तमान में सायबर अपराध से निपटने के लिये कितने योग्य अधिकारी कहां-कहां कार्यरत है? **(घ)** उक्त अवधि में केन्द्र से सायबर अपराध से निपटने के लिये कब-कब संयुक्त बैठक आयोजित कर किस-किस प्रकार के निर्देश विभाग को प्राप्त हुये?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार**। सर्वाधिक सायबर अपराध भोपाल शहर में उक्त अवधि में दर्ज हुये। **(ख)** जी नहीं। यह सही है कि जिलों में अति संसाधन युक्त सायबर सेंटर की आवश्यकता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार।**

न्यायालय में चालान होने के बावजूद निलंबित नहीं किया जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

4. अता.प्र.सं.15 (क्र. 143) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिले के जनपद अमरपाटन, नागौद, उचेहरा में पदस्थ रहे एवं वर्तमान में उचेहरा में पदस्थ समीर श्रीवास्तव सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ हैं? उनकी उक्त

पदस्थापना के दौरान उनके विरूद्ध कितनी जाँचे हुयी? वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद कितनों पर वसूली की कार्यवाही की गयी? कितने मामलों पर एफ.आई.आर. करायी गयी? जॉच प्रतिवेदन की कापी प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करायें। क्या उक्त सहायक यंत्री के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सतना म.प्र. में विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2015 के तहत चालान प्रस्तुत होकर चार्ज लग चुका है? **(ख)** क्या उक्त सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग का है? इसे राज्य शासन द्वारा मूल विभाग में भेजने के आदेश जारी कर दिये गये हैं? उक्त अधिकारी को मूल विभाग में प्रश्नतिथि तक क्यों नहीं भेजा है जबकि उसके विरूद्ध लोकायुक्त ने न्यायालय में चालान भी पेश कर दिया है? **(ग)** क्या उक्त सहायक यंत्री के विरूद्ध अमरपाटन जनपद में पदस्थापना के दौरान पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त द्वारा उक्त अधिकारी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसका चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है तथा चार्ज भी लग चुका है? चार्ज लगने के पश्चात् जिला प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक निलंबित क्यों नहीं किया गया? कब तक निलंबित करेंगे? **(घ)** उक्त सहायक यंत्री के तीनों जनपदों में हुये कार्य इनके कार्यकाल में जो सी.सी. जारी हुयी है उन कार्यों की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? क्या उसकी जाँच करायेंगे? नहीं करायेंगे तो क्यों? इनके द्वारा जो सी.सी. कागजों में जारी करायी गयी, फर्जी मूल्यांकन कराये गये क्या उस राशि की वसूली करायी जायेगी? जिन मामलों में दोषी पाया गया है उन मामलों में कब तक एफ.आई.आर. करा दी जायेगी? नहीं करायी जायेगी तो क्यों? उक्त अधिकारी को राज्य शासन द्वारा कब तक बर्खास्त कर दिया जायेगा? नहीं किया जायेगा तो क्यों?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ, 06 जांच की गई, 05 जांच में वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई, अत: वसूली एवं एफ.आई.आर. का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, जांच प्रतिवेदन संलग्न **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। ग्राम पंचायत झिन्ना की जांच लोकायुक्त कार्यालय के द्वारा की गई है। लोकायुक्त कार्यालय से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, जी हाँ, संबंधित के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 13498/2017 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2018 के परिपालन में कार्यरत है। **(ग)** जी हाँ, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 3328700/40/15 दिनांक 13.07.2015 के द्वारा सेवाएं मूल विभाग में वापस लेते हुए निलंबित किया गया, संबंधित के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 685/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2018 के द्वारा स्थगन प्राप्त किया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** कार्यों के पूर्णता: प्रमाण पत्र कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही जारी किये जाने का प्रावधान है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सतना से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण कार्यों की जांच हेतु कोई शिकायत प्राप्त न होने से जांच कराये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। शेष उत्तरांश 'क', 'ख', 'ग' अनुसार है।

कृषि उपज मंडियों द्वारा खरीदी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. अता.प्र.सं.20 (क्र. 215) श्री जसमंत जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले की करैरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितनी मण्डी एवं उपमण्डी हैं और उनमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं? सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार मंडियों द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितने व्यापारियों द्वारा कितना माल खरीदा गया तथा कितना माल किस अनुज्ञा पत्र से बाहर भेजा गया तथा प्रतिवर्ष कितना माल शेष बचा? विधिवत सूची उपलब्ध करावें। **(ग)** शेष बचे माल पर किस व्यापारी द्वारा कितना टैक्स जमा किया गया है एवं किसके द्वारा जमा नहीं किया गया है? इसके साथ ही 37-1 रसीद इन्ट्री की जानकारी भी उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) प्रश्नागत विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति करैरा एवं उसकी उपमण्डी दिनारा, करही तथा कृषि उपज मण्डी समिति मगरौनी एवं उसकी उपमण्डी नरवर स्थापित है। पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नागत व्यापारीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। शेष प्रश्न अंश 37-1 की जानकारी अत्यन्त विस्तृत एवं वृहद स्वरूप की होने से जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। शेष प्रश्न अंश 37-1 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

आत्मा परियोजना के कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. परि.अता.प्र.सं. 27 (क्र. 264) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले मे आत्मा परियोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किन-किन योजनाओं एवं कार्यों हेतु, कितनी–कितनी राशि आवंटित एवं प्राप्त हुई? प्राप्त राशि के व्यय एवं उपयोग के शासन/विभाग के क्या मार्गदर्शी निर्देश थे? एवं प्राप्त राशि का व्यय किन गतिविधियों में किया गया। **(ख)** परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाय.) में कुल कितने क्लस्टर पंजीकृत है एवं इन क्लस्टरों में कितने किसान सम्मलित है? क्लस्टरवार सूची बताएं? **(ग)** क्या शासन द्वारा ईट गारे की वर्मी कम्पोस्ड यूनिट स्थापना के आदेश थे, यदि हाँ, तो कटनी जिले में किस-किस स्थान पर कितने किसानों के कितनी लागत से वर्मी कम्पोस्ड यूनिट लगाई गई एवं कितनी राशि व्यय की गई? यदि नहीं लगाई गई तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) से (ग) के परिपेक्ष्य मे क्या परियोजना के क्रियान्वयन एवं आदान सामाग्री क्रय करने और वर्मी कम्पोस्ड यूनिट की स्थापना मे शासनादेश/विभागीय निर्देशों के उल्लंघन की शासन

स्तर पर जांच और कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं तो कारण बताये?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कटनी जिले में आत्मा परियोजना के अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में योजनाओं एवं कार्यों की घटकवार प्राप्त राशि एवं व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। **(ख)** परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) अंतर्गत पंजीकृत क्लस्टर एवं शासकीय सेवकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। इन क्लस्टरों में शामिल कृषकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। क्लस्टरों के पंजीयन एवं हितग्राहियों, DLEC के गठन दस्तावेज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार** है। **(ग)** हाँ, 50 यूनिट लगाई। स्थान एवं लागत की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार** है। **(घ)** शासनादेश/विभागीय निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

<u>विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के स्थानांतरण व वित्तीय भार</u>

[सामान्य प्रशासन]

7. अता.प्र.सं.24 (क्र. 268) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के कुल कितने अधिकारी पदस्थ है? अलग-अलग संख्या बतावें? **(ख)** 20 दिसम्बर, 2018 से प्रश्न दिनांक तक उक्त पद श्रेणियों में कितने-कितने अधिकारियों का तबादला किया गया है? सरकार के ऊपर इन तबादलों से कितना वित्तीय भार आया? **(ग)** 20 दिसम्बर, 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने अधिकारियों का एक से अधिक बार तबादला किया है? अधिकारी का नाम, पदनाम स्थान एवं तबादला किए गए स्थान सहित जानकारी दें? **(घ)** वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन की तबादला नीति क्या है?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 367, राज्य प्रशासनिक सेवा के 572 अधिकारी पदस्थ हैं। भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है **(ख)** भारतीय प्रशासनिक सेवा के 301, राज्य प्रशासनिक सेवा के 202 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। वित्तीय भार की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है **(घ)** भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है एवं राज्य प्रशासनिक सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में स्थानांतरण नीति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में जानकारी एकत्रित जा रही है।**]**

(क) मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 367, राज्य प्रशासनिक सेवा के 572, भारतीय पुलिस सेवा 230 और राज्य पुलिस सेवा के 1020 अधिकारी पदस्थ हैं। **(ख)** प्रश्नावधि में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 301, राज्य प्रशासनिक सेवा के 209, भारतीय पुलिस सेवा के 171 और राज्य पुलिस सेवा के 480 अधिकारियों का तबादला किया गया है। एक ही मुख्यालय में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण होने पर व्यय भार नहीं आता, मुख्यालय से बाहर स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित इकाई को दावा प्रस्तुत किया जाता है। स्थानांतरित अधिकारियों को नियमानुसार स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता आती है, व्यय भार बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रश्नावधि में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के जिन अधिकारियों का एक से अधिक बार तबादला किया गया है उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" "ब" "स" एवं "द" अनुसार** है। **(घ)** भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई" एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "फ"** तथा भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ज" अनुसार** है।

जय किसान ऋण माफी योजनांतर्गत लाभांवित कृषक

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

8. परि.अता.प्र.सं. 36 (क्र. 317) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जय किसान ऋण माफी योजनांतर्गत प्रदेश के किसानों का शत-प्रतिशत ऋण माफ कर उनको लाभान्वित किया जा चुका हैं? प्रश्न दिनांक तक जिलेवार लाभांवित किसानों की संख्या बतायें? कब तक शेष किसानों की ऋण माफी कर दी जावेगी? जिलेवार बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या केवल 50 हजार तक के ऋण वाले किसानों के ही ऋण माफ किये गये हैं या 2 लाख ऋण वाले किसानों को भी प्रश्न दिनांक तक लाभान्वित किया गया है? यदि हाँ, तो राजगढ़ जिले में सहकारी बैंकों एवं अन्य बैंकों से लाभांवित किसानों की संख्या बतायें। **(ग)** उपरोक्तानुसार क्या शासन शत-प्रतिशत ऋणी किसानों का ऋण माफ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** प्रथम चरण में दिनांक 31.03.2018 का बकाया राशि रूपये 50, 000/- तक के चालू (PA) खाते तथा रू. 2.00 लाख तक के कालातीत (NPA) खातों की ऋण माफी की कार्यवाही की गयी। राजगढ़ जिले में सहकारी बैंकों एवं अन्य बैंकों से लाभान्वित किसान 71953 है। **(ग)** ऋण माफी प्रक्रियारत है। योजना की पात्रता अनुसार किसान की ऋण माफी की जावेगी।] **(क)** जी नहीं। प्रश्न दिनांक तक जिलेवार कुल संख्या 992245 चालू (PA) खाते स्वीकृत किए गए हैं। ऋण खातों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। समयावधि

बताना संभव नहीं है। **(ख)** प्रथम चरण में दिनांक 31.03.2018 का बकाया राशि रूपये 50, 000/- तक के चालू (PA) खाते तथा रू.2.00 लाख तक के कालातीत (NPA) खातों की ऋण माफी की कार्यवाही की गयी। राजगढ़ जिले में सहकारी बैंकों एवं अन्य बैंकों से स्वीकृत किसानों की संख्या 72486 है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** योजना की पात्रता अनुसार किसान की ऋण माफी की जाना है। समयावधि बताना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - ''दो''</u>

<u>शिकायत को CBI द्वारा मुख्य सचिव को जांच हेतु भेजना</u>

[गृह]

9. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 376) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 195 दिनांक 18 फरवरी 2019 के खण्ड (ख) के संदर्भ में बतावें कि पुलिस महानिदेशक ने अनुमोदन किस दिनांक को किया? उसकी प्रति देवें। 530 शिकायत किस-किस थाने में किस दिनांक को भेजी गयी? उसकी सूची देवें तथा शेष 510 शिकायतों के बारे में बतावें कि वह किसके अनुमोदन से नस्तीबद्ध की गयी? उसकी प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बतावें कि जब शासन के आदेशानुसार व्यापम की जांच STF द्वारा की जा रही है तो फिर 530 शिकायतें थाने में क्यों भेजी गयी? किसने आदेश दिया? उसकी प्रति देवें तथा बतावें कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत दिनांक 11.12.14 तथा 12.6.15 किस थाने में भेजी गयी? **(ग)** प्रश्न क्र. 204 दिनांक 18.2.2019 के खण्ड (ख) के संदर्भ में बतावें कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत के संदर्भ में CBI ने दिनांक 12.8.2016 को पत्र क्रमांक V-2015A0001/3408 मुख्य सचिव को लिखा की कार्यवाही राज्य शासन करे। यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? **(घ)** क्या शासन ने व्यापम के कुछ बिन्दुओं की जांच के आदेश दिये? यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस बिन्दु पर जांच प्रारंभ की गयी है? क्या निजी चिकित्सा कॉलेजों में 2009 से 2015 की भर्ती की जांच की जायेगी?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** व्यापम से संबंधित शिकायतों के संबंध में पुलिस महानिदेशक, म.प्र. से दिनांक 14.03.2017 को अनुमोदन प्राप्त किया गया प्रति **पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार**। 530 शिकायत आवेदन पत्र जाँच हेतु संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किये गये हैं। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ओदश/परिपत्र क्र. एफ 11-14/2007/एक/9 भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2007 के परिप्रेक्ष्य में एवं दिनांक 14.03.2017 को लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु पुलिस महानिदेशक, म.प्र. के अनुमोदनानुसार तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा 313 शिकायतें नस्तीबद्ध की गई। शेष शिकायतें प्रचलन में है। प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(ख)** पुलिस महानिदेशक, म.प्र. के उपरोक्त लेख अनुमोदन उपरान्त 530 शिकायत आवेदन पत्र संबंधित जिलों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये है। प्रति

प्रश्नांश (क) के **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" में** है। पूर्व विधायक की शिकायत एस.टी.एफ. में विचाराधीन है। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** प्रकरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट-पिटीशन क्रमांक 114/2015 एवं 115/2015 लंबित है। उक्त रिट-पिटीशन आदेशानुरूप कार्यवाही की जाएगी।

सांसद विधायक निधि से स्वीकृत कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

10. अता.प्र.सं.33 (क्र. 409) श्री रामपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जून, 2019 की स्थिति में रायसेन जिले में विधायक निधि से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है एवं क्यों? कार्यवार कारण बतावें। उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? **(ख)** क्या निर्माण एजेन्सी की उदासीनता के कारण उक्त कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं? यदि हाँ, तो जवाबदार अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के कार्यों का स्वीकृत वर्ष, एजेन्सी को राशि कब दी, राशि कब-कब, कितनी आहरित की? व्यय राशि, मूल्यांकन राशि का किस-किस ने कब-कब निरीक्षण किया? बोर्ड कब लगाया, सहित पूर्ण विवरण दें। **(घ)** 01 जनवरी, 2017 से जून, 2019 तक की अविध में विधायक निधि से पूर्ण कार्यों का किस-किस ने कब-कब अंतिम मूल्यांकन किया? क्या उक्त कार्यों में कार्य स्थल पर बोर्ड लगे हैं? यदि नहीं तो कब तक लगवायेंगे?

वित्त मंत्री (श्री तरूण भनोत) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।**]** **(क)** जिले में विधायक निधि से अपूर्ण/ अप्रारंभ एवं अपूर्ण रहने के कारण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ के कालम 6, 7 अनुसार** है। कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी हाँ। निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी किये गये हैं। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। बोर्ड लगाने संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ के कलम 9 पर दर्शित** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

मिशन ग्रीन दमोह प्रोजेक्ट में किया गया कार्य

[नगरीय विकास एवं आवास]

11. अता.प्र.सं.23 (क्र. 435) श्री राहुल सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दमोह में वर्ष 2015 से 2017 के बीच मिशन ग्रीन अभियान चलाया गया था। यदि हाँ, तो अभियान किसके सहयोग/समिति के द्वारा चलाया गया? क्या अभियान सफल बनाने के लिए शासकीय विभागों के द्वारा अनुदान या स्वेच्छानुदान लिया गया है? यदि हाँ, तो उसकी सूची, नाम, राशि एवं विभागों के नाम उपलब्ध करायें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अभियान के तहत कहां से एवं कितने पौधे क्रय किये गये। पौधों की संख्या, क्रय लागत से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सूची में प्राप्त

अनुदान की राशि का उपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध कराये। यदि नहीं तो उक्त अभियान के संचालन के लिए किस मद से भुगतान किया गया? देखरेख एवं मेंटेनेंस का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? किस मद से भुगतान किये जा रहे है? भुगतान किये गये देयकों का विवरण उपलब्ध करायें। क्या नगर पालिका दमोह के द्वारा, मिशन ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत लगाये गये पौधों का रखरखाव किया जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का व्यय, किस मद से किया गया? **(घ)** प्रश्नांश (ख) में क्रय किये गये पौधे कब, कितने और कहां पर लगाये गये है? उक्त स्थानों के नाम, पौधों की सूची उपलब्ध कराये वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं, संख्या बतायें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** हाँ, दमोह जिले में वर्ष 2015 से 2017 के बीच मिशन ग्रीन अभियान चलाया गया था। यह अभियान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, दमोह के सहयोग से चलाया गया था। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसविलिटी मद से रू. 17.23 लाख रूपये की राशि जन अभियान परिषद को उपलब्ध कराई गई थी। कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार अन्य किसी विभाग द्वारा इस कार्य हेतु कोई राशि अनुदान या स्वेच्छानुदान नहीं दिया गया है। **(ख)** क्रय किये गये पोधों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। क्रय से संबंधित दस्तावेज संलग्न है। **(ग)** प्रश्नांश (क) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** प्राप्त अनुदान की राशि का ही उपयोग किया गया है, अन्य मद से भुगतान नहीं किया गया है। उपरोक्त पौधारोपण की देखरेख एवं मेंटिनेंस की जिम्मेदारी संबंधित विभाग को सौंपी गई है। नगर पालिका दमोह के द्वारा मिशन ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत लगाये गये पौधौं का रखरखाव किया जा रहा है। वर्ष 2017-2018 में ग्रीष्मकाल में जलसंकट होने के कारण टेंकरों से पौधों में पानी डालने हेतु रू.1, 15,194 का व्यय नगर पालिका दमोह द्वारा किया गया है। **(घ)** प्रश्नांश (ख) में क्रय किये गये पौधें लगाने की जानकारी व जीवित पौधों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है।

राष्ट्रीय पदक विजेताओं को खेलवृत्ति प्रदान करना

[खेल और युवा कल्याण]

12. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 455) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा जनवरी 2019 में मध्य प्रदेश स्टेट क्रॉस कन्ट्री चैपियनशिप 2019 कराई गई थी? इनमें कटनी जिले के कितने खिलाड़ी कौन-कौन से इवेंट में चयनित किये गये? नाम एवं इवेंट सहित विवरण दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) चयनित खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये? यदि हाँ, तो किन-किन खिलाड़ियों को? **(ग)** क्या यह सही है कि राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी, प्रोत्साहन एवं पुरूस्कार नियम 2019 के नियम क्रमांक 8 के अंतर्गत, निर्धारित प्रपत्र जिससे खेलवृत्ति

मिलनी थी, का आवेदन पत्र प्रमाण पत्र के अभाव में भरने से वंचित रह गये? इस अनियमितता हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? **(घ)** क्या विभाग द्वारा विभागीय पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रश्नांश (ग) नियम के अंतर्गत राशि दिये जाने हेतु जिले के कलेक्टरों को निर्देशित किया जायेगा? नहीं तो क्यों?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट मध्यप्रदेश स्टेट क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप 2019 का आयोजन नहीं कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नोत्तर (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नोत्तर (क) व (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। यहां यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार नियम 2019 के नियम क्र 4 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर नगद पुरस्कार राशि दी जाती है एंव राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को नियम क्र.8 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर खेलवृत्ति दी जाती है। **(घ)** जी नहीं, ''अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन नियम-2019'' के बिन्दु क्र 8 अनुसार राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाड़ियों को मात्र खेलवृत्ति देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को उपरोक्त नियम के बिन्दु क्रमांक 04 अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है। यह राशि संचालनालय स्तर से स्वीकृत की जाती है।

2016 तथा 2017 की प्याज खरीदी में 752 करोड़ की राज्य धन की बर्बादी

[सहकारिता]

13. परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 468) श्री मनोज चावला : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र.548 दिनांक 20.02.2019 के **(क)** तथा **(ख)** के संदर्भ में बतावे कि 2016 तथा 2017 में क्रमश:28.7 % तथा 72.5% प्याज ही बेचा गया शेष प्याज खराब होने पर किस-किस अधिकारी पर कार्यवाही की गई तथा 2016 तथा 2017 में क्रमश: 104.28 करोड़ तथा 647.55 करोड़ की हानि तथा राज्य धन की बर्बादी के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? उनके नाम बतावें तथा क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या वर्ष 2017 में रतलाम जिले में प्याज खरीदी में व्यापारियों की प्रतिभूति राशि की वापसी/वसूली हेतु रिपोर्ट दिनांक 1.10.18 को भेजी गई? यदि हाँ, तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें तथा बतावें कि डेढ़ साल बाद रिपोर्ट क्यों बनी तथा 8 माह बाद भी उस पर अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया? **(ग)** रतलाम जिले में वर्ष 2016 तथा 2017 में खरीदे गये, कुल प्याज की मात्रा, लागत, कुल खर्च, विक्रीत प्याज की मात्रा, प्राप्त राशि बतावें तथा बतावें कि दोनों वर्षों में मिलाकर कितनी हानि हुई तथा 2018 में कितनी मात्रा में प्याज भावांतर योजना में खरीदा गया तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया? **(घ)** क्या वर्ष

2018 में प्याज खरीदी में भावांतर में भ्रष्टाचार की जांच की गई? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट का विवरण देवें?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) जी हाँ, प्याज के बाजार भाव में निरंतर गिरावट होने, प्याज के भण्डारण हेतु वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता के गोदाम उपलब्ध न होने से परम्परागत भण्डारण गोदामों में भण्डारण किया गया, प्याज की प्रकृति अत्यंत क्षरणशील होने के कारण भण्डारित प्याज खराब हुई, विपणन संघ की जानकारी अनुसार वर्ष 2016 में उपार्जित प्याज में हुई हानि के लिये अधिकारियों की लापरवाही परिलक्षित नहीं हुई। सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2017 में कार्पोरेशन के 44 जिला प्रबंधकों को नोटिस जारी किये गये थे, उनमें से 26 अधिकारियों द्वारा दिये गये उत्तर उपरांत उनके प्रकरण का निराकरण हो चुका है, सभी को जारी नोटिस नस्तीबद्ध किये जा चुके हैं, शेष 18 अधिकारियों की कार्रवाई प्रचलन में है। वर्ष 2016 में प्याज उपार्जन में राशि रू. 104.28 करोड़ की हानि हुई है, वर्ष 2017 में अंकेक्षित जानकारी अनुसार राशि रू.645.57 करोड़ की हानि हुई, विभाग द्वारा वर्ष 2016 एवं 2017 में प्याज खरीदी, विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण में अनियमितता की जांच हेतु आयुक्त सहकारिता एवं संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जी हाँ, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2017 में रतलाम जिले में प्याज खरीदी में व्यापारियों की प्रतिभूति राशि की वापसी/वसूली हेतु रिपोर्ट दिनांक 01.10.2018 को भेजी गई, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के पत्र क्र./उपा./2018-19/246 दिनांक 21.05.2018 के बिन्दु क्र. 4 में उल्लेख है कि प्याज विक्रय/निस्तारण के दौरान व्यापारियों द्वारा जमा प्रतिभूति/रोकी गई राशि की वापसी/प्राकृतिक कमी से भिन्न कमी की वसूली दर/विनिष्टीकरण संबंधी व्यय आदि के प्रकरणों पर समिति द्वारा विचारों उपरांत संस्था के व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्यवाही करने हेतु प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया है। इसी पालन में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय कर प्रबंध संचालक को पत्र क्र./प्याज उपार्जन/2018-19/334 रतलाम दिनांक 1.10.2018 से जानकारी भेजी गई, डेढ़ साल बाद रिपोर्ट इसलिए बनी कि प्रदेश स्तर पर प्याज खरीदी एवं निस्तारण से संबंधित निर्देश सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के पत्र क्र. उपार्जन/2018-19/246 भोपाल दिनांक 21.05.2018 से प्राप्त हुआ, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन स्तर पर कार्यवाही/प्रक्रिया प्रचलन में है। **(ग)** रतलाम जिले में विपणन संघ द्वारा वर्ष 2016 में 13, 640.20 क्विंटल प्याज की खरीदी की गई, कुल लागत व्यय राशि रू.99,74,361.00 रही, उपार्जित मात्रा में से 9859.41 क्विंटल मात्रा का विक्रय किया गया, विक्रय मात्रा से प्राप्त राशि रू.30,31,527.29 जिले की कुल लागत व्यय में से कम करने पर राशि रू.69, 42,833.71 की हानि परिलक्षित हुई। वर्ष 2017 में विपणन संघ द्वारा 6,44,410.34 क्विंटल प्याज का उपार्जन किया गया था। उपार्जन पर कुल व्यय राशि रू.54,29, 66,735.28 किया गया, एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा विक्रित प्याज एवं दोनों वर्षों को मिलाकर हुई हानि संबंधी जानकारी संकलित

की जा रही है। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजनान्तर्गत प्याज की शासकीय खरीदी नहीं की गई अपितु योजनान्तर्गत पंजीकृत किसानों को चयनित मण्डी प्रांगणों में अपनी उत्पादित प्याज को अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को विक्रय करने की व्यवस्था थी, इसके तहत रतलाम जिले में पंजीकृत किसानो ने मण्डी प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को 7, 74, 413 क्विंटल प्याज का विक्रय किया गया। उक्त योजना उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग की थी, उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्याज भावांतर भुगतान योजना में वर्ष 2018-19 में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों द्वारा जिलों की अधिसूचित मंडियों में 6, 82, 832.23 क्विंटल का संव्यवहार किया गया, जिसकी प्रोत्साहन राशि 26,06,75,063.00 रूपये का भुगतान कृषकों के बैंक खातों में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया गया। **(घ)** म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजनान्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति शिवपुरी में प्याज एवं लहसुन की अनियमितता की प्राप्त शिकायत की म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जांच कराई गई, जांच प्रतिवेदन का संक्षिप्त **विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।] **(ग)** रतलाम जिले में विपणन संघ द्वारा वर्ष 2016 में 13640.20 क्विंटल प्याज की खरीदी की गई एवं अन्य जिलों से 20447.65 क्विंटल प्याज प्राप्त होने से जिले में प्याज की कुल उपलब्धता 34087.85 क्विंटल की रही, जिसमें से 14077.58 क्विंटल प्याज का विक्रय किया गया एवं 20, 010.27 क्विंटल मात्रा सूखत एवं क्षतिग्रस्त हुई, जिले में खरीदे गये प्याज की लागत राशि रू. 99,74,361.00 एवं अन्य जिलों से प्राप्त मात्रा की लागत रू.1, 41,59,719.88 अर्थात कुल लागत रू. 2, 41, 34, 080.88 हुई एवं प्याज के विक्रय से राशि रू. 33,24,971.44 प्राप्त हुई। वर्ष 2017 में विपणन संघ द्वारा रतलाम जिले में 6,44,410.34 क्विंटल प्याज की खरीदी की गई एवं 6,36,678.50 क्विंटल का परिदान सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को किया गया, उपार्जन केन्द्र पर सूखत के कारण 7731.84 क्विंटल की कमी आयी तथा जिले में उपार्जन पर कुल राशि रू. 54,29,66,735.28 का व्यय किया गया। वर्ष 2017 में खरीदे गये प्याज के विक्रय का कार्य एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया गया, कार्पोरेशन द्वारा रतलाम जिले में 6,36,678.50 क्विंटल प्याज प्राप्त की गई, जिसमें से 6,14,798.92 क्विंटल प्याज को उचित मूल्य दुकान, व्यापारियों, नेफेड दिल्ली एवं अन्य जिलों को ट्रांसफर किया गया, 21453.50 क्विंटल प्याज का विनिष्टिकरण किया गया तथा शेष मात्रा 426.08 क्विंटल परिवहन में कमी रही है। कार्पोरेशन द्वारा लाभ-हानि का गणना पत्रक जिला स्तर पर तैयार नहीं किया गया है। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजनान्तर्गत प्याज की शासकीय खरीदी नहीं की गई अपितु योजनान्तर्गत पंजीकृत किसानों को चयनित मण्डी प्रांगणों में अपनी उत्पादित प्याज को अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को विक्रय करने की व्यवस्था थी, इसके तहत रतलाम जिले में पंजीकृत किसानों ने मण्डी प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को 7,74,413 क्विंटल प्याज का विक्रय किया, उक्त योजना का संचालन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा की गयी

थी। प्याज भावांतर भुगतान योजना में वर्ष 2018-19 में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों द्वारा जिलों की अधिसूचित मंडियों में 6,82,832.23 क्विंटल का संव्यवहार किया गया, जिसकी प्रोत्साहन राशि 26,06,75,063.00 रूपये का भुगतान कृषकों के बैंक खातों में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया गया।

जल संसाधनों का प्रबंधन

[जल संसाधन]

14. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 476) श्री अर्जुन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पिछले 10 वर्ष में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों/नीति का ब्यौरा दें? आगामी समय में पर्याप्त जल उपलब्धता हेतु सरकार की क्या रणनीति हैं? **(ख)** जल संरक्षण के लिए 'रिज टू वैली' अवधारणा पर आधारित जल संरक्षण प्रयासों पर पिछले 10 वर्षों में क्या कार्य किये गये? **(ग)** जल संरक्षण की प्रभावी रणनीति तैयार करने की दिशा में सरकार क्या करने जा रही है? **(घ)** जलवायु परिवर्तन के कारण प्रदेश का बड़ा हिस्सा सूखे और बंजर होने के खतरे से जूझ रहा है? यदि पूर्व में कोई कार्ययोजना तैयार की गयी थी तो उसकी क्या प्रगति थी बतायें? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जल संरक्षण के माध्यम से सरकार क्या कार्ययोजना अपनाने जा रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हुकुम सिंह कराड़ा) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जल संसाधन विभाग द्वारा पिछले 10 वर्ष में सिंचाई परियोजनाओं (वृहद, मध्यम एवं लघु) से जल संग्रहण क्षमता में 6771 मि.घ.मी. मात्रा की वृद्धि की है। वर्तमान में 31 वृहद, 57 मध्यम एवं 441 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनके पूर्ण होने पर लगभग 5004 मि.घ.मी. जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जल संरक्षण के लिये 'रिज टू वैली' अवधारणा के तहत ऊंचे तल से नीचे की ओर प्रवाहित होने वाले जल को उपयुक्त स्थलों पर रोककर परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। **(ग)** जल संसाधन विभाग द्वारा जल संरक्षण की दृष्टि से नये बॉधों का निर्माण कर उसमें उपलब्ध जल के मितव्ययी उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देकर कार्य संपादन कराया जा रहा है। **(घ)** पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा प्रदेश के विभागों के साथ परामर्श कर सहमति से राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना वर्ष 2014 में तैयार की गई। कार्ययोजना के अनुमोदन पश्चात सभी संबंधित विभागों को क्रियान्वयन के लिए प्रेषित की। कार्ययोजना में प्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित 10 प्रमुख रणनीतियां सुझाई जाना प्रतिवेदित है। एप्को द्वारा जल संरक्षण हेतु किये जा रहे कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

म.प्र. में हत्या, बलात्कार, अपहरण, लूट, चोरी की घटनाओं की जानकारी

[गृह]

15. परि.अता.प्र.सं. 15 (क्र. 483) श्री उमाकांत शर्मा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 12 दिसम्बर 2018 से 31 मई, 2019 तक मध्यप्रदेश में हत्या, बलात्कार, अपहरण, लूट, चोरी की कितनी घटनायें घटित हुई हैं? संभागवार संख्यात्मक जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अपहरण, फिरौती, नकबजनी की कितनी-कितनी घटनायें मध्यप्रदेश में हुई हैं? जिलावार संख्यात्मक जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में दिनांक 12 फरवरी 2019 को सतना जिले में चित्रकूट में प्रियांश एवं श्रेयांश रावत के अपहरण एवं उनकी हत्या के संदर्भ में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? इस हत्याकाण्ड के जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम बनाई गई थी क्या? यदि हाँ, तो उनकी रिपोर्ट आ गई क्या? यदि नहीं, तो इस प्रकरण में ढिलाई के लिये कौन-कौन दोषी पाए गए हैं तथा किन-किन दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर क्या-क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या मध्यप्रदेश शासन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ, तो कितनी और यदि नहीं तो क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन): [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** प्रकरण में चित्रकूट अंतर्गत थाना नयागांव में प्रियांश एवं श्रेयांश रावत के अपहरण एवं उनकी हत्या के संदर्भ में अपराध क्रमांक 26/2019 धारा 341, 364ए, 34 ता.हि., 25, 27 शस्त्र अधिनियम एवं 11, 13 ए.डी.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर चालान क्रमांक 44/2019 तैयार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रकरण क्रमांक 10/2019 न्यायालय में विचाराधीन है। इस हत्याकाण्ड की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई थी। उपरोक्त घटना की जांच के संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सतना द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक-96/8/एस.डब्ल्यू./2019 सतना, दिनांक 25.02.2019 के द्वारा मजिस्ट्रीरियल जांच आदेशित की गई है। जांच कार्यवाही प्रचलन में है। घटना में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए उप निरीक्षक, के.पी.त्रिपाठी, उप निरीक्षक, सुधांशू तिवारी, प्रधान आरक्षक 278 शिव प्रसाद बागरी व आरक्षक 797 चन्द्रकांत पाण्डेय को निलंबित किया गया। प्राथमिक जांच कार्यवाही प्रचलन में है। **(घ)** जी नहीं। मृतक के परिजन की आर्थिक स्थिति अच्छी है। उनके द्वारा आर्थिक सहायता की मांग नहीं की गयी है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अरहर, मूंग, उड़द, मसूर चने का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

16. परि.अता.प्र.सं. 23 (क्र. 491) श्री सुनील सराफ : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्र.क्रं. 53 दिनांक 04-12-2017 के **(क)** उत्तर में वर्ष 2017-18 में दर्शाई

गई अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना का भुगतान किन्हें किया गया उनके नाम, बैंक नाम, अकाउंट नंबर, भुगतान राशि सहित दलहनवार बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) संदर्भित प्रश्न के (ग) उत्तर में वर्णित कर्मचारियों, अधिकारियों से क्या राशि वसूल की गई है? यदि नहीं तो कारण बतायें। उत्तर में दर्शाये जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति भी देवें। **(ग)** उच्च अधिकारियों द्वारा वसूली न करके दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों को संरक्षण देने पर शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** संस्था के दो कर्मचारियों श्री धनन्जय पटेल तत्कालीन प्रबंधक (निलंबित) एवं श्री अभिषेक पटेल तत्कालीन विक्रेता (निलंबित) से राशि वसूल की गई है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है, शेष हेतु जांच रिपोर्ट का परीक्षण कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही किये जाने से संरक्षण देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर भुगतान</u>

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

17. अता.प्र.सं.73 (क्र. 531) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ जिले की जतारा-विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 में प्रश्न दिनांक तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की किस-किस योजना अन्तर्गत वर्षवार कितनी-कितनी राशि निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गई है? **(ख)** क्या उक्त योजनाओं के कार्यों को जिला पंचायत जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत करने का प्रावधान है। यदि हाँ, तो उक्त में से वर्षवार योजनावार कौन-कौन से कार्य, कितनी लागत के स्वीकृत किये गये तथा कार्य एजेंसियों के नाम बतायें? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति किन अधिकारियों द्वारा दी गई है सभी के नाम उपयंत्री ए.ई. एवं ई. सहित बतावें? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि जो कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये गये उनके बिल किस अधिकारी के अनुमोदन से कब-कब कितनी राशि के भुगतान किये गये भुगतानकर्ता कौन है किन-किन बिलों का भुगतान प्रश्न दिनांक तक शेष है शेष भुगतान कब तककर दिया जायेगा?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी**

पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार** है।

<u>सतना जिले के थाना कोलगवाँ में पंजीबद्ध अपराध</u>

[गृह]

18. अता.प्र.सं.80 (क्र. 566) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिले के थाना कोलगवाँ में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 168/16 एवं थाना सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 169/17 धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 34 (बी) के तहत कायमी में प्रश्नतिथि तक दोषी पटवारी रामानन्द सिंह, शिवभूषण सिंह, राम शिरोमणी सिंह का नाम नहीं बढ़ाया गया है, जबकि नगर पुलिस अधीक्षक सतना ने दिनांक 24.08.2017 को जांच अधिकारी सुदामा कोल राजस्व निरीक्षक का कथन लेकर उक्त दोनों थाना प्रभारियों को पत्र क्रमांक/न.पु.अ./सतना/182ए/2017 दिनांक 24.08.2017 को उक्त पटवारियों को साजिश में संलिप्तता पाकर इनका नाम जोड़ा जाकर इनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का लेख किया था? **(ख)** क्या नगर पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र क्रमांक/न.पु.अ./सतना/39518/18 दिनांक 01.12.2016 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर को पत्र लिखा था? उस पत्र पर एस.डी.एम. रघुराजनगर ने उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार को दी? तहसीलदार ने जांच राजस्व निरीक्षक से करवाई? राजस्व निरीक्षक सुदामा कोल ने जांच कर अपना प्रतिवेदन तहसीलदार एवं तीन पटवारियों को दोषी पाया? क्या पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. ने डॉ. सुदामा कोल के प्रतिवेदन एवं सी.एस.पी. को दिये कथन का अवलोकन किया है? राजस्व निरीक्षक सुदामा कोल के सी.एस.पी. को दिये कथन एवं प्रतिवेदन की एक प्रति उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अपराध क्रमांकों के परिप्रेक्ष्य में हुई कूट रचना कर कलेक्टर सतना ने दिनांक 15.02.2019 को तीन पटवारियों को शासकीय अभिलेखों में हेरा-फेरी व कूट रचना करने पर निलंबित कर दिया है? क्या पुलिस अधीक्षक सतना/अति. पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. इन पत्रों का अवलोकन कर इन तीनों पटवारियों का नाम प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अपराध क्रमांकों में जोड़ेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? निलंबित हुये कर्मचारियों के आदेशों की एक प्रति दें।

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। प्रकरण विवेचना से संबंधित होने से कथन एवं प्रतिवेदन की प्रतिलिपि दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। **(ग)** जी हाँ, प्रकरण विवेचनाधीन है। विवेचना के दौरान आई साक्ष्य अनुसार कार्यवाही की जाती है अतएव समय सीमा बताये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। निलंबन आदेश की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' ''ब'' एवं ''स'' अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - ''तीन''</u>

उचित मूल्य की दुकानों का संचालन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

19. अता.प्र.सं.4 (क्र. 673) श्री रामपाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं, किन-किन संस्थाओं/समिति समूह द्वारा उनका संचालन किन-किन शर्तों पर किया जा रहा है। **(ख)** उक्त दुकानों से क्या-क्या सामग्री किस दर पर उपभोक्ताओं को दी जाती है दुकान खुलने के दिन, समय बतावें, वितरक को कितना कमीशन दिया जाता है। **(ग)** 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस दुकान को कितनी कमीशन राशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया? **(घ)** उक्त कमीशन राशि तथा खाली बारदानों का क्या-क्या उपयोग किया गया पूर्ण विवरण दें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) :

[(क) प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। उचित मूल्य की दुकानों के संचालन की शर्तों का प्रावधान मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में किया गया है जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** उक्त दुकानों से गेहूं, चावल, नमक एवं बाजरा 01 रुपये प्रति किलोग्राम, चना 27 रुपये प्रति किलोग्राम, शक्कर 20 रुपये प्रति किग्रा. एवं केरोसीन 33 रुपये प्रति लीटर से 34.50 रुपये प्रति लीटर की दर से पात्र परिवारों को वितरित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 के प्रावधानों अनुसार शासकीय उचित की दुकान रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर शेष सभी दिवस न्यूनतम 06 घंटे के लिए खोले जाने का समय निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्र में एक विक्रेता द्वारा एक से अधिक उचित मूल्य दुकानों के संचालन की दशा में सप्ताह में 2 से 3 निर्धारित दिवसों में खोली जाती है। देय कमीशन के मापदंड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ग)** विक्रेता द्वारा केरोसीन का विक्रय करने पर उसे कमीशन की राशि स्वत: प्राप्त हो जाती है। मध्यप्रदेश प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा भुगतान की गयी कमीशन की राशि की जानकारी एकत्रित करायी जा रही है। **(घ)** निर्धारित कमीशन राशि तथा खाली बारदानों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग संबंधित संस्था के द्वारा स्वयं विवेक से उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु दुकान भवन किराया, बिजली देयक, विक्रेता का वेतन, स्टेशनरी आदि अन्य आवश्यक खर्चों में किया जाता है।**] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। उचित मूल्य की दुकानों के संचालन की शर्तों का प्रावधान मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में किया गया है जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** उक्त दुकानों से गेहूं, चावल, नमक एवं बाजरा 01 रुपये प्रति किलोग्राम, चना 27 रुपये प्रति किलोग्राम, शक्कर 20 रुपये प्रति किग्रा. एवं

केरोसीन 33 रुपये प्रति लीटर से 34.50 रुपये प्रति लीटर की दर से पात्र परिवारों को वितरित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 के प्रावधानों अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर शेष सभी दिवस न्यूनतम 06 घंटे के लिए खोले जाने का समय निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्र में एक विक्रेता द्वारा एक से अधिक उचित मूल्य दुकानों के संचालन की दशा में सप्ताह में 2 से 3 निर्धारित दिवसों में खोली जाती है। देय कमीशन के मापदंड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ग)** 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय उचित मूल्य दुकानादारों को दिये गये कमीशन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। **(घ)** निर्धारित कमीशन राशि तथा खाली बारदानों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग संबंधित संस्था के द्वारा स्वयं विवेक से उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु दुकान भवन किराया, बिजली देयक, विक्रेता का वेतन, स्टेशनरी आदि अन्य आवश्यक खर्चों में किया जाता है।

भूमि खूर्द बुर्द किए जाने की जाँच

[अध्यात्म]

20. अता.प्र.सं.71 (क्र. 732) श्री प्रदीप पटेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिले के तहसील रघुराजनगर के अंतर्गत पटवारी हल्का कृपालपुर में स्थित रामटेकरी मंदिर, पटवारी हल्का डिलौरा में डालीबाबा मंदिर तथा पटवारी हल्का बम्हनगवां में स्थित मंदिर मौजा सोहौला के अंतर्गत श्री सन्यासी बाबा धाम पचमठा है? उक्त मंदिरों की जमीन 1958-59 के रिकार्ड में कितनी है तथा वर्तमान में कितनी बची है? उक्त मंदिरों की पूर्व में कितनी आराजी थी और वर्तमान में कितनी बची है? किसके आदेश से निजी स्वामित्व में दर्ज हुई है? पूरा विवरण मंदिरवार दें। **(ख)** क्या सतना के तत्कालीन कलेक्टर प्रसन्न दास के द्वारा जगतदेव तालाब की मोड एवं उसकी भूमि पर हुये अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु नोटिस जारी किये थे? हां तो उक्त अतिक्रमण कब तक हटाये जायेंगे? **(ग)** क्या उक्त मंदिर एवं प्रश्नांश (ख) तालाब की आराजी की जांच राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर करायेंगे? नहीं तो क्यों? उक्त मंदिरों की जमीन जो खुर्द-बुर्द कर दी गयी है उसे पुन: मंदिरों के खाते में कब जायेगी जिसके संरक्षक जिला कलेक्टर स्वयं है? **(घ)** राजस्व, सिविल से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूमि खुर्द-बुर्द किए जाने में शामिल उत्तरदायी अधिकारियों एवं भू-माफियाओं के विरूद्ध कब तक एफ.आई.आर. दर्ज करा दी जायेगी? नहीं तो क्यों?

अध्यात्म मंत्री (श्री कमल नाथ) : [(क) से **(घ)** भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत पटवारी हल्का कृपालपुर में रामटेकरी मंदिर, पटवारी हल्का सतना में डालीबाबा मंदिर एवं पटवारी हल्का बम्हनगवां में नहीं है। ग्राम बम्हनगवां में कोई मंदिर नहीं है। पटवारी हल्का बाबुपुर मौजा सोहावल में सन्यासी बाबा धाम पचमठा मंदिर है। उक्त मंदिर की जमीन क्रमश:-1958-59 एवं 1963-64 खसरे के

अनुसार निम्नानुसार है :- 1- रामटेकरी/ नरसिंह टेकरी मंदिर कृपालपुर- उक्त मंदिर के नाम से भूमि दर्ज नहीं है। मौजा कृपालपुर कोलगवां, सोनौरा चेक उतैली को मिलाकर कुल किता 22 रकबा 49.12 एकड़ भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज अभिलेख है। जिनके नाम ग्राम कृपालपुर में श्री जयरामदास चेला, लक्ष्मण दास बैरागी, बालगोबिन्ददास चेला, जगन्नाथदास बैरागी, जयरामदास चेला, ऋषिदास बैरागी साकिन देह नरसिंहटेकरी मौजा कोलगगवां में बाबा सरजूदास चेला, बाबा गोबिन्दास सा. नरसिंहटेकरी, मौजा-सोनौरा चेक उतैली की आराजी में जयरामदास बल्द संत ऋषिदास वैरागी है। 2- डालीबाबा मंदिर सतना :- डालीबाबा मंदिर के नाम से कोई आराजी दर्ज अभिलेख नहीं है। भूमि स्वामी स्वत्व में कुल आराजी 11 किता कुल रकबा 26.43 एकड़ दर्ज अभिलेख है। मौजा इटौरा में महंत बद्रीदास जी एवं रामसेवक तनय टीकमदास सा. इटौरा के नाम दर्ज अभिलेख है। मौजा डेलौरा की आराजी में महंत बद्रीदास सा. इटौरा के नाम से दर्ज अभिलेख है। 3- सन्यासी बाबा पचमठा धाम सोहौला :- के नाम से कोई आराजी नहीं है। आराजी क्र. 272/1क रकवा 4.755 हे. के अंश भाग में निर्मित है। भूमि मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज अभिलेख है। 4-पटवारी हल्का बम्हनगवां :- ग्राम बम्हनगवां में कोई मंदिर नहीं है। उपरोक्त मंदिरों की भूमि की वर्तमान में स्थिति निम्नानुसार है :- 1- रामटेकरी/नरसिंह टेकरी मंदिर कृपालपुर :- उक्त मंदिर में मौला कृपालपुर, सोनौरा चेक उतैली, कोलगवां तीनों ग्रामों को मिलाकर आराजी कुल किता 12 कुल रकबा 4.316 एकड़ है जिसमें प्रबंधक कलेक्टर के नाम से दर्ज अभिलेख है। शेष आराजी पूर्व से बिक्री होने के कारण कई बटांकों में स्थापित है। 2- डालीबाबा मंदिर सतना :- उक्त मंदिर मौजा इटौरा, डेलौरा की भूमि में पूर्व से भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज होने के कारण वर्तमान में विक्रय के माध्यम से कई बटांकों में भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज है। 3- सन्यासी बाबा पचमठा मंदिर सोहौला :- के नाम भूमि वर्तमान में भी दर्ज अभिलेख नहीं है। उक्त मंदिरों के भूमि के संबंध में **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** तालाब की मेड वर्ष 1958-59 में निजी स्वत्व में दर्ज थी तथा आज भी निजी स्वत्व में दर्ज है। अतिक्रमण हटाये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** कोई जांच लंबित नहीं है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** तालाब की मेढ वर्ष 1958-59 से भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है तथा उक्त दो मंदिरों की भूमि भी भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। शासन के निर्देशानुसार वर्ष 1994 से मंदिरों की आराजियों में महंत की जगह नरसिंह टेकरी मंदिर कृपालपुर के नाम से शेष बची आराजी में दर्ज अभिलेख है। जिसका रकवा 4.316 एकड़ है। डालीबाबा मंदिर जो मौजा इटौरा में स्थित है वह भी भूमि स्वामी स्वत्व है। अत: शासन की तरफ एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''चार''

प्रदेश में स्थानांतरण संबंधी

[सामान्य प्रशासन]

21. अता.प्र.सं.75 (क्र. 749) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 18.12.2018 से 11.06.2019 तक प्रदेश में IAS, IPS, IFS एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले हुये उनकी सूची नाम, पदनाम सहित माहवार देवें। **(ख)** यह भी बतावें कि इन पर शासन की कितनी राशि व्यय हुई? एक से अधिक बार तबादले होने वाली सूची भी संबंधित नाम, पदनाम, सहित पृथक से देवें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "A", "B", "C" एवं "D" अनुसार** है। **(ख)** एक ही मुख्यालय में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण होने पर व्यय भार नहीं आता, मुख्यालय से बाहर स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित इकाई को दावा प्रस्तुत किया जाता है। स्थानांतरित अधिकारियों को नियमानुसार स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता आती है, व्यय भार बताया जाना संभव नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "E", "F", "G" एवं "H" अनुसार** है।

<u>लोकायुक्त, E.O.W. जांच पर कार्यवाही</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. परि.अता.प्र.सं. 50 (क्र. 755) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्र.क्र.1695 दिनांक 21.07.2017 में दर्शाये लोकायुक्त व E.O.W. प्रकरणों की अद्यतन स्थिति देवें। दिनांक 22.02.2018 से 31.05.2019 तक इन प्रकरणों के संदर्भ में विभाग व लोकायुक्त E.O.W. के मध्य हुये समस्त पत्राचार की प्रमाणित प्रति देवें। **(ख)** दिनांक 01.07.2017 से 31.05.2019 तक विभाग के किन अधिकारियों, कर्मचारियों पर लोकायुक्त, E.O.W. प्रकरण दर्ज हुये उनकी जानकारी माहवार, वर्षवार देवें। **(ग)** जिन प्रकरणों में लोकायुक्त, E.O.W. ने जांच कर विभाग को भेज दिये हैं उन पर विभाग द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? **(घ)** उपरोक्तानुसार जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्यवाही न कर उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** लोकायुक्त व ई.ओ.डब्ल्यू. प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। पत्राचारों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख)** जानकारी लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त होकर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** तथा ई.ओ.डब्ल्यू. कार्यालय से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। **(ग)** कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सामग्री एवं उपकरणों का क्रय</u>

[महिला एवं बाल विकास]

23. परि.अता.प्र.सं. 28 (क्र. 760) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिला एवं बाल विकास विभाग में जिला स्तर पर सामग्री/उपकरण क्रय करने हेतु क्या नियम/आदेश हैं की प्रति उपलब्ध करावें तथा वर्ष 2016-2017 से 2018-19 में जिला स्तर पर क्रय समिति में कौन-कौन अधिकारी शामिल किये गये नाम, पदनाम सहित बतावें। **(ख)** जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 में प्रश्न दिनांक तक किस फर्म/संस्था से क्या-क्या सामग्री एवं उपकरण किस दर से कितनी-कितनी मात्रा में क्रय कर कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? क्रय सामग्री का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया एवं पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार 2015-2016 से 2018-19 में प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन/संचालनालय से प्राप्त सामग्री/उपकरणों को किस अधीनस्थ संस्था में किस दिनांक को कितनी सामग्री/उपकरण प्रदाय किये गए? वर्षवार पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती इमरती देवी) : [(क) महिला एवं बाल विकास में जिला स्तर पर सामग्री/उपकरण क्रय हेतु म.प्र. भण्डार क्रय नियम का पालन निर्धारित किया गया है। नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में जिला स्तर पर क्रय समिति में शामिल अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की जानकारी एकत्र की जा रही है। **(ख)** विस्तृत स्वरूप होने के कारण जानकारी एकत्र की जा रही है। **(ग)** विस्तृत स्वरूप होने के कारण जानकारी एकत्र की जा रही है।] **(क)** महिला एवं बाल विकास में जिला स्तर पर सामग्री/उपकरण क्रय हेतु म.प्र.भण्डार क्रय नियम का पालन निर्धारित किया गया है। नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (क) अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में जिला स्तर पर क्रय समिति में शामिल अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (ख) अनुसार** है। **(ख)** जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 में प्रश्न दिनांक तक क्रय की गई सामग्री/उपकरण की दर, मात्रा, भुगतान की गई राशि एवं भौतिक सत्यापन संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ग" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "घ" अनुसार** है।

<u>अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण</u>

[सामान्य प्रशासन]

24. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 799) श्री हरिशंकर खटीक : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु शासन ने

प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या नियम बनाये हैं? ऐसे नियमों-आदेशों की छायाप्रति प्रदाय करें। **(ख)** सागर संभाग में ऐसे कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी थे जिनका सेवानिवृत्त के पूर्व प्रश्न दिनांक के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी? उनके नाम, पिता/पति का नाम, जाति, पता, विभाग का नाम, पद, मृत्यु दिनांक, अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले का नाम, विभाग में प्राप्त आवेदन दिनांक सहित संपूर्ण जानकारी दें, जिनके आज भी अनुकंपा देने हेतु प्रकरण लंबित हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि प्रश्न दिनांक तक पात्र होने के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले को किस-किस कारण से अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है? लंबित प्रकरण कब और कहां, किस कार्यालय में लंबित हैं? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण प्रश्न दिनांक तक का कर दिया जावेगा तो कब तक और नहीं तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। **(ख)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** निर्देशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार**। **(ख)** एवं **(ग)** सागर संभाग की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार**। **(घ)** पद रिक्त होने तथा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने पर ही अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

पुलिस द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. का प्रकरण

[गृह]

25. परि.अता.प्र.सं. 1 (क्र. 820) श्री प्रवीण पाठक : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जबलपुर जिले के आधारताल थाना अंतर्गत न्यू रामनगर केशर विहार में दिनांक 09.04.2019 को सूदखोरों के द्वारा अवैध धन वसूली एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने पर श्री बद्रीप्रसाद प्रजापति द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी कोई प्रकरण/शिकायत दर्ज की गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांकित प्रकरण में पुलिस द्वारा किस दिनांक को एफ.आई.आर. दर्ज की गई? क्या मृतक के पास से सुसाईड नोट जप्त किया गया था? यदि हाँ, तो मृतक ने आत्महत्या के लिये प्रेरित किये जाने/प्रताड़ित किये जाने हेतु किन-किन व्यक्तियों को किन कारणों से दोषी ठहराया है? **(ग)** क्या मृतक द्वारा माह फरवरी, 2019 में पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर को श्री बब्लू ठाकुर, निवासी जय प्रकाश नगर, श्री राजू पटेल, निवासी बधैया, मोहल्ला दमोह नाका, ए.एस.आई. विनोद पटेल, गोरखपुर थाना में पदस्थ एवं श्री राजेन्द्र चौधरी बधैया मोहल्ला, जबलपुर के विरूद्ध अवैध रूपयों की मांग कर प्रताड़ित किये जाने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये जाने संबंधी शिकायत दी गई थी? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या पुलिस प्रशासन द्वारा समय पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही नहीं करने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी? प्रश्नांकित प्रकरण में अभी

तक किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? क्या चालान प्रस्तुत कर दिया गया है एवं मृतक के परिवार को शासन द्वारा राहत प्रदान करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** दिनांक 09.04.2019 को मृतक श्री बद्री प्रसाद प्रजापति पिता प्यारेलाल प्रजापति उम्र 50 वर्ष निवासी केशर बिहार न्यू रामनगर की आत्महत्या की घटना के संबंध में थाना अधारताल में मर्ग क्रमांक 31/19 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता की जाँच के आधार पर अपराध क्रमांक 547/19 धारा 306, 34 भारतीय दण्ड विधान का आरोपीगण 01. बबलू ठाकुर उर्फ खेम सिंह 02. राजेन्द्र चौधरी 03. ए.एस.आई. विनोद पटेल के विरूद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। **(ख)** प्रश्नांकित प्रकरण में पुलिस द्वारा दिनांक 10.04.2019 को दर्ज मर्ग की जाँच के आधार पर दिनांक 07.07.2019 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। जी हाँ, मृतक के पास से एक सुसाइड नोट जप्त किया गया है जिसमें प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित व्यक्तियों का उल्लेख होने से प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। **(ग)** जी नहीं, मृतक द्वारा ए.एस.आई. विनोद पटेल, श्री बबलू ठाकुर एवं राजेन्द्र चौधरी के विरूद्ध शिकायत नहीं की है, बल्कि दिनांक 13.02.2019 को मृतक द्वारा पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को प्रेषित शिकायत राजू पटेल के विरूद्ध है। **(घ)** प्रकरण में मृतक की आत्महत्या के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। विवेचना में आये साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। मृतक द्वारा आत्महत्या किये जाने के कारण राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत सहायता राशि नियमानुसार नहीं दी जा सकती है। आवेदिका को अंत्येष्टि सहायता की राशि रूपये 3000/- (तीन हजार रूपये) जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगर निगम जबलपुर के माध्यम से नगद प्रदान की गई है।

इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभाग में कोचिंग का रजिस्ट्रेशन

[नगरीय विकास एवं आवास]

26. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 883) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर, उज्जैन भोपाल संभाग में कितनी कोचिंग संस्थान विभाग के पास रजिस्टर्ड है कोचिंग संचालन हेतु कौन-कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक है यह नियम कब से प्रभावशील है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत 1 जनवरी 17 के पश्चात विभाग के किस-किस जिम्मेदार अधिकारी ने, कब-कब, इन कोचिंग संस्थानों की, कहाँ-कहाँ जांच की? इनमें क्या-क्या कमियाँ पायी गयी? **(ग)** क्या इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में चौथी एवं पांचवीं माला पर संचालित इन कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए नगर निकाय, उच्च शिक्षा एवं प्रशासनिक अधिकारियों के कभी कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी? प्रदेश के हजारों बच्चों की सुरक्षा एवं शोषण को रोकने के लिए विभाग के पास क्या नियम हैं? **(घ)** क्या प्रदेश सरकार कोचिंग सेंटर को अपने

नियंत्रण में लाकर इनके संचालन, फीस वसूली, भवन, भूमि सुविधा के संबंध में अध्यादेश लाने तथा विधानसभा में नवीन अधिनियम बनाने की कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** जी नहीं।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ)** कोचिंग संचालित करने के मापदण्ड संबंधी विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 782 पर दिनांक 19 जुलाई 2019 को सदन में चर्चा के दौरान माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री महोदय तथा माननीय विधायक श्री आरिफ मसूद द्वारा फायर सेफटी पॉलिसी बनाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है। माननीय विधान सभा की कार्यवाही की छायाप्रति **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

DMAT परीक्षा की CBI जांच

[चिकित्सा शिक्षा]

27. परि.अता.प्र.सं. 4 (क्र. 961) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निजी चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटे में चयनित किये गये वर्ष 2009 से 2013 तक के अभ्यार्थियों के नाम, पिता का नाम, पता PMT परीक्षा के प्राप्तांक तथा रैंक सहित सूची देवें तथा बतावें कि उक्त चयन की जांच संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा की गई? यदि हाँ, तो वर्षवार जांच रिपोर्ट से अवगत करावें। **(ख)** AFRC के अपील अथारिटी पी.के. दास ने जिन 721 अभ्यर्थी के 2009 से 2013 तक के चयन को फर्जी माना उनका नाम, पिता का नाम, पता, PMT के प्राप्तांक, रैंक सहित सूची देवें तथा बतावें कि इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण का क्रमांक क्या हैं तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या हैं? **(ग)** क्या उच्चतम न्यायालय ने श्री आनंद राय तथा श्री पारस सकलेचा की याचिका पर शासन से DMAT परीक्षा की CBI जांच हतु सहमति पत्र मांगा हैं, यदि हाँ, तो प्रकरण क्रमांक बताते हुये उल्लेख करे कि सहमति पत्र भेजा गया या नहीं यदि नहीं तो क्या शासन व्यापमं घोटाले से सबक लेकर शीघ्र सहमति पत्र भेजेगा? **(घ)** NRI कोटे से चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का अध्ययन एवं परीक्षण किस विभाग द्वारा किया जाता है, वर्ष 2016 तथा 2018 की जांच रिपोर्ट की प्रति देवें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) जानकारी वृहत स्वरूप की होने के कारण निजी संस्थाओं से जानकारी एकत्रित की जा रहीं है। **(ख)** वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में चयनित 721 फर्जी अभ्यर्थियों की जानकारी ए.एफ.आर.सी. से प्राप्त की जा रही है। ए.एफ.आर.सी. के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में निम्नलिखित याचिकाएं दायर है :-

संस्था का नाम	याचिका क्रमांक
एल.एन.मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर भोपाल।	8267/2015
इण्डेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर इन्दौर।	8598/2015, 8699/2015
पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल सांइस भोपाल।	8602/2015
चिरायु मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल भोपाल।	10857/2015
आर.डी.गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन।	14559/2015
श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इन्दौर।	14570/2015

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. पी. (सी) 114/15 में पारित आदेशों में डी-मेट परीक्षा की जाँच सी.बी.आई. से कराने हेतु शासन से सहमति पत्र मांगे जाने संबंधी कोई निर्देश नहीं होने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** वर्ष 2016 तक एन.आर.आई. कोटे में प्रवेशित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन संस्था स्तर पर गठित स्क्रूटनी एवं प्रवेश समिति द्वारा किया जाता था। वर्ष 2017 से एन.आर.आई. अभ्यर्थियों का आवंटन संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2017 से प्रवेशित एन.आर.आई. अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच संचालनालय द्वारा की गई थी। वर्ष 2018 में जाँच हेतु कोई निर्देश न्यायालय द्वारा नहीं किए गये।] **(क)** वर्ष 2009 से 2013 तक 06 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में से 05 महाविद्यालयों, श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इन्दौर, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल, एल.एन. मेडिकल कॉलेज भोपाल, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल, आर.डी.गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन द्वारा स्टेट कोटे से वर्ष 2009 से 2013 तक के प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। इण्डेक्स मेडिकल कॉलेज इन्दौर द्वारा आज दिनांक तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। **(ख)** वर्ष 2009 से 2013 तक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में 721 फर्जी अभ्यर्थियों में से वर्ष 2013 में 198 अभ्यर्थियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन तथा उनके क्रमांक की अद्यतन स्थिति की **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(ग)** माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 114/15 में पारित आदेशों में डी-मेट परीक्षा की जाँच सी.बी.आई. से कराने हेतु शासन से सहमति पत्र मांगे जाने संबंधी कोई निर्देश नहीं होने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** वर्ष 2016 तक एन.आर.आई. कोटे में प्रवेशित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन संस्था स्तर पर गठित स्क्रूटनी एवं प्रवेश समिति द्वारा किया जाता था। वर्ष 2017 से एन.आर.आई. अभ्यर्थियों का आवंटन संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2017 से प्रवेशित एन.आर.आई. अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की गई थी। वर्ष 2018 में जाँच हेतु कोई निर्देश न्यायालय/विभाग द्वारा नहीं दिए गए।

वेतनमान एवं सेवावृद्धि का लाभ नहीं दिया जाना

[सहकारिता]

28. अता.प्र.सं.18 (क्र. 1043) श्री प्रदीप पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ के शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवायुक्तों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त भी सेवावृद्धि राज्य शासन के कर्मचारियों जैसी प्राप्त है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार सेवावृद्धि लाभ पाने वाले सेवायुक्तों को क्या यह लाभ न्यायालय आदेशानुसार हुआ? यदि हाँ, तो अन्य लगभग चार सौ सेवायुक्तों को भी क्या न्यायालयीन शरण में जाना पड़ेगा? **(ग)** मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ सेवायुक्तों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दर्ज किये गये प्रकरणों की सुनवाई व शासन का पक्ष रखने हेतु कितनी राशि मई 2019 तक व्यय की गई है अधिवक्तावार भुगतान का विवरण बतायें?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) जी नहीं, अपितु शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर एवं तिलहन संघ में कार्यरत सेवायुक्तों को तिलहन संघ के नियमानुसार अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया गया है, जिन सेवायुक्तों द्वारा तिलहन संघ के सेवानिवृत्ति आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये गए, ऐसे सेवायुक्त न्यायालयीन आदेशानुसार कार्यरत हैं। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार। **(ग)** तिलहन संघ द्वारा प्रदत्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है, शासन के विभिन्न विभागों से न्यायालयीन व्यय की जानकारी एकत्र की जा रही है।] **(ग)** तिलहन संघ द्वारा प्रदत्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

ग्रेसिम उद्योग नागदा जंक्शन पर कार्यवाही

[श्रम]

29. परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 1061) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्र.क्रं. 3990 दिनांक 14.03.18 के पुस्तकालय परिशिष्ट-1 में वर्णित प्रकरण क्र. 977/1/एवं 5436/12 में कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक को मा. सी.जे.एम. न्यायालय द्वारा फरार घोषित किए जाने पर विभाग ने इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या व कब कार्यवाही की? समस्त कार्यवाही की छायाप्रति देवें। **(ख)** यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कारण बताएं। इसके उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम भी देवें। इस अवधि के समस्त अधिकारियों के नाम देवें। **(ग)** उपरोक्तानुसार इन अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

श्रम मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया) : [(क) प्रश्न में वर्णित प्रकरण क्रमांक 977/11 एवं 5436/12 में कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक को माननीय सी.जे.एम. न्यायालय, उज्जैन द्वारा फरार घोषित किया गया। इस प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही जैसे गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा ही की जाना है किसी अन्य विभाग द्वारा नहीं। कार्यवाही के

संबंध में गृह विभाग से जानकारी एकत्र की जा रही है। **(ख)** विभाग द्वारा कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक के विरूद्ध माननीय सी.जी.एम. न्यायालय उज्जैन में प्रकरण दर्ज किया गया था, जो कि वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। विभाग स्तर पर उपरोक्त प्रकरणों में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। शेष कार्यवाही के संबंध में गृह विभाग से जानकारी एकत्र की जा रही है। **(ग)** कार्यवाही के संबंध में गृह विभाग से जानकारी एकत्र की जा रही है।] **(क)** प्रश्न में वर्णित प्रकरण क्रमांक 977/11 एवं 5436/12 में कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक को माननीय सी.जे.एम. न्यायालय, उज्जैन द्वारा फरार घोषित किया गया। प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब", "स" एवं "द" अनुसार** है। **(ख)** विभाग द्वारा कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक के विरूद्ध माननीय सी.जी.एम. न्यायालय उज्जैन में प्रकरण दर्ज किया गया था, जो कि वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। श्रम विभाग स्तर पर उपरोक्त प्रकरणों में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार किया जाकर दो पर ईनाम उद्घोषणा की जाकर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>खनिज विभाग द्वारा विभिन्न किये जा रहे कार्य</u>

[खनिज साधन]

30. अता.प्र.सं.17 (क्र. 1101) श्री रामकिशोर कावरे : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले में वर्ष 2015 से अब तक खनिज विभाग द्वारा उद्योग लगाने के लिए लीज पर जमीन प्रदान की गयी थी तथा उत्पादन करने हेतु जमीन लीज पर दी गयी है खसरा न. रकबा दिनांक एवं कब तक के लिए लीज पर दी गई जानकारी देवें? **(ख)** क्या उत्पादन करने वाली लीज जमीन पर उद्योग लगाया गया है किस-किस नियम से, नियम के आदेश की छायाप्रति एवं उद्योग लगाने की शर्तों की जानकारी देवें? **(ग)** क्या विभाग लीज पर दी गई जमीन का निरीक्षण करता है कि वह शर्तों पर चल रही है या नहीं निरीक्षण करता है यदि हाँ तो निरीक्षण कब-कब किया गया निरीक्षण प्रतिवेदन का विवरण देवे? **(घ)** बालाघाट जिले में वर्तमान स्थिति में किस-किस कार्य के लिए कितने आवेदन लीज हेतु लम्बित हैं आवेदन का दिनांक एवं विलंब का कारण बतावें?

खनिज साधन मंत्री (श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नाधीन जिले में खनिज विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में केवल उद्योग लगाने के लिये कोई भी जमीन लीज पर प्रदान नहीं की गई है। अपितु विभिन्न उद्योगों में खनिज का उपयोग हो सके इस हेतु विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में मुख्य एवं गौण खनिजों का उत्खनन कर उत्पादन हेतु माईनिंग लीज, क्वारीलीज बालाघाट जिले में प्रश्नाधीन अवधि में विभिन्न स्थानों पर प्रदान की गई थीं, जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** है। **(ख)** प्रश्नानुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ के कॉलम नंबर-11 में** है। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में मुख्य एवं गौण

खनिजों के उत्खनन कर उत्पादन करने हेतु जो माईनिंग लीज, क्वारीलीज स्वीकृत की गई हैं, इनके स्वीकृति आदेशों की छायाप्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** है। माईनिंग लीज खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए खनिज (परमाणु तथा हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के तहत एवं क्वारीलीज मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के तहत स्वीकृत की गई है। ये अधिनियम एवं नियम अधिसूचित है। शेष जानकारी अधिनियम/नियम में उल्लेखित है। **(ग)** जी हाँ। बालाघाट जिले में अब तक स्वीकृत लीज में से जिन लीजों का निरीक्षण किया गया है उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर** है। निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर** है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर** है। **(घ)** वर्तमान स्थिति में बालाघाट जिले में विभिन्न गौण खनिजों के लिये प्राप्त क्वारी लीज के लंबित आवेदन पत्र की जानकारी व शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई पर** है।

<u>सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिया गया मानदेय</u>

[संस्कृति]

31. अता.प्र.सं.89 (क्र. 1112) श्री कुणाल चौधरी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2014 से दिसंबर 2018 तक कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम, कराये गये तथा शामिल कलाकारों की कुल कितनी राशि का मानदेय दिया? टेंट, लाईट, होटल, वाहन, यात्रा टिकिट, भोजन, विज्ञापन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इवेंट मेनेजर उपचार, आदि मद में कितना-कितना व्यय हुआ? वर्ष अनुसार जानकारी दें। **(ख)** तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2016-17 की नर्मदा यात्रा को क्या शासकीय आयोजन घोषित किया गया था, बतावें कि यात्रा के दौरान कौन-कौन से स्थान पर कौन सा कार्यक्रम किस कलाकार का आयोजित किया गया? यात्रा पर कुल कितना खर्च हुआ? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित यात्रा के समापन अवसर पर कौन-कौन अतिथि थे तथा कुल कितना खर्च प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विभिन्न पद अनुसार भुगतान किस फर्म/व्यक्ति को किस दिनांक को किया गया? **(घ)** प्रश्नांश (क) से (ग) में उल्लेखित किस कार्य के लिये टेण्डर निकाले गये, कौन सा कार्य स्वीकृत दर से करवाया गया तथा कौन सा कार्य मध्यप्रदेश माध्यम जनसम्पर्क या अन्य विभाग से करवाया गया, यदि किसी कार्य में ऑडिट आपत्ति आई हो तो आपत्ति के प्रकार सहित जानकारी देवें।

संस्कृति मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ): [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। **(ख)** जी हाँ. नर्मदा यात्रा के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रमों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार**. इन कार्यक्रमों पर कुल रूपये 85,52,150/- व्यय हुआ है. **(ग)** नर्मदा यात्रा के समापन अवसर पर अतिथियों को इस विभाग द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है.**]** **(घ)** प्रश्नांश 'क' से 'ग' में उल्लेखित जिन विभिन्न कार्यों के लिए

टेण्डर जारी कर फर्मों का इम्पिलिमेन्ट किया गया. उनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'A' अनुसार.** कुछ आकस्मिक कार्य बाजार दर से एवं कुछ कार्य मध्यप्रदेश माध्यम एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से कराये गए हैं. कुछ कार्यों में महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऑडिट आपत्तियां उठाई गई हैं. **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'B' अनुसार।**

खण्डवा में यातायात व्यवस्था

[गृह]

32. परि.अता.प्र.सं. 26 (क्र. 1144) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में यातायात बाधित करने वाले कितने अतिक्रामकों के विरुध्द कार्यवाही की गई तथा कितनी राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया? **(ख)** क्या खण्डवा नगर में अस्थाई अतिक्रामकों के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है? **(ग)** यदि हाँ तो स्थानीय निकाय एवं यातायात पुलिस द्वारा संपूर्ण शहर में नागरिकों के निर्बाध आवगमन हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है एवं उस पर कब तक अमल किया जावेगा? **(घ)** क्या स्थानीय निकाय एवं यातायात पुलिस के पास कोई कारगर कार्य योजना एवं कार्यवाही नहीं होने से यहाँ के अतिक्रामक बेखैफ हैं? यदि हाँ तो क्या संयुक्त कार्यवाही की जाकर जनता को राहत प्रदान की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क), (ख), (ग) एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** नगर पालिका, निगम, खण्डवा द्वारा गत 03 वर्षों में यातायात बाधित करने वाले 48 अतिक्रामकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा उनसे राशि रूपये 44, 450/- का अर्थदण्ड वसूल किया गया है। जिले की अन्य नगरीय निकायों में संयुक्त कार्यवाही समय-समय पर की गयी है किन्तु जुर्माना वसूल नहीं किया है। **(ख)** नगर निगम एवं पुलिस विभाग द्वारा अतिक्रमकों के विरूद्ध समय-समय पर कार्यवाही की जाकर यातायात व्यवस्थित रखा जाता है। **(ग)** नगर पालिका निगम एवं यातायात पुलिस द्वारा अतिक्रमण से मुक्ति एवं यातायात सुगमता हेतु कार्य-योजना की तैयार की जा रही है। योजनांतर्गत नये पार्किंग स्थल चिन्हित किये जाते रहे हैं, रोड मार्किंग, अस्थाई डिवाईडर की व्यवस्था की जाकर यातायात सुधार किया जा रहा है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** समय-समय पर अतिक्रमणों के विरूद्ध नगर निगम एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जाती है जो एक सतत् प्रक्रिया है।

कर्जा माफी-धोखा या हकीकत

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

33. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 1154) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्तमान सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किये जाने का संकल्प लिया गया था? यदि हाँ तो कितनी राशि का ऋण कब

से माफ किया गया है? **(ख)** खण्डवा जिले के कितने किसानों का कितनी राशि का कर्जा माफ किया गया है? **(ग)** कर्ज माफी की घोषणा के बाद से आज दिनांक तक कितने किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है? इन किसानों के परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता प्रदान की गई है? **(घ)** सरकार की घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के सम्पूर्ण किसानों का फसल ऋण कर्ज कब तक माफ होकर उनके खाते निरंक हो जाएंगे?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) जी हाँ, चालू ऋण खाते में प्रथम चरण में राशि रूपये 50,000 तक का ऋण जो 31.03.2018 की स्थिति में बकाया था एवं एन.पी.ए./कालातीत ऋण 2 लाख तक जो दिनांक 01.04.2007 को या उसके उपरांत 31.03.2018 तक बकाया था माफ किया गया है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** जय किसान फसल ऋण माफी योजना प्रावधान अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। **] (क)** जी हाँ, चालू ऋण खाते में प्रथम चरण में राशि रूपये 50, 000 तक का ऋण जो 31.03.2018 की स्थिति में बकाया था एवं एन.पी.ए./कालातीत ऋण जो दिनांक 01.04.2007 को या उसके उपरांत 31.03.2018 तक बकाया था माफ किया गया है **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** कर्ज माफी घोषणा के बाद से दिनांक 30.06.2019 तक प्रदेश में किसी भी किसान द्वारा कर्ज को लेकर आत्महत्या नहीं की गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** अभी बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - ''पाँच''</u>

<u>मध्यप्रदेश में हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में कार्यवाही</u>

[अनुसूचित जाति कल्याण]

34. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 1302) श्री विनय सक्सेना : क्या सामाजिक न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में वर्ष 2008 से 2015 के बीच हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं एवं घोटाले की कुल कितनी राशि वसूल कर ली गयी है? संस्थावार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियां की गयी हैं? जिलेवार, प्रकरणवार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त, ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा कुल कितनी संस्थाओं की जांच की गयी? जांच में क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? कितनी संस्थाओं की जांच लंबित है? कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिए गये हैं? कितने प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित हैं?

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण मंत्री (श्री लखन घनघोरिया) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** मध्यप्रदेश में वर्ष 2008 से 2015 के बीच अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में जिलों में कुल 65 आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं एवं शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों से कुल राशि रूपये 1, 08, 64, 277/- वसूल की गई है।

संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** लोकायुक्त, ई.ओ.डब्ल्यू. से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' एवं 'द' अनुसार** है।

दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

35. परि.अता.प्र.सं. 24 (क्र. 1309) श्री जसमंत जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिवपुरी जिले के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत मरीजों को नि:शुल्क दवा व जांच का प्रावधान है? **(ख)** सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के तहत यदि कोई चिकित्सक दवा या अन्य जांच बाजार से कराये जाने हेतु लिखता है, तो दण्ड का प्रावधान है? **(ग)** क्या विगत वर्षों में चिकित्सकों द्वारा बाजार से हड्डी के ऑपरेशन हेतु इम्प्लांट मंगाये गये है? यदि हाँ, तो उनकी सूची उपलबध कराई जावे? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) अनुसार यदि हाँ, तो चिकित्सक से लेकर वरिष्ठ विभागीय अधिकारी की मिलीभगत से योजनाबद्ध तरीके से की जा रही अनियमितता के संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक? बतावें। **(ङ)** विगत पांच वर्षों में हड्डी इम्प्लांट डालने के कितने ऑपरेशन हुये? जिनमें से कितने इम्प्लांट शासन ने उपलब्ध कराये हैं तथा शेष कहां से मंगाये गये हैं तथा कितने वर्तमान में शेष हैं? इस संबंध में चिकित्सक का नाम, पद जिलावार जानकारी उपलब्ध करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** जी हाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत नि:शुल्क दवा वितरण का प्रावधान है। नि:शुल्क जांचें सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क दवा वितरण योजना में शामिल नहीं है लेकिन विभाग द्वारा नि:शुल्क जांच का प्रावधान जिला चिकित्सालय से उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं तक है। **(ख)** जी हाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत बाजार से दवा लिखने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है, परंतु जो तत्समय जांचें स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध हैं उन्हें बाजार से कराये जाने हेतु नहीं लिखा जाता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं, शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ड़) विगत 5 वर्षों में शिवपुरी जिला चिकित्सालय में हड्डी इम्प्लांट डालने के 1404 ऑपरेशन किये गये। शासन द्वारा विगत 5 वर्षों में कोई भी इम्प्लांट उपलब्ध नहीं कराये गये। इम्प्लांट आवश्यकतानुसार बाहर से बुलवाये गये वर्तमान में जिला चिकित्सालय में कोई हड्डी इम्पालंट शेष नहीं है। शिवपुरी जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

सामान्य सभा एवं स्थाई समितियों की आयोजित बैठकें

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

36. परि.अता.प्र.सं. 13 (क्र. 1313) श्री जसमंत जाटव : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले की जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में वर्ष 2015 से कितने निर्वाचित सदस्य हैं? उन निर्वाचित सदस्यों में से किन-किन को किस स्थाई समिति का अध्यक्ष बनाया गया है तथा किन नियमों के तहत समिति का सचिव अधिकृत किया गया है? **(ख)** शिवपुरी जिले की जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में किस वर्ष में कितनी सामान्य सभा/स्थाई समितियों की बैठकें आयोजित कर कितने कार्यवाही प्रस्ताव पारित किये और उन पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या शिवपुरी जिले की जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों की स्थाई समिति के सचिवों द्वारा प्रतिमाह नियमित बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं? यदि हाँ, तो ऐसे कौन-कौन अधिकृत सचिव/विभागीय अधिकारी हैं? उनके नाम एवं पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार।**

शासकीय कर्मचारियों को हवाई जहाज से यात्रा की पात्रता

[खेल और युवा कल्याण]

37. परि.अता.प्र.सं. 25 (क्र. 1315) श्री अनिरुध्द मारू : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हवाई जहाज में यात्रा करने की पात्रता किस ग्रेड-पे तक के अधिकारियों को है। **(ख)** क्या खेल विभाग में प्रभारी संयुक्त संचालक रु. 6600/- में नियुक्त होने के बाद भी कई वर्षों से लगातार नियम विरुद्ध हवाई यात्राएं कर यात्रा बिल का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं? क्या इन्हें हवाई यात्रा करने की पात्रता है? **(ग)** इन्होंने विगत पाँच वर्षों में कितनी हवाई यात्राएँ की हैं एवं यदि पात्रता नहीं है तो क्या यह आर्थिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता? **(घ)** विभाग इस प्रकरण में क्या कार्यवाही करेगा।

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-2/2016/नियम/चार दिनांक 05/09/2019 अनुसार छठवे वेतनमान के ग्रेड-पे रूपये 6600/- प्राप्त करने वाले अधिकारी को राज्य के भीतर हवाई जहाज में यात्रा करने की पात्रता है। **(ख)** जी नहीं। इनके द्वारा जो भी हवाई यात्राएं की गई हैं, वह विभागाध्यक्ष की अनुमति से की गई है। **(ग)** विगत पाँच वर्षों में इनके द्वारा 07 हवाई यात्राएं की हैं। उत्तरांश (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नोत्तर (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनियमितता के प्रकरणों का निराकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

38. अता.प्र.सं.11 (क्र. 1328) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर-उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2016 के पश्चात पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों पर अनियमितता के कुल कितने प्रकरण किस-किस व्यक्ति के खिलाफ कहाँ-कहाँ दर्ज हुए? उन प्रकरणों की वर्तमान स्थिति क्या है? **(ख)** उक्त प्रकरणों में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें एक ही कर्मचारी के खिलाफ सेवाकाल में 1 से अधिक बार प्रकरण दर्ज हुए फिर भी विभाग द्वारा उन्हें आर्थिक जिम्मेदारी के कार्य लगातार दिए जा रहे हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत प्रकरणों में ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनका निराकरण किया जा चुका है? प्रकरण निराकरण का आधार बतायें।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** इंदौर-उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2016 के पश्चात् पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों पर अनियमितताओं के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के कुल 215 प्रकरण दर्ज हुए हैं। प्रकरणवार स्थिति विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** पृष्ठ 1 से 31 **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में से कुल 32 प्रकरण हैं, जिनमें एक ही कर्मचारी के खिलाफ सेवाकाल में अधिक बार प्रकरण दर्ज हुए। **(ग)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत 215 प्रकरणों में से 111 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। परिशिष्ट (अ) में लेखानुसार।

शिवपुरी स्थित भेड़ फार्म की भूमि

[पशुपालन]

39. परि.अता.प्र.सं. 25 (क्र. 1336) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी भेड़ फार्म की भूमि किस उद्देश्य के लिये है और उसका उपयोग किस प्रकार के कार्यों के लिये किया जा रहा है? **(ख)** शिवपुरी स्थित भेड़ फार्म की कितनी भूमि उद्योग विभाग को कब हस्तांतरित की गई है? उद्योग विभाग को भूमि दिये जाने के उपरांत कितनी भूमि शेष बची है? **(ग)** उक्त भूमि का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है तथा भूमि से जनता को क्या लाभ मिल रहा है? **(घ)** क्या शिवपुरी भेड़ फार्म (पड़ोरा भेड़ प्रजनन केन्द्र) की लगभग 1500 बीघा भूमि पर अवैध रूप से खेती की जा रही है? यदि हाँ, तो पशुपालन विभाग के किस अधिकारी के संरक्षण में यह खेती की जा रही है? अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इस गतिविधि से विभाग को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?

पशुपालन मंत्री (श्री लाखन सिंह यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** शिवपुरी भेड़ फार्म की भूमि भेड़पालन के लिए है। स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार के उद्देश्य हेतु भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु की गई। प्रक्षेत्र में उच्च नस्ल के मेढ़ों का देशी

भेड़ों के साथ प्रजनन करा कर उत्पादित संकर नस्ल के मेढों को भेड़ विस्तार केन्द्रों के माध्यम से जिले के भेड़ पालकों को प्रजनन हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कवाये जाते हैं। भूमि का उपयोग भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र के संचालन, भेड़ों को चराने एवं भेड़ों हेतु चारा उत्पादन के लिये किया जा रहा है। **(ख)** दिनांक 29.4.2015 एवं दिनांक 2.6.2015 को क्रमश: 93.26 हे. एवं 788.43 हे. कुल 881.69 हे. भूमि उद्योग विभाग म.प्र. शासन को हस्तांतरित की गई है। उद्योग विभाग को भूमि दिये जाने के उपरांत कुल 197.68 (79.08 हे.) एकड़ भूमि शेष है। **(ग)** प्रक्षेत्र पर उच्च नस्ल के मेढों का देशी भेड़ों के साथ प्रजनन करा कर उत्पादित संकर नस्ल के मेढों को भेड़ विस्तार केन्द्रों के माध्यम से जिले के भेड़ पालकों को प्रजनन हेतु नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाते हैं। उक्त प्रक्षेत्र की भूमि पर उन्नत नस्ल के संकर मेढें उत्पादित किये जाते हैं, जो स्थानीय भेड़ पालकों को प्रजनन हेतु नि:शुल्क प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2017-18 में 38 मेढे भेड विस्तार केन्द्रों के माध्यम भेड़ पालकों को नि:शुल्क प्रदाय किये जा चुके हैं। **(घ)** जी नहीं। शिवपुरी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र की भूमि पर अवैध रूप से खेती नहीं की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रिलायंस जियो टावर की स्थापना

[नगरीय विकास एवं आवास]

40. परि.अता.प्र.सं. 92 (क्र. 1450) श्री संजीव सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक की स्थिति में नरसिंहपुर जिले के अन्तर्गत किन-किन तह. विकासखण्डों में रिलायंस जियो कंपनी के कितने-कितने टावर कब-कब से स्थापित है? **(ख)** क्या कंपनी द्वारा टॉवर स्थापित करने के पूर्व अनुमति ली गई थी? **(ग)** क्या टॉवर स्थापित करने हेतु शासन द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो कितना? **(घ)** शुल्क वसूली का क्या प्रावधान है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** एवं **(ख)** की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। म.प्र. असाधारण राजपत्र दिनांक 06.10.2012 से टॉवर स्थापित करने हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ)** अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा/नवीनीकरण एवं प्रशमन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या चैक के रूप में जमा किये जाते हैं।

परिशिष्ट - "छ:"

अनुसूचित जाति के विकास हेतु संचालित योजनाएं

[अनुसूचित जाति कल्याण]

41. परि.अता.प्र.सं. 36 (क्र. 1457) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या सामाजिक न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सीधी जिले में अनुसूचित जाति वर्ग की जातियां निवासरत हैं?

(ख) क्या इनके विकास हेतु शासन स्तर पर कोई योजनाएं संचालित हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद एवं चुरहट विधान सभा के अंतर्गत आने वाले सीधी जनपद के ग्रामों में पिछले तीन वर्षों में इन जातियों के लिये कौन-कौन से विकास कार्य हुए? विभागवार जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) इन जातियों पर सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में कितनी-कितनी राशि वर्षवार खर्च की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण मंत्री (श्री लखन घनघोरिया) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अवैध निर्माण की शिकायतों पर कार्यवाही

[नगरीय विकास एवं आवास]

42. अता.प्र.सं.101 (क्र. 1465) श्री कमल पटेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01.01.2018 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में मध्यप्रदेश मुख्य सचिव, विभागीय प्रमुख सचिव एवं आयुक्त नगर निगम भोपाल के समक्ष एवं कार्यालय में अवैध निर्माण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण, शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत का संक्षिप्त विषय सहित संपूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** निर्धन, नि:शुल्क कानूनी सहायता समिति, जनसमस्या समाधान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नगर निगम भोपाल में आयुक्त नगर निगम भोपाल की जनसुनवाई, विभागीय प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव एवं विभागीय मंत्री के समक्ष दिनांक 01.01.2018 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के संबंध में की गई प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्यवाही की पृथक-पृथक जानकारी देवें। **(ग)** क्या जनहित में नगर निगम भोपाल सीमा में सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित करने हेतु उच्च स्तरीय जांच टीम गठित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? जनसमस्या समाधान समिति एवं निर्धन, नि:शुल्क कानूनी सहायता समिति या अन्य के द्वारा की गई प्रत्येक शिकायत पर कार्यवाही करायेंगे? यदि हाँ, तो निश्चित समयावधि बतावें। **(घ)** क्या नगर निगम भोपाल में भोपाल विकास योजना 2005 के मस्टर प्लान के विपरीत किये गये आवासीय क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को चिन्हित करने एवं अवैध निर्माण के प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु म.प्र. शासन स्तर पर कमेटी गठित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में**

रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश (ख) से संबंधित शिकायतों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** तथा अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(ग)** अवैध निर्माण चिन्हित करने उन पर कार्यवाही करने तथा उनके प्रशमन की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** अवैध निर्माण चिन्हित करने उन पर कार्यवाही करने तथा प्रशमन की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है जो कि अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत की जाती है। अवैध निर्माण के प्रकरणों की पृथक से समीक्षा करने हेतु कमेटी की आवश्यकता नहीं है।

तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

43. अता.प्र.सं.32 (क्र. 1520) श्री प्रदीप पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रीवा संभाग अन्तर्गत आने वाले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने पूर्ण रूपेण शिक्षकों/सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा के उपरान्त तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान दे दिया है? अगर हाँ तो किस-किस नाम के शिक्षकों/सहायक शिक्षकों को किस दिनांक एवं आदेश क्रमांकों से क्रमोन्नति आदेश जारी हुये? उनकी सूची एवं जारी आदेशों की एक प्रति दें। अगर नहीं जारी हुई तो बचे हुये शिक्षकों/सहायक शिक्षकों की जिलेवार सूची दें। **(ख)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-सी-3-09/2017/3/01 भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर 2017 एवं संचालक लोक शिक्षण, भोपाल के पत्र क्रमांक–स्था.-3/एम/67/2017/ 1802 भोपाल दिनांक 14.11.2017 के द्वारा शिक्षक/सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान दिये जाने का आदेश जारी किया गया था? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में जारी दोनों आदेशों के बाद क्या जिला शिक्षा अधिकारी सतना ने प्रश्नतिधि तक शत्-प्रतिशत क्रमोन्नति आदेश जारी किये। अगर नहीं तो क्या इसकी जानकारी सी.ई.ओ. जिला पंचायत सतना एवं कलेक्टर सतना को है। कलेक्टर एवं सी.ई.ओ. ने प्रकरण में कब व क्या संज्ञान लिया? जारी सभी पत्रों की एक प्रतिलिपि दें। **(घ)** प्रश्नांश (ख) में जारी आदेशों के बाद किस-किस नाम के कर्मचारी उक्त क्रमोन्नति आदेश जारी न करने के प्रश्नतिथि तक दोषी हैं? शासन/जिला प्रशासन कब तक उक्त क्रमोन्नति आदेश जारी करवायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रभुराम चौधरी) : [(क) रीवा संभाग अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली द्वारा पात्रतानुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** प्रदाय किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार।** शेष बचे सहायक शिक्षक/शिक्षकों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग)** सतना जिले में शिक्षक/सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र-तीन अनुसार प्रदाय किया गया है। शेष लोकसेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक यथाशीघ्र आयोजित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। क्रमोन्नति के संबंध में कलेक्टर प्रतिनिधि जिला सतना को संज्ञान में लाया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **] (क)** रीवा संभाग अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी रीवा, सतना सीधी एवं सिंगरौली द्वारा पात्रतानुसार 30 वर्ष की सेवापूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** प्रदाय किया गया है। (परिशिष्ट-1 पूर्व में प्रेषित किया गया है) सतना जिले के शेष बचे 721 सहायक शिक्षकों एवं 62 शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को दिनांक 20.07.2018 को **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदाय किया जा चुका है।

शासकीय अस्पतालों में क्रय की गई सामग्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

44. परि.अता.प्र.सं. 16 (क्र. 1551) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले में स्थित सभी शासकीय अस्पतालों में दिनांक 01.04.2017 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? वर्षवार, राशिवार, सामग्रीवार, अस्पतालवार, जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखनीय सामग्री किस-किस फर्म से किस नियम के अन्तर्गत कितनी-कितनी दर पर खरीदी की गई। **(ग)** क्रय की गई सामग्री का भुगतान किस-किस फर्म को किया गया? फर्मवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाये। **(घ)** प्रश्नांश (क) के सदंर्भ में उल्लेखित स्थान एवं समयानुसार क्या उक्त सभी सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। सामग्री का क्रय भण्डार क्रय नियमानुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा अनुबंधित दर पर क्रय किया गया एवं जिस सामग्री की दर अनुबंध उपलब्ध नहीं है, उनका क्रय, भण्डार क्रय नियम एवं औषधि दवा निति 2009 के अनुसार खुली निविदा पर किया गया। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान अनुसार मान्यता प्राप्त एन.ए.बी.एल. प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के स्थान पर संस्थावार खर्चा विवरण संधारित किया जाता है।

ग्रामीण युवाओं को खेल प्रोत्साहन

[खेल और युवा कल्याण]

45. परि.अता.प्र.सं. 36 (क्र. 1562) श्री रामलाल मालवीय : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण युवाओं को खेल प्रोत्साहन के लिए शासन स्तर से क्या सुविधा दी जाना है? सुविधा का खेलवार सम्पूर्ण विवरण देवें। **(ख)** ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी व कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आधुनिक तरीके से खेलने के लिए मेट-गद्दे के लिए क्या मापदंड है?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** ग्रामीण युवाओं को खेल प्रोत्साहन के लिये विभाग द्वारा प्रति विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण युवा केन्द्र संचालित है, जिसके तहत प्रस्तावित खेलों की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण, युवा एवं सामाजिक विषय पर संगोष्ठि, सेमीनार एवं शिविर, मुख्यमंत्री कप का आयोजन आदि गतिविधि की जाती है। जिसका विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** आधुनिक तरीके से कबड्डी खेल की प्रतियोगिता का एरिना 16 मी. X 14 मी. तथा कुश्ती खेल की प्रतियोगिता का एरिना 12 मी. X 12 मी. का होता है। इन खेलों की प्रतियोगिता सिंथेटिक मेट्स पर आयोजित की जाती है।

परिशिष्ट - ''सात''

अपूर्ण कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

46. अता.प्र.सं.46 (क्र. 1583) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले में मनरेगा योजना अन्तर्गत जल संसाधन संभाग रीवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, डी.पी.आई.पी. को निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे? यदि हाँ, तो वर्तमान में विगत 05 वर्षों में प्रारंभ कार्यों में से अपूर्ण कार्यों की संख्या बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) से संबंधित अपूर्ण कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की राशि क्रियान्वयन एजेंसीवार उपलब्ध करायी जावे। **(ग)** क्या जो अधूरे कार्य हैं उसमें अनियमितता की गई है? अनियमितता कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? की जायेगी तो कब तक?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। प्रश्नांश की शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट - ''आठ''

विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे होस्टलों की जानकारी

[अनुसूचित जाति कल्याण]

47. अता.प्र.सं.44 (क्र. 1724) श्री संजय शुक्ला : क्या सामाजिक न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा इन्दौर जिला अंतर्गत

कितने होस्टल/छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? कितने शासकीय भवनों में व कितने प्रायवेट भवनों में संचालित किये जा रहे हैं व कितनी राशि किराये के रूप में दी जा रही है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 05 वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होस्टलों हेतु शासन से कितनी-कितनी राशि (बजट) किस-किस मद से आवंटित की गई? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में इन्दौर जिला अंतर्गत छात्रावासों/होस्टलों में क्या-क्या कार्य कराये गये? कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? प्रशासनिक स्वीकृति किन-किन के द्वारा दी गई? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से कार्य कराये गये? किन-किन एजेन्सियों को भुगतान किस-किस कार्य हेतु किया गया? मदवार जानकारी देवें।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण मंत्री (श्री लखन घनघोरिया) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 59 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 25 कुल 84 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इनमें से 52 शासकीय भवनों में तथा 16 संयुक्त भवन में एवं 16 निजी भवन संचालित किये जा रहे हैं। किराये के रूप में राशि रूपये 874868/- मासिक किराया भुगतान की जा रही है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में नि:शुल्क दवा वितरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

48. परि.अता.प्र.सं. 42 (क्र. 1735) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर संभाग के शासकीय अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में वर्ष भर में मरीजों को नि:शुल्क दवाई वितरण पर कुल कितना खर्चा किया जा रहा है? जिलेवार विगत 02 वर्षों की जानकारी दें। **(ख)** शासकीय अस्पतालों में मरीजों की दवाई एवं अन्य सामग्री क्रय करने की क्या प्रक्रिया है? वर्तमान में किन-किन कंपनियों से दवाई खरीदी की जा रही है? **(ग)** शासकीय अस्पतालों में मरीजों को दवाई वितरण किये जाने की प्रक्रिया क्या है? मरीजों का दवा नहीं मिलने एक्सपाईरी डेट की दवायें स्टोर में रखने, फिर उन्हें फैंकने, जैसी अनियमिततायें रोकने के लिये क्या सरकार कोई पारदर्शी नीति बनायेगी? **(घ)** क्या शासकीय अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली जैनरिक दवायें मरीजों के स्वास्थ्य को ठीक करने के बजाये उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है? क्या इन दवाओं की गुणवत्ता का स्तर सुधारने के लिये सरकार द्वारा मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य के लिये कोई नीति बनाई जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** शासकीय अस्पतालों में औषधियों का क्रय म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कार्पोरेशन

द्वारा निविदा कर निर्धारित दरों पर एवं स्थानीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर किया जाता है। कंपनियों की जिलेवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** औषधि का वितरण समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में स्थापित औषधि वितरण केन्द्रों के माध्यम से नि:शुल्क किया जाता है। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार अवसानित दवाईयों को विनिष्ट किया जाता है। निकट भविष्य में कालातीत होने वाली औषधियों का प्रबंधन ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। पूर्व से ही दवा नीति – 2009 क्रियान्वित है। **(घ)** जी नहीं। औषधियों की गुणवत्ता हेतु शासन द्वारा निर्धारित डब्ल्यू.एच.ओ., जी.एम.पी. मान्य प्राप्त उत्पादनकर्ताओं से ही दवायें क्रय की जाती हैं एवं एन.ए.बी.एल. प्रयोगशालाओं से औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण कराया जाता है। तदानुसार मरीजों को उच्च गुणवत्ता की दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

49. परि.अता.प्र.सं. 23 (क्र. 1760) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** "जय किसान ऋण माफी योजना" के अंतर्गत रायसेन जिले में कितने किसानों का कितनी राशि का ऋण माफ होगा? संख्या बतायें। **(ख)** रायसेन जिले में किसानों के नाम फर्जी ऋण, धोखाधड़ी के किन-किन प्रकरणों की जांच जिला एवं अनुविभाग स्तर की समिति द्वारा की जा रही है? उक्त जांच कब तक पूर्ण होगी? **(ग)** 15 जून 19 की स्थिति में रायसेन जिले में कितने किसानों का कितनी राशि का ऋण माफ हो चुका है? किसानों की संख्या बतायें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के किसानों की भूमि को बन्धन मुक्त हेतु किन-किन बैंकों ने SDM, तहसीलदार को कब-कब पत्र लिखे? भूमि कब तक बंधन मुक्त होगी?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** रायसेन जिले में जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत पोर्टल पर दर्ज प्रविष्टि (131945 कृषक संख्या) अनुसार अभी तक 44620 कृषकों का ऋण माफ हो चुका है। शासन आदेशानुसार शेष कृषकों के ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है। **(ख)** रायसेन जिले में किसानों के नाम फर्जी ऋण, धोखाधड़ी के अंतर्गत अनुविभाग बरेली में चैनपुर समिति के 37 डूमर समिति के 08 अनुविभाग रायसेन में SBI बैंक सांची के 03 कृषकों के शिकायती प्रकरणों विरूद्ध विस्तृत जांच कार्यवाही संबंधित अनुविभाग स्तर पर प्रचलन में है। अनुविभाग स्तर से उपरोक्त प्रकरणों की जांच पूर्ण होने एवं दोष सिद्ध पाये जाने पर जिला स्तर से संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार गठित ऋण माफी क्रियान्वयन समिति से कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। **(ग)** रायसेन जिले में 15 जून 2019 की स्थिति में 44620 कृषकों का रूपये 11002.81 लाख का ऋण माफ हो चुका है। **(घ)** जिले में किसी भी बैंक ने एस.डी.एम./तहसीलदार को पत्र नहीं लिखे गये। शेष कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

50. अता.प्र.सं.73 (क्र. 1775) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 अप्रैल 2016 से विदिशा जिले की जनपद पंचायत सिरोंज एवं लटेरी की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए शासन द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य के लिए किन-किन मदों से राशि प्राप्त हुई है? ग्राम पंचायतवार जानकारी देंवे। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक, मूल्यांकन का दिनांक, मूल्यांकन की राशि, भुगतान की राशि, कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति की जानकारी देवें। कार्य अप्रारंभ, अपूर्ण है तो कारण बतावें एवं दोषी कौन है? **(ग)** 1 अप्रैल 2016 से सिरोंज एवं लटेरी जनपद पंचायतों में मनरेगा से ग्राम पचायतों में हितग्राही मूलक व सार्वजनिक कितने निर्माण कार्य हुए हैं? हितग्राहीयों की संख्या कार्य का नाम, स्वीकृत राशि कार्य की भौतिक स्थिति भुगतान की राशि, कार्य का मूल्यांकन यदि कार्य होना शेष है तो क्या कारण है? पंचायतवार जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि निर्माण नहीं हुआ है एवं राशि का भुगतान हो गया है तो दोषी कौन है एवं दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं हुई तो कब तक की जावेगी? पंचायतवार जानकारी देवें। **(ङ)** क्या विगत 2 वर्ष में सिरोंज-लटेरी CEO ने हितग्राही मूलक कार्यों का स्थल निरीक्षण किया है? यदि हाँ तो कब-कब? पंचायतवार जानकारी देवें।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल): [(क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में जनपद पंचायत सिरोंज में मनरेगा से हितग्राही मूलक 1288 एवं सामुदायिक मूलक 1683 कार्य तथा जनपद पंचायत लटेरी में हितग्राही मूलक 974 एवं सामुदायिक मूलक 1163 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में मनरेगा योजना अंतर्गत निर्माण कार्य होने के उपरांत ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ङ)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरोंज द्वारा हितग्राही मूलक कार्यों के किये गये स्थल निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार** है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है **]** (ङ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी द्वारा हितग्राही मूलक कार्यों के किये गये स्थल निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

मठ, मंदिर एवं धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार

[अध्यात्म]

51. परि.अता.प्र.सं. 44 (क्र. 1777) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल संभाग के अंतर्गत शासन द्वारा संधारित मठ, मंदिर एवं धर्म स्थल

कौन-कौन से हैं? जिले के अनुसार ग्राम/नगरवार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या विभाग शासन द्वारा संधारित मठ, मंदिरों एवं धर्म स्थलों के जीर्णोद्धार, निर्माण या विकास के लिए आर्थिक राशि स्वीकृत करता है? यदि हाँ, तो संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में मठ, मंदिर एवं धर्म स्थलों के लिए 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या विभाग के पास विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के शीतला माता मंदिर जिसके प्रबंधक कलेक्टर विदिशा हैं, के मृत्युंजय महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो क्या तकनीकी प्रस्ताव के अनुसार राशि स्वीकृत कर दी गई है? यदि नहीं, तो किन कारणों से? उक्त मंदिर के जीर्णोद्धार की राशि कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?

अध्यात्म मंत्री (श्री कमल नाथ) : [(क) से **(ग)** भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** भोपाल- भोपाल जिले में मठ की जानकारी निरंक है। भोपाल जिले की तहसील बैरसिया स्थित शासन संधारित मंदिरों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। विदिशा-विदिशा जिले शासन संधारित मठ/मंदिर एवं धर्म स्थल की जानकारी ग्राम/नगरवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। सीहोर-सीहोर जिले में शासन संधारित मात्र एक शिव मंदिर ग्राम गिल्लौर, तह. नसरूल्लागंज, जिला सीहोर स्थित है। रायसेन-रायसेन जिले में शासन संधारित 151 मंदिर है, मंदिरों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। राजगढ़-राजगढ जिले अंतर्गत शासन संधारित मठ/मंदिर एवं धर्म स्थल की ग्राम/नगरवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** भोपाल-जी हाँ, आयुक्त के माध्यम से तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि स्वीकृत की जाती है। भोपाल जिले से उक्त समयावधि में शासन संधारित मंदिरों कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से राशि स्वीकृत नहीं की गई है। विदिशा-जी हाँ, शासन द्वारा विदिशा जिले के शासन संधारित मंदिरों दिनांक 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक स्वीकृत राशि की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। सीहोर-जी हाँ, ग्राम गिल्लौर, तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 3-61/2017/छः दिनांक 7 सितम्बर 2017 शिव मंदिर गिल्लौर को राशि रूपये 8:00 लाख स्वीकृत की गई है। रायसेन-जी हाँ, रायसेन जिले अंतर्गत शासन द्वारा शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु दिनांक 01 जनवरी 2016 से जून 2019 तक 10 मंदिरों कुल राशि रूपये 66:64 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। राजगढ़-जी हाँ, जिला राजगढ़ में शासन संधारित मठ/मंदिर/धर्म स्थल के लिए 01 जनवरी से 30 जून 2019 तक स्वीकृत की गई राशि की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्रामीण सड़कों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

52. अता.प्र.सं.81 (क्र. 1800) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में 1 जनवरी, 2008 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? **(ख)** मध्यप्रदेश के मनावर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से गांव, मजरे-टोलों में सी.सी. (सीमेंट-कंक्रीट) सड़कें नहीं हैं? जिन गांवों में सी.सी. सड़कें नहीं हैं, उनमें से कौन-कौन से गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं एवं कौन-कौन से गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़कें स्वीकृत होना बाकी है? **(ग)** उक्त विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लिए 1 जनवरी, 2008 से प्रश्न दिनांक तक सड़क निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किया गया? उक्त राशि किस-किस कार्यों पर खर्च किया गया और कितनी राशि शेष बची? । **(घ)** उक्त विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के जो गांव, मजरे-टोले सी.सी. सड़क से वंचित रह गए हैं, क्या शासन-प्रशासन उन गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़क नहीं बनने के कारण की जांच कराएगा एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या उन गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(घ)** जानकारी सकंलित की जा रही है। **]** (क) मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2008 से प्रश्न दिनांक तक विधायक मद, 14वां वित्त, मनरेगा अभिसरण महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना, स्टॉम्प शुल्क (राज्य स्तर), अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास योजना के तहत सी.सी. रोड निर्माण, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य सरकार की विश्व बैंक वित्त पोषित मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण सम्पर्कता कार्यक्रम (एम.पी.आर.सी.पी.) राज्य सम्पर्कता, राज्य मंडी मद योजना अंतर्गत सड़क निर्माण संचालित है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (घ) शासन के निर्देशानुसार सी.सी. रोड/नाली निर्माण की डी.पी.आर. वर्ष 2016-17 में तैयार की जा चुकी है, उक्त डी.पी.आर. से ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध राशि अनुसार सी.सी. रोड/नाली निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>जिला चिकित्सालयों द्वारा दवाईयों के क्रय में हुई अनियमितता</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

53. परि.अता.प्र.सं. 48 (क्र. 1877) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चंबल संभाग अंतर्गत जिला चिकित्सालयों द्वारा 01 अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने रूपयों की दवाईयां क्रय की गई हैं तथा किस-किस फर्म/एजेंसी से क्रय की गई हैं? क्रय समिति में दर्ज सदस्यों के नाम व पद की स्पष्ट जानकारी प्रदाय की जावे। **(ख)** क्या दवाईयां क्रय करने हेतु विधिवत टेंडर आमंत्रित

किये गये हैं? यदि हाँ, तो उपरोक्त समयावधि में क्रय की गई दवाईयों के टेंडर की प्रतियां उपलब्ध कराई जावे। **(ग)** क्या दवाई प्रदायकर्ता को अनैतिक लाभ देने की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक दवाईयां मंगाई जाकर शासन को करोड़ों रूपये की हानि पहुँचाई गई है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है? दोषी के प्रति क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच</u>

[अनुसूचित जाति कल्याण]

54. परि.अता.प्र.सं. 21 (क्र. 1878) श्री कमलेश जाटव : क्या सामाजिक न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला संयोजक कार्यालय मुरैना द्वारा छात्रावास/आश्रमों में सामग्री पूर्ति हेतु कितनी कौन-कौन सी सामग्री कितनी धन राशि की किस-किस मूल्य पर क्रय की गई? 01 अप्रैल, 2017 से प्रश्न दिनांक तक सामग्री की जानकारी प्रपत्र बनाकर प्रदाय की जावे। **(ख)** क्या अनुसूचित जाति बस्ती के लिए शासन द्वारा भेजा गया बजट यथा हैण्ड पंप, रोड, विद्युतीकरण विद्युत पंप आदि आदि को गैर अनुसूचित क्षेत्रों में व्यय कर दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कृत्य के लिए दोषी कौन है? **(ग)** छात्रवास/आश्रमों की मरम्मत हेतु 01 अप्रैल 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितना बजट प्राप्त हुआ व कहां-कहां व्यय किया गया? छात्रावास/आश्रमों की जानकारी प्रदाय की जावें। **(घ)** क्या क्रय/स्टोर/स्थापना/निर्माण शाखा में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारियों को सामान्यत: 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में पदस्थ करने का नियम है? यदि हाँ, तो जिला संयोजक कार्यालय मुरैना में ऐसे कौन-कौन से कर्मचारी हैं जो कि एक ही शाखा में काफी लम्बे समय से पदस्थ हैं एवं जिन पर शासकीय धन का दुरूपयोग/गबन/वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं? ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को अब तक अन्य शाखा में पदस्थ नहीं करने के लिए दोषी कौन है? क्या शासन ऐसे कर्मचारी/अधिकारियों को भविष्य में उपरोक्त शाखाओं में पदस्थ नहीं करने संबंधी आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण मंत्री (श्री लखन घनघोरिया) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। दोषी होने का प्रश्न उपस्थित होता। व्यय किये गये बजट से किये गये कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब', पम्प के उर्जीकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' तथा विद्युतिकरण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे**

परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार है। **(घ)** जी हाँ। क्रय/स्टोर/संस्था/निर्माण शाखा में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी को सामान्यत: प्रशासकीय कार्य की दृष्टि से समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है। वर्तमान में कोई भी कर्मचारी लंबे समय से एक ही शाखा में पदस्थ नहीं है जिसके उपर धन का दुरूपयोग/गबन/वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हों। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

"तुरनाल" ग्राम को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित करने का प्रस्ताव

[अध्यात्म]

55. अता.प्र.सं.9 (क्र. 1915) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या देवास जिले के नर्मदा किनारे का गांव "तुरनाल" धार्मिक एवं पौराणिक महत्व का गांव है जिसे भगवान "परशुराम" द्वारा अपनी माँ के पिण्डदान करने वाले स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक पांच लड्डू के दर्शन करने आते हैं? **(ख)** क्या इस स्थान को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित करने का कोई प्रस्ताव विगत समय में किन्हीं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुआ था? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या इस स्थान पर मूलभूत सुविधायें विकसित करने का कोई प्लान पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाकर वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया? **(घ)** यदि नहीं तो इतनी प्राचीन पौराणिक धरोहर को सहजने एवं विकसित करने में विभाग की रूचि क्यों नहीं है?

अध्यात्म मंत्री (श्री कमल नाथ) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** पर्यटन विभाग के सीमित विभागीय बजट के कारण।

मृतकों द्वारा किये गये अंगदान

[चिकित्सा शिक्षा]

56. अता.प्र.सं.15 (क्र. 1991) श्री कुणाल चौधरी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2010 से दिसंबर 2018 तक प्रदेश में कुल कितने मृतकों के अंगदान किए गए? अंगदानकर्ता मृतक के उस अभिभावक का नाम, पता, मृतक से संबंध सहित सूची देवें, जिसमें अंगदान का सहमति पत्र दिया? इस अवधि में कौन-कौन से अंग कितने-कितने दान हुये हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस मृतक का कौन-सा अंग दान किया गया तथा वह अंग जिस व्यक्ति को प्रत्यारोपण किया गया? उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, निवास का पता, व्यवसाय, उस चिकित्सालय का नाम जहां अंग प्रत्यारोपण किया गया, उसकी सूची देवें तथा बतावें कि क्या मृतक के अभिभावक को यह जानकारी दी गई है कि वह अंग किस व्यक्ति को प्रत्यारोपण किया जावेगा? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के दान किए अंग जिन व्यक्तियों को प्रत्यारोपण किया गया? उनका चयन किस आधार पर किया गया। **(घ)** क्या अंगदान के नाम पर कुछ बड़े अस्पतालों में करोड़ों का व्यापार एवं खरीद फरोख्त की है? मृतक के अंगों को धनपतियों को करोड़ों में बेचा गया है, तथा मृतक के अभिभावक को यथोचित जानकारी नहीं

दी गई? यदि नहीं तो बतायें कि अंग प्रत्यारोपण के चयन में शासन का कंट्रोल किस प्रकार से है? अगर किसी संस्था/समिति ने यह कार्य किया है तो उसके इससे संबंधित समस्त दस्तावेज दिये जाये।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) 36 ब्रेनडेड (ब्रेनडेड स्टेम डेथ) द्वारा 61 किडनी, 31 लिवर, 16 हार्ट, 2 लंग्स, जिला इन्दौर में एवं चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर (ब्रेनडेड स्टेम डेथ) द्वारा 02 किडनी, 01 लिवर, अंगदान स्वरूप प्राप्त हुए हैं। इन्दौर, जबलपुर में ब्रेनडेड द्वारा किये गये अंगदान के संबंध में **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। शेष संस्थाओं से जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** भारत सरकार का राजपत्र असाधारण, क्रमांक 218, अधिसूचना नई दिल्ली, 27 मार्च 2014, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, का मानव अंग एवं प्रत्यारोपण अधिनियम के नियम 2014 की धारा 32 की उप धारा 11 के तहत जानकारी नहीं दी जा सकती है। साथ ही नेत्र दान व कार्निया प्रत्यारोपण संबंधी जानकारी भारत सरकार की मार्गदर्शिका 2009 के बिन्दु क्रमांक 2.4.2 के अनुसार गोपनीय होने के कारण नहीं दी जा सकती **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। **(ग)** भारत सरकार का राजपत्र असाधारण, क्रमांक 218, अधिसूचना नई दिल्ली, 27 मार्च 2014, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, का मानव अंग एवं प्रत्यारोपण अधिनियम के नियम 2014 की धारा 31 की उप धारा 04 के तहत सम्पन्न की गई जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 (1994 का 42) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदात्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5-27/2014/1/55 दिनांक 13 अगस्त 2014 के माध्यम से अधिष्ठाता, म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय इन्दौर एवं प्रदेश के अन्य सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाताओं को अंग प्रत्यारोपण संबंधी क्रियाकलापों हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है।**] (क)** चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर एवं जबलपुर की जानकारी यथावत है (छायाप्रति संलग्न)। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार** है। चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर/रीवा/ सागर में ब्रेनडेड द्वारा किए गए अंगदान की जानकारी निरंक है।

<u>नर्मदा घाटी जल के उपयोग का विवरण</u>

[नर्मदा घाटी विकास]

57. अता.प्र.सं.20 (क्र. 1995) श्री कुणाल चौधरी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय 2006 से 2016 तक में मुख्यमंत्री के पास कब से कब तक रहा? मध्यप्रदेश अपने हिस्से का 2004 तक कितना जल उपयोग कर चुका था तथा 2018 तक कितना जल उपयोग कर चुका है? यह तीनों मात्रा कैलेण्डर से कितनी

फीसदी कम अथवा ज्यादा है? **(ख)** नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय का पिछले 10 वर्षों का बजट कितना-कितना है, तथा इस घाटी के विकास में 2004 से अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है, तथा उसके बदले प्रदेश को कृषि, बिजली, उद्योग, रोजगार में क्या-क्या हासिल हुआ? **(ग)** क्या नर्मदा में प्रदेश के हिस्से का 18.25 MAF जल में से हम अभी तक मात्र 11:36 MAF जल ही उपयोग कर पाये हैं? यदि हाँ, तो शेष लगभग 7 MAF जल आने वाले वर्षों में हम कैसे उपयोग कर पावेंगे? वर्षवार कैलेण्डर तथा प्रत्येक योजना में उपयोग आने वाली जल की मात्रा सहित बतावें। **(घ)** नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर के लिए विकसित 88 परियोजना के नाम तथा प्रत्येक परियोजना पर आज दिनांक तक पूर्व में किए गए कार्य का ब्यौरा देवें तथा मुआवजे की शेष राशि की जानकारी दें। **(ड.)** नर्मदा घाटी क्षेत्र में फर्जी रजिस्ट्री के रोड पर बने आयोग की प्रमुख अनुशंसा निष्कर्ष क्या है तथा उस अनुसार उत्तर दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? इस आयोग की रिपोर्ट की प्रति देवें।

नर्मदा घाटी विकास मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल) : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** दिनांक 05/12/2005 से 26/08/2007, दिनांक 20/12/2008 से 09/12/2013 एवं दिनांक 23/12/2013 से 03/07/2016 तक। वर्ष 2004-05 तक अधिकतम 4.34 एम.ए.एफ.। वर्ष 2017-18 तक 8.22 एम.ए.एफ.। क्रमश: 63.74 प्रतिशत एवं 19.88 प्रतिशत तक कम है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है। वर्ष 2018-19 तक लगभग 2346.00 करोड़ यूनिट बिजली मध्यप्रदेश को प्राप्त हुई है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" एवं "इ" अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई" एवं "उ" अनुसार** है।

किसानों को भावांतर राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

58. परि.अता.प्र.सं. 10 (क्र. 1998) श्री कमल पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हरदा जिले सहित म.प्र. के किस-किस जिले में कुल कितने किसानों की सोयाबीन, मक्का, मूंग सहित अन्य फसलों के भावान्तर की कितनी राशि कब से किसानों को भुगतान नहीं की गई? जिलेवार, फसलवार विवरण दें। **(ख)** मध्यप्रदेश में किसानों को अपनी फसलों की भावांतर राशि अभी तक नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन दोषी हैं? **(ग)** मध्यप्रदेश में किसानों को भावांतर राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा? **(घ)** मध्यप्रदेश में किसानों को भावांतर की राशि शीघ्र भुगतान के लिए विभाग/शासन ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या शासन की मंशा भावान्तर राशि का भुगतान करने की नहीं है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** भावांतर भुगतान योजना में शामिल फसलों की भावांतर राशि

जिला कलेक्टर्स की मांग अनुसार जिलों को कृषकों के लिए भुगतान बाबत् राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2019-20 में योजना में प्रावधान नहीं है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार। **(घ)** फ्लैट भावांतर भुगतान योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में मक्का एवं सोयाबीन को शामिल किया गया है। फसल मक्का हेतु लाभान्वित पंजीकृत कृषकों के खाते में भुगतान किये जाने हेतु राशि रू. 514.40 करोड़ जिला कलेक्टरों की मांग के आधार पर राशि आवंटित की गई है। **] (क)** हरदा जिले सहित म.प्र. के समस्त जिलों के कृषकों को सोयाबीन, मक्का, मूंग अन्य फसलों सहित 1284665 कृषकों को 2026.59 करोड़ भावांतर की राशि भुगतान हेतु जिला कलेक्टर की मांग के आधार पर (सिवनी जिले को छोड़कर) संपूर्ण म.प्र. के जिलों को दिनांक 06.03.2019 तक अंतिम रूप से आवंटन जारी कर भुगतान कराया जा चुका है। सिवनी जिले की शिकायतें प्राप्त होने के कारण जांच कमेटी गठित कर जांच करने हेतु जिला कलेक्टर को लिखा गया था, आज दिनांक तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण राशि जारी नहीं की जा सकी। **(ख)** म.प्र. के किसानों को अपनी फसलों की भावांतर की पूर्ण राशि जिला कलेक्टरों की मांग के आधार पर जारी की जा चुकी है। **(ग)** (ख) अनुसार कलेक्टरों की मांग के आधार पर आवंटन जारी किया जा चुका है। **(घ)** भावांतर की संपूर्ण राशि का आवंटन जारी किया जा चुका है, अब कोई राशि शेष नहीं है।

<u>कृषकों के कालातीत खातों की ऋण माफी</u>

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

59. अता.प्र.सं. 109 (क्र. 2018) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन की कर्ज माफी योजना के तहत कितने किसानों के कालातीत ऋणों की माफी की गई हैं? उज्जैन जिले की कृषक संख्या से अवगत करायें। **(ख)** कितने किसानों के एक से अधिक ऋण खाते होने के कारण उन्हें अब तक इस योजना से वंचित रखा गया है? उज्जैन जिले की जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार जानकारी चालू खातों के संदर्भ में भी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ख) अनुसार कब तक इन किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) जय किसान ऋण माफी अंतर्गत कृषकों के कालातीत खातों की ऋण माफी की जानकारी एकत्रित की जा रही है। उज्जैन जिले की कृषक संख्या 26409 है। **(ख)** मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का पृ. क्र./डी-17/16/2018/14-3 दिनांक 07 जनवरी 2019 में दिये गये निर्देशानुसार कृषकों के एक से अधिक ऋण खाते होने पर योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार बैंकों के प्राथमिकता क्रम 1. सहकारी बैंक 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 3. राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसार राशि भुगतान की गई है। **(ग)** जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत चालू खातों की ऋण माफी की जानकारी एकत्रित की जा रही है। उज्जैन जिले के कुल 36210 कृषकों के चालू खातों की ऋण माफी की गई है। **(घ)** ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है।

] (क) जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत 1030486 कृषकों के कालातीत ऋणों (NPA) की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिसमें से उज्जैन जिले की कृषक संख्या 26409 है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** शासन द्वारा दिनांक 07 जनवरी 2019 में दिये गये निर्देशानुसार कृषकों के एक से अधिक ऋण खाते होने पर योजनान्तर्गत पात्रता अनुसार बैंकों के प्राथमिकता क्रम 1. सहकारी बैंक 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 3. राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसार राशि भुगतान की गई है। **(ग)** जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत 992245 कृषकों के चालू ऋण (PA) खातों की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिसमें से उज्जैन जिले की कृषक संख्या 36214 है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** समयावधि बताना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - ''नौ''</u>

<u>अनूपपुर जिले में विभागीय कार्यों की जानकारी</u>

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

60. परि.अता.प्र.सं. 113 (क्र. 2028) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01.05.2015 से 31.03.2019 तक अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने-कितने कार्य किस-किस ग्राम पंचायत में स्वीकृत किये गये हैं? कार्यों की संख्या, ग्राम पंचायत कार्य का नाम, लागत स्वीकृति दिनांक सहित जानकारी देवें। **(ख)** उपरोक्तानुसार कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण होने संबंधी स्थिति तथा आहरित राशि की जानकारी देवें। पूर्ण कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन की जानकारी देवें। **(ग)** उपरोक्त कार्यों में से जो कार्य 05 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं की जानकारी भी प्रारंभ (क) अनुसार देवें। इन कार्यों के विरूद्ध आहरित राशि की जानकारी दिनांक सहित देवें यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। **(घ)** समय पर कार्य पूर्ण न करने वाले एवं निगरानी करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **]** (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रश्नाधीन कार्यों में से 05 वर्ष से अधिक समय से कोई कार्य लंबित नहीं है। (घ) समय पर कार्य पूर्ण न करने वाले एवं निगरानी करने वाले अधिकारियों के दोषी होने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आने के कारण कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण</u>

[सामान्य प्रशासन]

61. परि.अता.प्र.सं. 13 (क्र. 2060) श्री विष्णु खत्री : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 15 जून 19 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति उपलब्ध करायें। **(ख)** भोपाल संभाग में अनुकंपा नियुक्ति के किन-किन के प्रकरण कब से क्यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण सहित बतायें एवं इन लंबित

प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? **(ग)** 15 जून 19 की स्थिति में किन-किन के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्र निरस्त किये गये तथा क्यों? प्रकरणवार कारण बतायें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार (ख) एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार।**

ग्रामों में प्रस्तावित एवं संचालित नल-जल परियोजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

62. अता.प्र.सं.60 (क्र. 2081) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नल के माध्यम से जल प्रदाय करने हेतु कौन-कौन सी परियोजना किस-किस गांव में कब से संचालित एवं प्रस्तावित हैं? परियोजना की लागत क्या है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या सभी परियोजनाएं प्रश्न दिनांक को सुचारू रूप से संचालित हैं? यदि नहीं तो किस गांव की परियोजना कब से किस कारण से ख़राब है? सुचारू रूप से प्रारम्भ होने में कितना व्यय होगा? उक्त राशि कौन प्रदाय करेगा? **(ग)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने के बाद परियोजना के रख-रखाव में कितना व्यय किस मद में किया गया? **(घ)** नल-जल परियोजनाएं ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने के बाद क्या पंचायत को इनके संचालन में कोई व्यावहारिक परेशानी आ रही है? यदि हाँ तो क्या? इसे कैसे दूर किया जा सकेगा? यदि नहीं तो क्या कारण है कि लंबे समय तक खराबी को दूर नहीं किया जाता?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री सुखदेव पांसे) : [(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं '2' अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। स्रोत निर्माण को छोड़कर शेष कार्यों हेतु राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाती है, स्रोत विभाग द्वारा विकसित किये जाते हैं। **(ग)** हस्तांतरित परियोजनाओं के रख-रखाव पर हुए व्यय की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है, व्यय की जानकारी संबंधित जनपद पंचायतों के माध्यम से संकलित की जा रही है। **(घ)** जी नहीं। पंचायत द्वारा चाहे जाने पर समय-समय पर विभाग द्वारा तकनीकी सलाह दी जाती है। स्रोत के अभाव को छोड़कर अन्य कारणों से बंद योजनाओं के संचालन-संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं '2' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। स्त्रोत निर्माण को छोड़कर शेष कार्यों हेतु राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाती है। स्त्रोत विभाग द्वारा विकसित किये जाते हैं। **(ग)** जिला पंचायत छतरपुर के माध्यम से प्राप्त ग्राम पंचायतों द्वारा एवं विभाग द्वारा किए गए व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। पंचायत द्वारा चाहे जाने पर

समय-समय पर विभाग द्वारा तकनीकी सलाह दी जाती है। स्रोत के अभाव को छोड़कर अन्य कारणों से बंद योजनाओं के संचालन-संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है।

अपूर्ण कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

63. अता.प्र.सं.22 (क्र. 2092) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कौन-कौन से कार्य है जो प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में कार्यों की स्वीकृत लागत, अब तक किये गये कार्य की मूल्यांकित राशि, किये गये मूल्यांकन उपरांत शेष रहे कार्य की लागत तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित अवधि बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त कार्यों के अपूर्ण होने के क्या कारण है? कब तक पूर्ण होंगे?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **]** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे संशोधित परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे संशोधित परिशिष्ट अनुसार** है।

नल-जल परियोजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

64. परि.अता.प्र.सं. 58 (क्र. 2094) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नल के माध्यम से जल प्रदाय करने हेतु कौन-कौन सी परियोजना किस-किस गांव में कब से संचालित है एवं प्रस्तावित है? परियोजना की लागत क्या है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या सभी परियोजनाएं प्रश्न दिनांक को सुचारू रूप से संचालित है? यदि नहीं तो किस गांव की परियोजना कब से ख़राब है? ख़राब होने का क्या कारण है? सुचारू रूप से प्रारम्भ होने में कितना व्यय होगा? उक्त राशि कौन प्रदाय करेगा? **(ग)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने के बाद परियोजना के रख-रखाव में कितना व्यय किस मद में किया गया?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री सुखदेव पांसे) : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 के अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। स्रोत निर्माण को छोड़कर शेष कार्यों हेतु राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाती है। स्रोत विभाग द्वारा विकसित किये जाते हैं। **(ग)** हस्तांतरित परियोजनाओं के रख-रखाव पर हुए व्यय की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है, व्यय की जानकारी संबंधित जनपद पंचायतों के माध्यम से संकलित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार** है। **(ख)** जी

नहीं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। स्त्रोत निर्माण को छोड़कर शेष कार्यों हेतु राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाती है। स्त्रोत विभाग द्वारा विभागीय मद से विकसित किये जाते हैं। **(ग)** जिला पंचायत छतरपुर से प्राप्त जानकारी एवं विभाग द्वारा किये गये व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है।

<u>निज़ी भूमि पर अवैध कब्ज़ा</u>

[नगरीय विकास एवं आवास]

65. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 2134) श्री महेश परमार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्राम पाडल्याकलां तहसील नागदा के सर्वे नंबर-449/1/मीन 30 रकबा 0.010 स्व. सकुंतला बाई पति बटनलाल की निजी भूमि पर नगर पालिका परिषद का कब्ज़ा है? यदि हाँ, रोड-कांग्रेस के नियमानुसार भूमि के बदले भूमि अथवा मुआवजा संबंधित को क्या दिया गया है? यदि हाँ, तो दोनों बिंदुओं पर सत्यापित दस्तावेज सहित प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत करें। **(ख)** क्या CM हेल्पलाइन द्वारा एवं पीड़िता द्वारा नगर पालिका में इस संबंध में आवेदन दिए गया था? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** क्या बिना वैधानिक अधिग्रहण एवं हस्तांतरण के अथवा सत्यापन के नगर पालिका निजी भूमि पर कब्ज़ा कर सकती है? यदि हाँ, तो किस आधार पर? और यदि नहीं तो उक्त प्रकरण पर उत्तरदायी अधिकारी कौन है एवं पीड़िता को उचित न्याय के लिए क्या कार्यवाही की जाना चाहिए? **(घ)** नागदा नगर पालिका परिषद में इस प्रकार के कितने और प्रकरण हैं जिसमें निजी भूमि सरकारी एजेंसी द्वारा बिना किसी अधिकार के कब्ज़े में ली गयी? **(ङ)** क्या 08/7/2013 को पीड़िता द्वारा नगर पालिका परिषद् में दिए गए आवेदन प्रतिलिपि पर कार्यवाही की गयी थी? यदि हाँ, तो पीड़िता के साथ क्या न्याय किया गया? सत्यापित दस्तावेजों के साथ उत्तर देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। उक्त भूमि पर निर्मित सड़क को लोक निर्माण विभाग द्वारा नगर पालिका नागदा को हस्तांतरित की गई थी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। उक्त शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता से पांच बार या उससे अधिक बार संपर्क करने के प्रयास के उपरांत कोई प्रतिक्रिया प्राप्त ना होने पर शिकायत को बन्द किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। उक्त भूमि का अधिग्रहण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाकर नगर पालिका नागदा को हस्तांतरण किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** नगर पालिका नागदा में निजी भूमि सरकारी एजेंसी द्वारा बिना किसी अधिकार के कब्जे में ली जाने के संबंध में कोई प्रकरण नहीं है। (ड.) पीड़िता द्वारा आवेदन दिनांक 08.07.2013 तहसीलदार नागदा को दिया

गया, जिसकी सूचनार्थ प्रतिलिपि नगर पालिका नागदा को दी गई। उक्त आवेदन सीमांकन से संबंधित होने के कारण निकाय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है।

<u>निजी स्वामित्व की भूमि में लगी इमारती लकड़ी को काटने के मापदण्ड</u>

[वन]

66. अता.प्र.सं.27 (क्र. 2193) श्री रामखेलावन पटेल : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वनमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निजी भूमि पर लगे हुये इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटने के लिये वन विभाग के क्या मापदण्ड है। विभागीय आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाये। **(ख)** क्या निजी भूमि पर लगे हुये इमारती लकड़ी के सूखे वृक्षों के काटने के लिये किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती? यदि हाँ, तो विभागीय आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाये। **(ग)** सतना जिला अन्तर्गत निजी भूमि पर लगे हुये इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटने के लिये वर्ष 2018 से आज दिनांक तक कितने आवेदन कलेक्ट्रेट सतना में लंबित है। तहसीलवार जानकारी उपलब्ध कराई जाये। **(घ)** अनुमति हेतु लम्बित प्रकरणों को कब तक निराकृत किया जाकर अनुमति दी जायेगी?

वन मंत्री (श्री उमंग सिंघार) : [(क) निजी भूमि पर लगे हुए इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटने के लिए वन विभाग में मध्यप्रदेश लोकवानिकी अधिनियम, 2001 एवं मध्यप्रदेश लोकवानिकी नियम 2002 प्रचलित हैं, जिनकी छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "1" एवं "2" अनुसार** है। **(ख)** निजी भूमि पर लगे इमारती लकड़ी के सूखे वृक्षों के काटने के लिये वन विभाग में पृथक से कोई नियम/निर्देश नहीं है। निजी भूमि पर लगे हुए इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत वर्ष 2007 में बनाये गये नियम मध्यप्रदेश वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन नियम 2007 तथा मध्यप्रदेश शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काटकर गिराने तथा हटाने का विनियमन नियम 2007 का प्रावधान है। छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "3" अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। 15 दिवस में जानकारी से माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जाएगा। **]**

(क) निजी भूमि पर लगे हुए इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटने के लिए वन विभाग में मध्यप्रदेश लोकवानिकी अधिनियम, 2001 एवं मध्यप्रदेश लोकवानिकी नियम, 2002 प्रचलित हैं, जिनकी छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "1" एवं "2" अनुसार** है। **(ख)** निजी भूमि पर लगे इमारती लकड़ी के सूखे वृक्षों के काटने के लिये वन विभाग में पृथक से कोई नियम/निर्देश नहीं है, अपितु मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत बने नियमों के तहत मापदण्ड निर्धारित हैं। नियमों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "3" अनुसार** है। **(ग)** कलेक्टर न्यायालय सतना में हरे इमारती वृक्षों के काटने की अनुमति हेतु कुल 09 प्रकरण विचाराधीन हैं। प्रकरणों में तहसीलवार

जानकारी निम्नानुसार है:- रघुराजनगर-1, कोठी-1, मैहर-1, अमरपाटन-2, नागौद-2, बिरसिंहपुर-1, रामपुर बाघेलान-1 कुल 09 प्रकरण **(घ)** अनुमति हेतु लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनवाई पश्चात् किया जायेगा। 15 दिवस में जानकारी से माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जाएगा।

हितग्राहियों को आवास वितरण
[नगरीय विकास एवं आवास]

67. अता.प्र.सं.28 (क्र. 2222) श्री जसमंत जाटव : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला शिवपुरी एवं करैरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास/मुख्यमंत्री आवास/बीआरजीएफ आवास योजना के तहत किस-किस वार्ड एवं किस किस ग्राम में कितना कितना आवास का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध किन-किन व्यक्तियों को आवास दिये गये? वर्षवार नामवार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या आवासों के आवंटन में कतिपय वार्डों एवं ग्रामों में आवास जिस हितग्राही के नाम से स्वीकृत की जाना था उसी नाम के अन्यन व्यक्ति को आवास स्वीकृत कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्षेत्रीय मैदानी किस कर्मचारी के सत्यापन उपरांत यह कार्य किया गया है? नाम व पदनाम सहित बतायें। **(ग)** नगरीय निकाय/ग्रामीण निकायों में प्रश्नांश (ख) अनुसार किस स्तर के अधिकारी द्वारा हितग्राही की पात्रता का परीक्षण उपरांत किस सक्षम अधिकारी के आदेश से आवासों का वितरण किया गया है? नाम व पद नाम बतावें। **(घ)** प्रश्न दिनांक तक कितनी आवासों को पूर्ण करा दिया गया है? कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अप्रांरभ होते हुये भी फर्जी तरीके से हितग्राहियों के खाते में आवास की राशि व्यय कर भुगतान कर दी गई है, जबकि मौके पर कार्य नहीं हुआ है? विस्तृत ब्यौरा एवं वर्षवार हितग्राहीवार सूची उपलब्ध करावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक नगरीय निकायों के लक्ष्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। वार्डवार, नामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** जी नहीं। सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' के कालम-7 अनुसार** है। ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशन में गठित दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा सूची अनुमोदित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी संकलित की जा रही है। **(घ)** 2997 आवास पूर्ण हैं। 2490 आवास अपूर्ण है। फर्जी तरीके से किसी भी हितग्राही के खाते में राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक नगरीय निकायों के लक्ष्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। वार्डवार, नामवार **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"**

अनुसार है। ग्रामीण क्षेत्रों की लक्ष्य एवं स्वीकृत आवास **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र जी-2 अनुसार** है। क्षेत्रवार निकायवार **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र जी–1 अनुसार** है। वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री आवास/बीआरजीएफ आवास योजना में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं है। **(ख)** जी नहीं। सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" के कॉलम-7 अनुसार** है। ग्रामीण क्षेत्र से प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राहियों का चयन एस.ई.सी.सी. डाटा 2011 में शामिल हितग्राहियों को आवास स्वीकृति से पूर्ण 03 सदस्यीय टीम द्वारा सत्यापन कराया जाता है जिसमें सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/क्षेत्रीय पी.सी.ओ. शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत चिरली जनपद पंचायत नरवर में वर्ष 2016-17 में हितग्राही मुकेश जाटव के नाम से त्रुटिवश आवास स्वीकृत की जाकर निर्माण कराया गया। ग्राम पंचायत चिरली जनपद पंचायत रवर में सत्यापनकर्ता सचिव श्री सुनील कुमार एवं पी.सी.ओ. श्री प्रकाश चंद सोहरे हैं। सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** नगरीय क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशन में गठित दल द्वारा किये गये। सर्वेक्षण उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा सूची अनुमोदित की गई है। ग्राम पंचायतों में संबंधित पी.सी.ओ./सचिव/ग्राम रोजगार सहायक के पात्रता परीक्षण के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया जाता है। इसके उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरवर द्वारा एफ.टी.ओ. किया जाकर संबंधित हितग्राही के खाते में राशि जारी की गई है। **(घ)** नगरीय क्षेत्रों में 2997 आवास पूर्ण हैं। 2490 आवास अपूर्ण है। फर्जी तरीके से किसी भी हितग्राही के खाते में राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 21577 आवास पूर्ण तथा 6453 आवास अपूर्ण हैं। प्रश्न दिनांक तक आवासों की पूर्णता/अपूर्णता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र जी-2 अनुसार** है।

<u>सांसदों/विधायकों के पत्रों का शीघ्र निराकरण</u>

[सामान्य प्रशासन]

68. अता.प्र.सं.88 (क्र. 2224) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सासंदो सदस्यों/विधायकों के पत्रों के शीघ्र निराकरण एवं समुचित जवाब देने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल से समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किये गये हैं। यदि हाँ तो प्रश्नकर्ता द्वारा आयुक्त रीवा सभांग रीवा को पत्र क्र. 04, 05, 06, 08, 09 रीवा दि. 01-01-2019, पत्र, क्र.20, 21, दि. 06-01-2019 पत्र क्र.84, 85, 86, 89, दि. 04-02-2019 पत्र क्र.96 दि. 05-02-2019, पत्र क्र.147 दि. 08-03-2019 पत्र क्र.188, दि. 28-03-2019 पत्र क्र.189 दि. 29-03-2019 पत्र क्र.191 दि. 03-04-2019 पत्र क्र.291 दि. 06-06-2019 एवं कलेक्टर कार्यालय रीवा के पत्र क्र.03/रीवा दि. 01-01-2019 पत्र क्र.22, 23/रीवा दि. 06-01-2019 पत्र क्र.33/रीवा दि. 17-01-2019 पत्र क्र.37/रीवा

दि. 18-01-2019 पत्र क्र.43/रीवा दि. 21-01-2019 पत्र क्र.60/रीवा दि. 23-01-2019 पत्र क्र.62/रीवा दि 24-01-2019 पत्र क्र.71/रीवा दि. 28-01-2019 पत्र क्र.87/रीवा दिनाकं 04-02-2019 पत्र क्र.97/रीवा दि. 05-02-2019 पत्र क्र.108/रीवा दि. 12-02-2019 पत्र क्र.112, 113, 114/रीवा दि. 16-02-2019 पत्र क्र.120/रीवा दि. 27-02-2019, पत्र क्र.129/रीवा दि. 06-03-2019, पत्र क्र.146, 148, 151/रीवा दि. 08-03-2019 पत्र क्र.161/रीवा दि. 12-03-2019/रीवा कार्यपालन यंत्री क्योटि नहर सभाग पत्र क्र.226, 231/रीवा दि. 09-05-2019 मुख्य अभियंता गंगा कछार पत्र क्र.227/रीवा दि. 09-05-2019 महाप्रबधक प्रधानमंत्री सड़क पत्र क्र.74/रीवा दि. 29-01-2019 के द्वारा पत्र लिखकर महत्वपूर्ण विषयों के सबंध में कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया था? **(ख)** क्या आज दि. तक उक्त पत्रों के सबंध में कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो उसकी जानकारी उपब्लध करायें। नहीं तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** पत्रों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित परिशिष्ट में दर्शाई गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>शासकीय निर्माण कार्यों हेतु पेड़ों को काटने की अनुमति</u>

[पर्यावरण]

69. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 2236) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में शासकीय निर्माण कार्यों के लिये विभिन्न विभागों द्वारा भवन एवं सड़क निर्माण के लिये विगत वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में कितने पेड़ों को काटने की अनुमति संबंधित विभागों से प्राप्त की गई? विभागवार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** क्या यह अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जितने पेड़ इस निर्माण कार्य के लिये काटे जायेंगे उतने पुन: संबंधित विभाग द्वारा लगाये जायेंगे? **(ग)** यदि हाँ, तो किन-किन प्रोजेक्टों में इस नियम का पूर्णत: पालन किया जाकर वृक्ष लगाये गये हैं? भौतिक सत्यापन के पश्चात् की जानकारी प्रदान करें। **(घ)** जिन प्रोजेक्टों में इस शर्त का पालन नहीं किया गया उन पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सज्जन सिंह वर्मा) : [(क) से **(घ)** प्रश्नाधीन जानकारी पर्यावरण विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। जानकारी विभिन्न विभागों से संबंधित होने से संकलित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "अ-1" एवं "अ-2" अनुसार** है। **(ख)** मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 में नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत वृक्षों को काटने की अनुमति तथा उन्हें पुनः लगाये जाने के संबंध में व्यवस्था निर्धारित की गई है। अधिनियम की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**

"स" अनुसार है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "अ-1", "अ-2" एवं "ब" अनुसार** है। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत कार्य प्रगति पर होने के कारण भौतिक सत्यापन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रत्येक प्रकरण में अनुमतियों में दी गई शर्तानुसार एवं अनुबंधानुसार ही कार्यवाही की जाती है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चार्टर्ड बसों का संचालन

[परिवहन]

70. अता.प्र.सं.95 (क्र. 2466) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में इंदौर, उज्जैन संभाग में चल रही चार्टर्ड बस संचालन के नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या नियमानुसार नगरीय निकाय सीमा में निजी कंपनियों द्वारा निजी बस स्टेण्ड से बस संचालन हेतु निजी कंपनियों को व्यापार की अनुमति दी जा सकती है? यदि हाँ, तो नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। **(ग)** चार्टर्ड बस संचालन में बसों की शहरी एवं मुख्य मार्गों पर गति को लेकर क्या नियम है? उक्त संभाग में विगत 3 वर्षों में चार्टर्ड बस की तेज गति से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुये? स्थान एवं कुल संख्या सहित जानकारी दें। **(घ)** प्रदेश में चार्टर्ड बसों के परमिट, फिटनेस एवं अन्य पंजीयन को लेकर कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने इन बसों की जांच की? 1 जनवरी 15 के पश्चात् प्रतिवर्ष इन बसों से कितना-कितना राजस्व प्राप्त हुआ? नियमानुसार चार्टर्ड बस के किराया निर्धारण में परिवहन विभाग का किस तरह का हस्तक्षेप है?

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** चार्टड बस संचालन के संबंध में पृथक से कोई नियम नहीं है। चार्टड बसों के परमिट म.प्र. मोटरयान अधिनियम 1988 में विहित प्रावधानों के तहत जारी किये जाते हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 203 एवं 204 मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 117 के अनुसार जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिसूचना अनुसार निजी बस स्टेण्ड से संचालन हेतु निजी कंपनियों को अनुमति दिये जाने का प्रावधान हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** चार्टड बस के शहरी एवं मुख्य मार्गों पर संचालन के संबंध में पृथक से गति को लेकर नियम नहीं है। यात्री बसों की गति सीमा हेतु भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.04.2015 जारी किया गया है। जिसकी **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी पुलिस अधीक्षक यातायात इन्दौर/उज्जैन के अनुसार उपलब्ध कराई गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। **(घ)** परिवहन सुरक्षा स्क्वॉड इन्दौर/उज्जैन द्वारा चार्टड बसों की चैकिग संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'य' अनुसार** है। शासन द्वारा चार्टड बसों के किराये के संबंध में पृथक से किराया निर्धारण नहीं किया गया है। यात्री बसों के किराये के निर्धारण के

संबंध में शासन द्वारा जारी राजपत्र क्रमांक 295 दिनांक 28.05.2018 की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'र' अनुसार** है।

<u>जेल संबंधी सम्पूर्ण जानकारी</u>

[जेल]

71. अता.प्र.सं.40 (क्र. 2524) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला भिण्ड में कुल कितनी जेल है? उनके नाम, उनके कैदियों की स्वीकृत संख्या उनके विरूद्ध कितने-कितने महिला, पुरूष बंदी है? **(ख)** जिला भिण्ड में जेल विभाग का कुल कितना-कितना अमला स्वीकृत है? उसके विरूद्ध कितना अमला पदस्थ है? जेल का नाम, पद, पदस्थ अमला सहित विवरण देवें। **(ग)** दिनांक 01.01.2017 से प्रश्न दिनांक तक भिण्ड जिले में कितने-कितने ऐसे बंदी हैं जिनकी सजा पूर्ण हो चुकी है या जिनका अभी तक कोई अपराध नहीं है? फिर भी जेल में बंद है। उनका नाम बंदी होने के दिनांक सहित बतावें? इन्हें कब तक रिहा कर दिया जाएगा? **(घ)** दिनांक 01.01.2017 से प्रश्न दिनांक तक भिण्ड जिले में मारपीट, अवैध वसूली रंगदारी की घटनायें शिकायत प्राप्त हुये इनका विवरण देते हुये बतावे क्या-क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) जिला भिण्ड में कुल 04 जेलों, जिला जेल भिण्ड, सब जेल लहार, सब जेल गोहद एवं सब जेल मेहगांव है। इन जेलों की आवास क्षमता एवं परिरूद्ध बंदियों की संख्या **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** जानकारी निरंक है। **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (घ)** भिण्ड जिले की जेलों में दिनांक 01/01/2017 से प्रश्न दिनांक तक मारपीट, अवैध वसूली, रंगदारी की घटनाओं की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>मंडला जिले में चिकित्सकों की संख्या व भर्ती विषयक</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

72. अता.प्र.सं.16 (क्र. 2540) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला मंडला के जिला चिकित्सालय सहित समस्त प्राथमिक, सामुदायिक व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद भरे व रिक्त है? रिक्त पद किस अवधि से रिक्त हैं एवं उन्हें भरे जाने को लेकर शासन की क्या कार्ययोजना हैं? **(ख)** क्या पूर्व के वर्षों में चिकित्सकीय व पैरामेडिकल स्टॉफ की आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्तर पर भर्ती की जाती थी? यदि हाँ, तो वर्तमान में यह व्यवस्था क्यों व किस अवधि से बंद हैं तथा भविष्य में स्थानीय स्तर पर भर्ती को लेकर क्या योजना है? **(ग)** क्या वर्तमान में रिक्त पदों के विरूद्ध स्थानीय स्तर पर निजी चिकित्सालयों व निजी चिकित्सकों को मानदेय आधार पर प्रतिदिन निर्धारित समय हेतु

सेवाएं देने संबंधी कोई योजना है? यदि नहीं तो क्या इस व्यवस्था को अमल में लाकर वर्तमान में चिकित्सकों की कमी पूरी की जायेगी? **(घ)** ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे टोले, मजरे जहां नेटवर्क व एप्रोच की समस्या है, वहां बाईक एम्बुलेंस की व्यवस्था प्रारंभ करने को लेकर क्या कोई योजना है? यदि हाँ, तो इस व्यवस्था को कब तक प्रारंभ किया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है **] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं होते हैं। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण संस्थाओं में शतप्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है एवं वर्तमान में मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण, पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। अतः विशेषज्ञ के पद भरे जाने में कठिनाई हो रही है। विभाग में कार्यरत स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमाधारी चिकित्सकों की पदस्थापना विशेषज्ञ के रिक्त पदों अनुसार की जाकर, स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञ सेवायें प्रदान किए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है एवं एन.एच.एम. के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी/स्नातकोत्तर चिकित्सकों की पदस्थापना वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से किए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। **(ख)** जी हँ। जिला स्तर पर संविदा चिकित्सकों पदों की पूर्ति हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पृथक-पृथक विज्ञापन जारी किए जाने तथा एक ही दिवस में विभिन्न जिलों में रिक्तियों की पूर्ति हेतु साक्षात्कार आयोजित होने से अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों हेतु आवेदन करने के लिये आ रही कठिनाईयों के कारण चिकित्सकों की संविदा 300 पदों के विरूद्ध संविदा नियुक्ति केन्द्रीकृत की गई तथा वर्ष 2012 में संचालनालय स्तर से संविदा नियुक्ति की कार्यवाही करते हुए माह फरवरी 2012 में 249 संविदा चिकित्सकों की पदस्थापना एक साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में की गई। इसके उपरांत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग-पत्र प्रेषित किए जाकर, पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पैरामेडिकल संवर्ग हेतु मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र दिनांक 04.10.2013 के द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखे गए पदों को संयुक्त चयन परीक्षा से भर्ती किए जाने के संबंध में नियम प्रकाशित होने के उपरांत से स्थानीय स्तर पर भरती की कार्यवाही प्रतिबंधित की गई। **(ग)** जी नहीं। नियमित चिकित्सकों की पदस्थापना मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन उपरांत तथा संविदा एन.एच.एम. चिकित्सकों की पदस्थापना प्रति बुधवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यालय से निरंतर जारी है। **(घ)** जी नहीं, इस प्रकार की योजना विचारण में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "दस"</u>

<u>पिपलौदा आउटडोर स्टेडियम के संबंध में</u>

[खेल और युवा कल्याण]

73. अता.प्र.सं.80 (क्र. 2557) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पिपलौदा मुख्यालय पर जन मुख्यालय होकर 52 ग्राम पंचायतों के लगभग 90 से 100 गांव सम्मिलित होते है तथा यही नगर परिषद् होकर उसका भी मुख्यालय है? **(ख)** यदि हाँ, तो बताएं कि क्षेत्र की बड़ी तहसील का ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा भाग एवं अर्ध शहरी नगर पिपलौदा का क्षेत्र अर्थात संपूर्ण शहरी एवं ग्रामीण एवं बड़ी तहसील तीनों प्रकार से एक बहुत बड़े क्षेत्र के मुख्यालय का केन्द्र स्थान है? **(ग)** यदि हाँ, तो विगत कई वर्षों से शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का मुख्यालय होने के बावजूद पिपलौदा मुख्यालय पर आउटडोर स्टेडियम स्वीकृत किये जाने की क्षेत्रीय मांग अब तक लंबित है? **(घ)** यदि हाँ, तो विगत कई वर्षों से शासन/विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा एवं क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा भी क्षेत्रीय आवश्यकता की स्वीकृति दिये जाने की मांग लगातार की जा रही है? तथा प्रश्नकर्ता द्वारा विगत कई वर्षों से सदन में प्रश्नों के माध्यम से एवं संबंधित अधिकारियों के पत्रों के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया है तो आउटडोर स्टेडियम की स्वीकृति कब तक दी जाऐगी?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। भूमि खेल विभाग को आरक्षण करने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि आवंटित होने के पश्चात् अगामी कार्यवाही की जा सकेगी। **(घ)** जी हाँ। भूमि खेल विभाग को आवंटित होने के पश्चात् आउटडोर स्टेडियम का निर्माण ''पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग'' के द्वारा परफॉरमेंस ग्रांट से किया जाता है।

<u>विभागीय कार्यों के संबंध में</u>

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

74. अता.प्र.सं.45 (क्र. 2561) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन/विभाग द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना के माध्यम से दो लाख रूपये तक की राशि के बकाया ऋणों से किसानों को कर्जमुक्त कर उन्हें कर्ज मुक्ति के प्रमाण स्वरूप प्रमाण पत्र भी दिये गये हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो रतलाम जिले में कुल कितने कर्जदार किसानों को चिन्हित किया गया, उनमें से कुल कितने किसानों को इसका लाभ मिला, कितने किसान बकायादार होकर उनमें से कितने लाभान्वित हुए? **(ग)** क्या इस योजना के क्रियान्वयन के साथ ही समस्त किसान खाद-बीज लिये जाने का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा किसान नगद लेनदेन भी कर सकेंगे? **(घ)** यदि हाँ, तो ऋण माफी योजना क्रियान्वयन के पश्चात् रतलाम जिला अंतर्गत आने वाली समस्त सोसायटियों के अंतर्गत आने वाले सदस्य कृषकों को क्या खाद, बीज एवं नगद लेनदेन की सुविधाएं प्रदान की जा रही है? साथ ही ऋण मुक्ति योजना के बावजूद सोसायटियों द्वारा वसूली हेतु जबरन वसूली नोटिस दिये जा रहे है, तो किन-किन सोसायटियों द्वारा किस-किस अधिकारियों के माध्यम स नोटिस दिये गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। शासन द्वारा राशि रूपये 2 लाख तक के एन.पी.ए./कालातीत खाताधारी किसानों को कर्ज मुक्त कर ऋण माफी प्रमाण पत्र दिये गये है। **(ख)** रतलाम जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के 102951 एवं राष्ट्रीयकृत व क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के 44197 इस प्रकार कुल 147148 कर्जदार किसानों को चिन्हित किया गया है। इन कर्जदार किसानों के विरूद्ध जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के 61571 एवं राष्ट्रीयकृत व क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के 2035 किसान इस प्रकार प्रथम चरण में कुल 63606 किसानों को लाभान्वित किया गया है। **(ग)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना के क्रियान्वयन उपरांत प्रथम चरण में कलेक्टर लॉगिन से स्वीकृत 61571 किसान ही खाद बीज ले जाने का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा नगद लेन-देन भी कर सकेंगे। **(घ)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् रतलाम जिला अन्तर्गत आने वाली समस्त सोसायटियों के अन्तर्गत प्रथम चरण में कलेक्टर लॉगिन से स्वीकृत 61571 कृषकों, सदस्यों को खाद बीज एवं नगद लेन-देन की सुविधा प्रदान की जा रही है। शेष बचे सदस्य गतवर्षों की प्रक्रिया अनुसार खाद बीज एवं नगद लेन-देन की सुविधा ले सकेंगे। जी नहीं सोसायटी के द्वारा वसूली हेतु नोटिस किसी भी किसान को नहीं दिये जा रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>लेबड -नयागाँव फोरलेन में अनियमितता</u>

[लोक निर्माण]

75. परि.अता.प्र.सं. 77 (क्र. 2596) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लेबड़-नयागाँव फोरलेन के निर्माण की कुल लागत कितनी थी, टोल प्रारम्भ से प्रश्न-दिनांक तक कुल कितनी राशी विभिन्न टोल से वसूली गयी, टोल नियमावली में टोल प्रारम्भ से किस-किस वर्ष कितनी-कितनी टोल राशि की वृद्धि, किस-किस नियम के तहत की गयी, टोल राशि वृद्धि के एग्रीमेंट की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? **(ख)** टोल प्रारम्भ से प्रश्न दिनाकं तक कुल कितने-कितने वृक्ष लगाए गये? इनमें कुल कितने बचे रहे एवं कितने नष्ट हुवे? इसका भौतिक सत्यापन कब-कब किस सक्षम अधिकारी ने किया? लेबड़ जावरा तथा जावरा से नयागाँव तक प्रति 5-5 किलोमीटर चल रहे वृक्षों की संख्या बतायें? **(ग)** उक्त फोरलेन में एग्रीमेंट अनुसार कुल कितने ले-बाय कहाँ-कहाँ स्थापित किये गये, इनमें एग्रीमेंट अनुसार क्या-क्या सुविधाएं प्रस्तावित थी क्या सभी ले-बाय पर एग्रीमेंट अनुसार समस्त सुविधाएं दी जा रही है यदि हाँ तो क्या-क्या, यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (ग) अंतर्गत सभी ले-बाय पर शौचालय एव वाहन वाशिंग हेतु पानी की क्या व्यवस्था है? प्रतिदिन इन ले-बाय पर कितने वाहन वाशिंग होते है यदि एक भी नहीं, तो एग्रीमेंट अनुसार सुविधाओं की कमी के क्या कारण है? टोल प्रारम्भ होने से लेकर प्रश्न-दिनाक तक कुल कितने सेफ्टी आडिट कब-कब किये गये? इन आडिट में किन-किन कमियों को पूरा कराया गया? सम्पूर्ण आडिट रिपोर्ट की जानकारी देवे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सज्जन सिंह वर्मा) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** (1) लेबड़-जावरा फोरलेन मार्ग कुल लागत रू. 901.00 करोड़ टोल वसूली राशि रू. 11,39,80,81,128/- मई-2019 तक। टोल प्रारम्भ से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 7 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष में टोल रेट में वृद्धि की जाती है। वृद्धि नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'क' एवं 'ख' अनुसार**। (2) जावरा-नयागांव फोरलेन मार्ग कुल लागत रू. 907.00 करोड़ टोल वसूली राशि रू. 12,37,25,28,938/- जून-2019 तक। टोल प्रारम्भ से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 7 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष में टोल रेट में वृद्धि की जाती है। वृद्धि नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'क' एवं 'ख' अनुसार**। **(ख)** (1) लेबड़-जावरा फोरलेन मार्ग कुल 1,26,372 वृक्ष लगाये गये। जीवित पौधों की जानकारी एवं भौतिक सत्यापन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ग' अनुसार**। (2) जावरा-नयागांव फोरलेन मार्ग कुल 83,997 वृक्ष लगाये गये। जीवित पौधों की जानकारी एवं भौतिक सत्यापन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ग' अनुसार**। **(ग)** (1) लेबड़-जावरा फोरलेन मार्ग विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'घ' अनुसार**। (2) जावरा-नयागांव फोरलेन मार्ग विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'घ' अनुसार**। **(घ)** (1) लेबड़-जावरा फोरलेन मार्ग पानी के लिये टैंक है तथा टेंकरों से पानी भरा जाता है तथा हैण्डपम्प खनन भी है। अनुबन्ध में वाशिंग का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष-2016 में सेफ्टी ऑडिट एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा नियुक्त लॉयन कन्सलटेन्सी द्वारा किया गया। ऑडिट में बताई गई कमियों को पूरा किया गया। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ण' अनुसार**। (2) जावरा-नयागांव फोरलेन मार्ग पानी के लिये टैंक है तथा टेंकरों से पानी भरा जाता है तथा हेण्डपम्प खनन भी है। अनुबन्ध में वाशिंग का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष-2016 में सेफ्टी ऑडिट एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा नियुक्त लॉयन कन्सलटेन्सी द्वारा किया गया। ऑडिट में बताई गई कमियों को पूरा किया गया। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ण' अनुसार।**

गौ-शाला निर्माण
[पशुपालन]

76. परि.अता.प्र.सं. 100 (क्र. 2601) श्री कमल पटेल : क्या पशुपालन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन के द्वारा कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र अनुसार म.प्र. के प्रत्येक जिलों में गौ-शालाओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो हरदा जिले सहित म.प्र. के किस-किस जिले में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में 1 दिसम्बर 2018 के पश्चात् गौ-शालाएं निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों? **(ग)** म.प्र. के किस-किस जिले की कौन-कौन सी ग्राम पंचायत में गौ-शाला निर्माण हेतु कितनी-कितनी जमीन आवंटित की गई? 1 दिसम्बर 2018 से आज दिनांक तक की स्थिति में जानकारी दें। **(घ)** म.प्र. के किस-किस जिले में गौ-शाला निर्माण हेतु कितना-कितना बजट प्रदान किया गया? जिलेवार जानकारी दें। क्या गौ-शाला निर्माण हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हाँ, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (श्री लाखन सिंह यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिले में गौशाला निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** शेष रही गौ शालाओं की निर्माण स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** गौशाला परियोजना अंतर्गत एक गौशाला की कुल लागत लगभग रू. 29.62 लाख होगी। गौशालाएं मुख्य रूप से मनरेगा योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के अभिसरण से निर्मित कराई जा रही हैं। गौशाला परियोजना अंतर्गत मॉडल डिजाईन, ड्राईंग निर्देश एवं अन्य व्यवस्थाएं पूर्ण कर अधिकांश गौशालाओं के भूमि चिन्हाकंन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है व निर्माण कार्य की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि
[लोक निर्माण]

77. अता.प्र.सं.84 (क्र. 2626) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या औबेदुल्लागंज-बैतुल खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 69 में होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद तहसील के ग्राम निटाया निवासी प्रेमनारायण पटेल की भूमि अधिग्रहित की गई थी? यदि हँ, तो खसरा क्रमांक एवं रकबा की जानकारी दें। **(ख)** क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सह परियोजना निदेशक बी.एल.मीना द्वारा अपेन पत्र क्रमांक 6866 दिनांक 12.08.2015 से प्रेमनारायण पटेल की भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्या का निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र लिखा गया था? **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित समस्या का निराकरण हो गया है? यदि नहीं तो निराकरण न होने के क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सज्जन सिंह वर्मा) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। खसरा नं. 17/2, रकबा 0.660 हेक्टेयर। **(ख)** जी हाँ। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** हैं।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु
[चिकित्सा शिक्षा]

78. अता.प्र.सं.25 (क्र. 2629) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कौन-कौन से शासकीय/अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय किस वर्ष से संचालित हैं? नाम सहित जानकारी दें। **(ख)** जानकारी दें कि 2010-11 से 2018-19 प्रदेश के श्रेणीवार चिकित्सा महाविद्यालय में (सामान्य/अनु.जाति/अनु.ज.जाति/पिछड़ावर्ग) कितने-कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? **(ग)** प्रत्येक महाविद्यालय में प्रत्येक श्रेणी में प्रवेशार्थियों को कितने न्यूनतम अंक एवं कितने अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रवेशार्थियों ने प्रवेश

किया? **(घ)** जानकारी दें कि 2010-11 के बाद विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश करने वाले कितने छात्र पास हो चुके हैं? वर्षवार, श्रेणीवार जानकारी देते हुए बतावें कि कितने छात्र अभी भी अध्ययनरत् हैं?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार।** (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार।**

नगर निगम सतना अंतर्गत ग्रीन जोन का विकास

[नगरीय विकास एवं आवास]

79. परि.अता.प्र.सं. 104 (क्र. 2676) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना शहर में ग्रीन जोन कहाँ-कहाँ पर बनाये गये हैं, कितने पार्क हैं? कालोनाईजरों द्वारा किन-किन जगहों पर पार्क एवं ग्रीन जोन विकसित किये गए हैं? वर्ष 2015 से अब तक पार्कों एवं ग्रीन जोन एरिया पर व्यय राशि सहित जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार ग्रीन जोन एवं पार्कों में किन-किन किस्मों के कितने-कितने पौधे कब-कब नगर निगम एवं कालोनाइजरों द्वारा लगवाए गए हैं? उनमें से कितने किस-किस किस्म के पौधे बचे हैं एवं कितने नष्ट हो चुके हैं? **(ग)** पार्कों में शहरवासियों की सुविधा के लिए क्या-क्या प्रबंध किये गए हैं? क्या सभी पार्कों में रोशनी, पेयजल, झूला, पौधों आदि की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हाँ तो इन कार्यों में कितनी राशि कब-कब व्यय की गई है? यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक सही सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? व्यय की गई राशि, कराए गए कार्यों की जाँच कब तक कराई जाएगी? **(घ)** जिन कालोनाइजरों द्वारा पार्क/ग्रीन जोन तैयार कराए बिना ही कॉलोनियों को विकसित किया गया है? जमीनों को बेचा गया है? ऐसे कालोनाइजरों के खिलाफ शासन कब तक क्या कार्यवाही करेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) से **(घ)** की जानकारी संकलित की जा रही है। **]** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'– (I, II) एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' के संलग्नक ''क'' अनुसार** है। **(ग)** नगर निगम द्वारा निगम के पार्कों में शहरवासियों की सुविधा के लिये **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** प्रबंध किये गये हैं। सभी पार्कों में सुविधायें उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध की गई सुविधाओं पर वर्षवार व्यय राशि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार** है। अविकसित पार्कों में बजट प्रावधान अनुसार समय-समय पर विकास कार्य कराया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उपलब्ध जानकारी अनुसार किसी भी पंजीकृत कॉलोनाईजर द्वारा (नगर निगम से विधिवत कॉलोनी विकास अनुमति प्राप्त करने के उपरांत) पार्क/ग्रीन जोन तैयार किये बिना

कॉलोनियों को विकसित नहीं किया गया न ही जमीनों को बेचा गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

लीज में प्रदाय की गई आरसी एवं श्रमिक

[खनिज साधन]

80. परि.अता.प्र.सं. 46 (क्र. 2677) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के सोहावल विकासखंड में ग्राम पंचायत बारीकला, बराज, नीमी, भरजुनाकला, बठियाखुर्द, नैना आदि राजस्व ग्रामों की कितनी-कितनी भूमि बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा माइनिंग हेतु ली गई है, शासन द्वारा प्रदान की गई भूमि एवं फैक्ट्री द्वारा अर्जित भूमि की पृथक-पृथक जानकारी खसरा नम्बर, रकबा, भूमि स्वामी क नाम सहित देवें। **(ख)** क्या जिनकी जमीनें फैक्ट्री द्वारा ली गई हैं उनकों रोजगार दिया गया है, यदि हाँ, तो कितनें लोगों की जमीन ली गई एवं कितने लोगों को रोजगार दिया गया, वर्तमान में कितने कार्य पर लगे हुये हैं, कितने श्रमिकों को नियमित किया जा चुका है कितने अभी तक क्यों बाकी हैं तथा कब तक किया जावेगा? **(ग)** क्या माइनिंग क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा पर शासन से रोक है, यदि हाँ, तो नियम निर्देश की प्रति देवें और यह भी बतावें कि उक्त फैक्ट्री के माइनिंग/माइन्स/लीज एरिया में किन-किन ठेकेदारों द्वारा कितने-कितने श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है, नियमों के विपरीत कार्य करने के कारण फैक्ट्री प्रबंधन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी। **(घ)** क्या श्रमिकों से 10-15 साल काम लेने के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है जिसके कारण ऐसे परिवार आर्थिक रूप से बदहाली का जीवन यापन करने को मजबूर हो जाते हैं, ऐसे कितने श्रमिक है उनकों कब तक वापस कार्य पर लिया जाकर नियमित किया जावेगा, यदि नहीं तो क्यों?

खनिज साधन मंत्री (श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **]** **(क)** सोहावल विकासखंड के ग्राम पंचायत बारीकला के ग्राम बारीकला में कुल 76 किता रकबा 97.234 हेक्टेयर, ग्राम पुरैनी में 75 किता रकबा 18.489 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत नीमी के ग्राम बराज में कुल किता 106 रकबा 79.056 हेक्टेयर, ग्राम नीमी में कुल किता 147 रकबा 87.183 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत भरजुनाकला में कुल किता 182 रकबा 70.000 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत बेला के ग्राम बठियाखुर्द में कुल किता 211 रकबा 112.171 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत नैना में कुल किता 106 रकबा 105.222 हेक्टेयर भूमि मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड सतना सीमेंट वर्क्स सतना के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व के रूप में दर्ज अभिलेख हैं। प्रश्नांश के शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त जानकारी अनुसार फैक्ट्री द्वारा 51 लोगों को जमीनें क्रय की गईं तथा सभी 51 लोगों को फैक्ट्री में नियमित नौकरी प्रदान की गई है। भूमि क्रय के संबंध में एक भी भूमि-स्वामी को नौकरी दिया जाना शेष नहीं है। **(ग)** जी नहीं, माइनिंग क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा पर शासन से रोक संबंधी कोई भी

प्रावधान नहीं है। मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त फैक्ट्री के माइनिंग/माइन्स/लीज एरिया में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कार्यरत ठेकेदारों एवं श्रमिकों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। नियमों के विपरीत कार्य करने के संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, अत: फैक्ट्री प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा श्रमिकों से 10-15 साल काम लेने के बाद उन्हें बाहर निकाल दिये जाने जैसी कोई स्थिति प्रकाश में नहीं आई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिम्मेदारों पर कार्यवाही।
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

81. अता.प्र.सं.52 (क्र. 2681) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र सतना के सामुदायिक निर्माण कार्य हेतु किन-किन मदों से 01 अप्रैल, 2016 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायतवार किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत की गई, का विवरण देवें? स्वीकृत कार्यों के व्यय का विवरण भी ग्राम पंचायतवार देवें तथा कार्यों की भौतिक प्रगति से अवगत करावे। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित ग्राम पंचायतों एवं उसमें स्वीकृत कार्यों के संदर्भ में प्राप्त राशि का उपयोग न करने एवं गबन किये जाने पर कितने ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध धारा 92 एवं सरपंचों के विरूद्ध धारा 40 की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। क्या मौके पर कार्य न किये जाने एवं राशि के गबन कराये जाने के लिये सहायक यंत्री उपयंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भी दोषी पाये गये है। यदि हाँ, तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब-कब प्रस्तावित की गई, कार्यवार, ग्राम पंचायतवार जनपद पंचायतवार विवरण देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में कितने ऐसे सचिव है जिनके विरूद्ध धारा 92 की कार्यवाही प्रस्तावित होने के बाद वित्तीय अधिकारों से वंचित नहीं किया गया और उनकों अन्य ग्राम पंचायतों में हटाकर पदांकित नहीं किया गया, क्यों? कितने ऐसे सचिव जिले में हैं जो तीन वर्षों से अधिक समय से पंचायतों में कार्यरत है का विवरण देते हुये बतावें कि इनके हटाये जाने बाबत् क्या नीति शासन ने तैयार की है? **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार राशि गबन किये जाने मोके पर कार्य न किये जाने, के लिये जिम्मेदारों पर जांच उपरांत कार्यवाही प्रस्तावित न करने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? संबंधितों सहित जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार सचिवों के अन्यत्र हटाये जाने एवं वित्तीय प्रभार के संबंध में क्या आदेश जारी करेंगे?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **]** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) ग्राम पंचायत कैमा उन्मूलन के सचिव श्री विष्णुप्रताप सिंह एवं सरपंच श्रीमती रामलली तथा ग्राम पंचायत फुटौधा की सरपंच श्रीमती सुनीता सिंह एवं सचिव श्री अजय सिंह के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत न्यायालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत सतना में प्रकरण पंजीबद्ध है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार ग्राम पंचायत कैमा उन्मूलन एवं फुटौधा के सचिवों को वित्तीय अधिकारों से वंचित किया गया है, संबंधितों को उनकी ग्राम पंचायत से हटाकर अन्य ग्राम पंचायत में पदांकित करने संबंधी कोई निर्देश/प्रावधान नहीं है। तीन वर्ष से अधिक समय से पंचायतों में कार्यरत सचिवों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है, तीन वर्ष से अधिक समय से उसी पंचायत में पदस्थ सचिवों को अनिवार्यत: हटाने बाबत् शासन नीति नहीं है। **(घ)** ग्राम पंचायत सचिव कैमा उन्मूलन एवं फुटौधा के विरूद्ध उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

किसानों की कर्ज माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

82. परि.अता.प्र.सं. 52 (क्र. 2756) श्री मनोहर ऊंटवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आगर-मालवा के कितने किसानों पर 31.03.2018 तक कितना कर्ज बकाया था? **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर कितने किसानों की कितनी राशि का कर्ज माफ कर दिया है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर शेष किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर जिन किसानों ने समयावधि में डिफाल्टर होने से बचने हेतु राशि जमा कर दी है, वह राशि किसानों को वापस की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जिले में 33964 किसानों का राशि रूपये 180.16 करोड़ का कर्जमाफ किया गया है। **(ग)** योजनांतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट - ''बारह''

सह. संस्थाओं द्वारा गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, उड़द की खरीदी

[सहकारिता]

83. परि.अता.प्र.सं. 36 (क्र. 2770) श्रीमती रक्षा संतराम सरौनिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दतिया जिले में वर्ष 2012-13 से 31.5.2019 तक किन-किन सहकारी संस्थाओं द्वारा कितना-कितना गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, उड़द आदि की खरीदी किसानों से की गई? फसल एवं संस्थावार अलग-अलग विवरण दें। **(ख)** वर्ष 2012-13 से 31.5.2019 तक किन-किन संस्थाओं द्वारा फसल एवं संस्थावार खरीद स्कंद नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराया गया और कितनी राशि खरीद के ऐवज में संस्थाओं को प्राप्त हुई

तथा खरीदा गया स्कंद से कितना माल बेयर हाऊस में जमा नहीं कराया गया? संस्थावार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** क्या उपरोक्तानुसार संस्थाओं द्वारा खरीदे गये अनाज का भुगतान किसानों को कर दिया गया? यदि नहीं किया गया तो क्यों और संबंधितों का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? किसान एवं संस्थावार राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें। **(घ)** क्या संस्था खरीद प्रभारियों द्वारा कम जमा किये गये फसलों के विरूद्ध अंतर की राशि वसूली की गई? यदि हाँ, तो राशि, संस्था एवं कर्मचारीवार जानकारी दें और यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग)** वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक गेहूं उपार्जन का पूर्ण भुगतान हो चुका है, वर्ष 2019-20 में गेहूं का भुगतान जस्ट इन टाईम के माध्यम से किया गया है, 03 ईपीओ फेल हो जाने से उसका निराकरण कराया जा रहा है, वर्ष 2018-19 में उड़द, मूंग, मूंगफली में कृषकों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है, वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों में कृषकों को ऑनलाईन पत्रक अनुसार कुल खरीदी राशि रू. 515.58 लाख के विरूद्ध कृषकों को राशि रू. 445.42 लाख का भुगतान हो चुका है, 110 कृषकों को राशि रू. 109.46 लाख का भुगतान शेष है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है, संस्था के स्तर पर आई घटती एवं खरीद के संबंध में जांच कराई जा रही है, कृषकों को भुगतान हेतु कमीशन एवं अन्य व्यय की राशि रू. 94.26 लाख की क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रेषित किया गया है, राशि प्राप्त होने पर कृषकों को भुगतान किया जावेगा, शेष राशि के लिये जांच निष्कर्षों के आधार पर वसूली की कार्रवाई की जाकर कृषकों को राशि भुगतान की कार्रवाई की जावेगी। **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **]** **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है।

माइक्रो प्लांट/वृक्षारोपण के संबंध में
[वन]

84. अता.प्र.सं.112 (क्र. 2783) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल वनमण्डल में विगत तीन वर्ष में वन संवर्धन से जुड़े कितने वृक्षारोपण किये गये? परिक्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** इन वृक्षारोपण करने के क्या नियम हैं तथा विगत तीन वर्ष में कौन-कौन से कार्य किये गये? उस पर कितना व्यय किया गया? उसकी जानकारी दें। **(ग)** इन वृक्षारोपण एवं पेड़ काटने के लिये क्या-क्या नियम हैं तथा कितने पेड़ काटे गये? विगत तीन वर्ष की जानकारी उपलब्ध करावें तथा पेड़ काटने के नुकसान एवं उससे लाभ के संबंध में भी जानकारी दी जावें।

वन मंत्री (श्री उमंग सिंघार) : [(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** वनमंडल भोपाल की कार्य आयोजना के पुर्नस्थापना, सुधार एवं वृक्षारोपण

कार्यवृत्तों में वृक्षारोपण हेतु ड्यू क्षेत्रों में राशि की उपलब्धता अनुसार वृक्षारोपण किया जाता है, जिसके नियम की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 4 अनुसार** है, इस परिशिष्ट में विभिन्न उपचारों के नियमन कार्य निष्पादन के साथ-साथ वृक्षारोपण हेतु प्रक्रिया निर्धारित है। विगत तीन वर्षों में किये गये वृक्षारोपण कार्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(ग)** वृक्षारोपण के नियम से संबंधित जानकारी उत्तरांश (ख) के **परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। वृक्षों के विदोहन का नियमन भोपाल वनमंडल की प्रचलित कार्य आयोजना के अध्याय-2 ''सुधार कार्यवृत्त'' (Improvment Working Circle) के प्रावधानों तथा अध्याय- 11 विविध नियमन के शीर्षक वनोपज विदोहन एवं निर्वतन के अनुसार किया जाता है, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। विगत तीन वर्षों में विदोहन कार्य के तहत काटे गये वृक्षों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है। कार्य आयोजना अनुसार ड्यू कूपों में विदोहन के तहत वृक्षों को काटने से कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि भारत सरकार से अनुमोदित कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार वनवर्धनिक दृष्टि से इन वृक्षों का विदोहन किया जाता है जो लाभ के रूप में नई सस्य (पौध) के विकास में सहायक होता है।

अनुसूचित क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने की योजना

[खेल और युवा कल्याण]

85. अता.प्र.सं.105 (क्र. 2851) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? समस्त योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** मध्यप्रदेश की स्थापना दिवस से प्रश्न-दिनांक तक मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में कितने एवं कहां-कहां शासकीय एवं निजी खेल परिसर खोले गए? उक्त परिसरों में किन-किन खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उक्त परिसरों में वर्तमान में कितने प्रशिक्षु अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं, कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग से? परिसरवार संपूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। **(ग)** मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय एवं निजी खेल परिसर खोले जाने के संबंध में कितने प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन एवं खेल एवं युवक कल्याण विभाग के समक्ष विचाराधीन हैं? उक्त समस्त प्रस्तावों की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। **(घ)** क्या अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों में खेलकूद को बढ़ावा देने को दृष्टिगत रखते हुए जिला धार के मनावर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय खेल परिसर खोले जाने के संबंध में कोई कार्ययोजना तैयार कराए जाने के आदेश जारी करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद को बढ़ावा देने के लिये पृथक से कोई योजना संचालित नहीं है। विभाग द्वारा संचालित

योजनाए अनुसूचित क्षेत्रों में भी संचालित है, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** मान. प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रश्न में जानकारी किस वर्ष से चाही गई है का उल्लेख नहीं किया गया है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वयं के स्वामित्व के उपलब्ध खेल परिसर, अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। निजी खेल परिसर के नियंत्रण का क्षेत्राधिकारी विभाग को नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** शासकीय एवं निजी खेल परिसर खोले जाने के वर्तमान में कोई प्रस्ताव खेल और युवा कल्याण विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। **(घ)** विभागीय नीति अनुसार विकासखण्ड स्तर पर मुख्यालय से 02 कि.मी. की परिधि में न्यूनतम 5.0 एकड़ उपयुक्त व समतल भूमि विभाग के नाम उपलब्ध करवाने पर खेल परिसर निर्माण की स्वीकृति दी जाती है। मनावर में विभाग के नाम भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्ययोजना तैयार नहीं की जा सकती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "तेरह"</u>

खेल गतिविधियाँ/प्रशिक्षण कार्य
[खेल और युवा कल्याण]

86. परि.अता.प्र.सं. 105 (क्र. 2878) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले में विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ खेल मैदान और परिसर कब-कब निर्मित किए गए? इन स्थानों पर कौन-कौन सी खेल गतिविधियां की जा सकती हैं और किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी लागत से कौन-कौन खेल मैदान और परिसर का निर्माण कब से स्वीकृत हैं? स्वीकृत खेल मैदान/परिसरों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा? फारेस्टर खेल मैदान कटनी में स्वीकृत खेल परिसर के निर्माण के कार्य की प्रश्न दिनांक तक क्या स्थिति हैं? **(ख)** कटनी जिले में वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में किन-किन खेलों की गतिविधियों और प्रशिक्षण हेतु क्या-क्या कार्यक्रम कब-कब और कहाँ-कहाँ आयोजित किये गये? इन कार्यक्रम हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और किस-किस मद में क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? **(ग)** प्रश्नांश (ख) खेल गतिविधियों/प्रशिक्षण कार्य में कितनी राशि व्यय की गई और कितनी राशि शेष रही? मदवार बताएं। **(घ)** प्रश्नांश (ख) खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण में किन-किन और कितने प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की गई और किन-किन प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया? **(ङ)** प्रश्नांश (ख) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या खेल गतिविधियों/प्रशिक्षण कार्यों का आयोजन शासनादेशों/विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया गया और इन आयोजनों से खिलाड़ियों की क्षमता में वृद्धि होना ज्ञात हुआ? यदि हाँ, तो कैसे? विवरण बताएं। यदि नहीं तो क्या सुधार की कार्यवाही की जाएगी?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(ड़)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(ड.)** जी हाँ, वर्ष 2018 में जिले से म.प्र.घुड़सवारी अकादमी में 05 बालिका, म.प्र. वाटर स्पोर्टस अकादमी 01 बालिका एवं कुश्ती अकादमी में 01 बालक का चयन हुआ है, तथा वर्ष 2018 में ही कटनी जिले से वॉलीबाल में 04, एथेलेटिक में 05, कुश्ती में 03 एवं कबड्डी में 04 खिलाड़ियों द्वारा राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है।

<u>खेल गतिविधियों एवं साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना</u>

[खेल और युवा कल्याण]

87. परि.अता.प्र.सं. 108 (क्र. 2895) श्री महेश परमार : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2018 की अवधि में युवा संधि अनुदान योजना के अंतर्गत कुल कितनी गतिविधियां कहां संचालित की गयी? कितनी राशि उन गतिविधियों पर खर्च की गयी? **(ख)** प्रश्नांश (क) अवधि में खेल प्राधिकरण द्वारा उज्जैन संभाग में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कितने कार्यक्रम कब, किनके द्वारा, कहाँ संचालित किये? **(ग)** क्या ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2016 से 2018 तक राज्य शासन ने उज्जैन संभाग को बजट स्वीकृत किया था? यदि हाँ, तो बजट प्रावधान में दी गयी राशि का उपयोग किस मद में, किस उद्देश्य के लिए किया गया? कुल कितने गाँव लाभान्वित हुए? कितने युवाओं को प्रोत्साहित करने में कुल कितनी प्रतियोगिताओं का योगदान रहा? **(घ)** उज्जैन संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिला खेल और युवक कल्याण अधिकारी पदस्थ हैं? उनके निर्धारित कर्त्तव्य क्या हैं? वर्ष 2015 से 2018 तक जिला स्तरीय खेल प्रतिभा खोज स्पर्धा, प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन एवं अनुदान जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खेलों का गठन आदि कुल कितनी गतिविधियों का संचालन किया गया? प्रत्येक गतिविधि पर कितनी राशि खर्च की गयी?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** उज्जैन संभाग के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2018 की अवधि में युवा संधि अनुदान योजना अंतर्गत गतिविधियां एवं उन पर व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अवधि में खेल प्राधिकरण द्वारा उज्जैन संभाग में युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम संचालित नहीं किये गये। **(ग)** विभाग द्वारा संभागवार बजट आवंटित नहीं किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उज्जैन संभाग के अंतर्गत कुल 06-जिला खेल और युवक कल्याण अधिकारी पदस्थ है। कर्तव्य **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। वर्ष 2015 से 2018 तक जिला स्तरीय खेल प्रतिभा खोज स्पर्धा, प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन एवं अनुदान जिला

स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खेलों का गठन आदि कुल कितनी गतिविधियों का संचालन एवं खर्च संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

<u>बालाघाट जिले में विभाग द्वारा किये गये कार्य</u>

[खेल और युवा कल्याण]

88. परि.अता.प्र.सं. 110 (क्र. 2911) श्री रामकिशोर कावरे : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा परसवाड़ा विधानसभा में खेल परिसर स्वीकृत किया गया था, यदि हाँ, तो क्या कार्य पूर्ण हो चुका? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** 2016 से अब तक पंचायतवार स्कूलवार बालाघाट जिले में कितने ग्राम पंचायत में एवं कितने स्कूलों में व्यायाम सामग्री दी गयी हैं? जानकारी देवें? **(ग)** बालाघाट जिले में खेल एवं युवा कल्याण की बैठक कब-कब हुई 2016 से अब तक प्रस्ताव की जानकारी सहित देवें। **(घ)** बालाघाट जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग से 2016 से अब तक कितना बजट आया है? कहां-कहां व्यय किया गया?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **]** **(क)** जी हाँ। परसवाड़ा में स्टेडियम निर्माण हेतु संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र. का पत्र क्रमांक 3405 दिनांक 11/07/2013 द्वारा राशि रू. 86.86 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। स्टेडियम की निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बालाघाट है। निर्माण एजेन्सी को प्रथम किश्त के रूप में दिनांक 02/09/2014 में राशि रू. 25.00 लाख, दिनांक 12/10/2015 में राशि रू. 25.00 लाख, दिनांक 06/09/2017 रू 20.00 लाख स्वीकृत की गई थी। निर्माण एजेन्सी द्वारा दिनांक 02/09/2014 को स्वीकृत राशि रू. 25.00 लाख लेप्स कर दी गई तथा दिनांक 12/10/2015 एवं दिनांक 06/09/2017 को स्वीकृत राशि रू. 45.00 लाख में से मात्र राशि रू. 21.72 लाख का व्यय किया गया। दिनांक 20/02/2019 को राशि रू. 20.00 लाख स्वीकृत की गई, इस प्रकार निर्माण एजेन्सी को फरवरी, 2019 तक कुल राशि रू. 90.00 लाख का आवंटन सौंपा जा चुका है जिसमें से मात्र राशि रू. 41.72 लाख का व्यय किया गया है। निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य में विलंब किया है वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। **(ख)** 2016 से अब तक पंचायतवार स्कूलवार बालाघाट जिले में विभाग द्वारा व्यायाम सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** बालाघाट जिले में खेल एवं युवा कल्याण की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसका विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों मे खेल को बढ़ावा देना

[खेल और युवा कल्याण]

89. अता.प्र.सं.123 (क्र. 2938) श्री रामखेलावन पटेल : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के ग्रामीण क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिये म.प्र.शासन की कौन-कौन सी योजनायें चलाई जा रही है? **(ख)** क्या खेल शिक्षकों की कमी पूरे म.प्र. में है? जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों को छोड़कर गांव के विद्यालयों मे पद स्वीकृत नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्या ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में खेल शिक्षक रखे जाने की सरकार की कोई योजना है? **(ग)** क्या जिला संभाग एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं मे ग्रामीण अंचल के विद्यालयों के विद्यार्थियों की भागीदारी बहुत कम रहती है? यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण हैं?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** ग्रामीण युवाओं को खेल प्रोत्साहन के लिये विभाग द्वारा प्रति विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण युवा केन्द्र संचालित है, जिसके तहत प्रस्तावित खेलों की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण, युवा एवं सामाजिक विषय पर संगोष्ठि, सेमीनार एवं शिविर, मुख्यमंत्री कप का आयोजन आदि गतिविधि की जाती है, जिसका विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यायाम निर्देशक के 728 पद एवं खेलकूद शिक्षक श्रेणी (ब) के 931 पद सीधी भर्ती अंतर्गत के लिए है। ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में खेल शिक्षक रखे जाने की कोई विशिष्ट योजना विचारधीन नहीं है। **(ग)** जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - ''चौदह''</u>

<u>छात्रवृत्ति में की गई अनियमितताओं की जानकारी</u>

[अनुसूचित जाति कल्याण]

90. परि.अता.प्र.सं. 146 (क्र. 2981) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या सामाजिक न्याय मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2004 से 2018 तक कितने अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को राज्य सरकार के सहयोग से उच्च अध्ययन के लिये विदेश भेजा गया? गड़बड़ी व अनियमितता पाये जाने पर किन लोगों से कितनी-कितनी राशि वसूली गई? **(ख)** क्या अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्ति में कई गलतियां/अनियमितताएं सामने आई थी? यदि हाँ, तो क्या उसकी जांच कराई गई? अगर जांच कराई गई तो जांच प्रतिवेदन सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार जाँच रिपोर्ट में कौन-कौन लोग जिम्मेदार पाये गये और विभाग द्वारा उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण मंत्री (श्री लखन घनघोरिया) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** वर्ष 2004 से 2018 तक 68 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य सरकार के सहयोग से उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया। कोई गड़बड़ी व अनियमितता नहीं पाये जाने के कारण राशि वसूल किये जाने का प्रश्न उपस्थित

नहीं होता। वर्ष 2004 से 2018 तक 35 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश भेजा गया। सिर्फ 01 छात्रा को शिक्षण शुल्क की राशि रू. 7, 35, 251/- न्यूजीलैण्ड डालर में गणना न कर यू एस डालर में गणना होने के कारण अधिक भुगतान हो गई थी जिसकी वसूली की जा रही है। अभी तक राशि रू. 2, 20, 000/- की वसूली की जा चुकी है। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। आदिम जाति कल्याण विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ''ब' एवं 'स'** तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है। **(ग)** आदिम जाति कल्याण विभाग की जानकारी प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित **परिशिष्ट के प्रपत्रों अनुसार** है तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलन में है।

फर्जी नियुक्तियों की शिकायत पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

91. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 2998) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उमरिया में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (CMHO एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल) द्वारा वर्ष 2005 से 2015 तक की गई नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की फर्जी नियुक्तियों की शिकायतें समय-समय पर शासन को विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उन फर्जी नियुक्तियों के लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांकित विभाग द्वारा फर्जी (कूटरचित) ट्रेजरी ई-पेंमेट No. S-4400 42505 से S-4400 42509 दिनांक 17.05.2013, No. S-4400 45795 से S-4400 45797 तक दिनांक 03.07.2013 No. S-4400 69044 एवं No. S-440069045 दिनांक 03.06.2014 तथा No. 440068249 से S-440068259 तक दिनांक 23.05.2014 के कैशबुक बिल रजि. एवं व्हाउचर्स का संधारण नियमानुसार किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त पृष्ठों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या जिला उमरिया के कर्मचारी Emp. Code No. 440004501 एवं Emp. Code No. 440004422 द्वारा प्रथम नियुक्ति से आज दिनांक तक नियमित रूप से किसी कार्यालय में सेवाएं दी गई है? यदि हाँ, तो कहां-कहां?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है **] (क)** जी हाँ। प्राप्त शिकायत एवं जांच की अद्यतन स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** है। **(ख)** प्रश्नांश (ख) में अंकित ई-पेमेंट S-440045797 दिनांक 03.07.2013, प्राचार्य शासकीय कुमार मंगलम हायर सेकेन्ड्री स्कूल नौरोजाबाद (डी.डी.ओ. नं. 4402003016) का है, शेष अन्य ई-पेमेंट से वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में उमरिया जिले के अधीनस्थ ब्लाक स्तर के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों

के भुगतान किये गये है, उपरोक्त अवधि के कैशबुक, बिल रजि. एवं व्हाउचर्स का संधारण नियमानुसार नही किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। **(ग)** जिला उमरिया कर्मचारी Emp. Code No. 440004501 (श्रीमती संध्या चतुर्वेदी, संगणक) एवं EMP.Code No. 440004422 (श्रीमती कल्पना द्विवेदी, लैब असिस्टेंट) की प्रथम नियुक्ति से पदस्थापना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

रतलाम नगर निगम में 2014 के चुनाव में धांधली

[नगरीय विकास एवं आवास]

92. परि.अता.प्र.सं. 157 (क्र. 3035) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की नगर निगमों के 2014 के चुनाव हेतु 2011 की निर्धारित जनसंख्या अनुसार वार्डों की संख्या बतावें तथा नगर निगम द्वारा जारी वार्ड की अनु.जाति, अनु.जनजाति की जनसंख्या का चार्ट प्रदान करें तथा बतावे कि प्रत्येक नगर निगम में प्रत्येक वार्ड में औसत जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम अथवा ज्यादा जनसंख्या है? क्या नियमानुसार सबसे कम वार्ड की जनसंख्या तथा सबसे ज्यादा में 15% का अंतर होना चाहिये। **(ख)** क्या 2014 के चुनाव में नगर निगम के अनु.जाति तथा जनजाति के वार्ड का आरक्षण जनसंख्या के अवरोही क्रम में किया गया? यदि हाँ, तो बतावे कि रतलाम में किस-किस वार्ड का आरक्षण किया गया तथा वहां की जनसंख्या अवरोही क्रम में किस क्रम पर आती है। **(ग)** क्या रतलाम नगर निगम के चुनाव में 2014 में वार्ड की जनसंख्या का अधिनियम की धारा 10 के अनुसार वितरण नहीं किया गया तथा अनु.जाति का आरक्षण जनसंख्या के अवरोही क्रम में नहीं किया गया? यदि हाँ, तो बतावे कि रतलाम में चुनाव के पूर्व नये सिरे से सीमांकन किया जायगा या नहीं। **(घ)** क्या रतलाम में अनियमितता के बिन्दुओं की तर्ज पर सारे नगर निगम का मूल्यांकन विवेचना की जायगी और जहां आवश्यक हो वहाँ नये सिरे से सीमांकन/परिसीमन किया जावेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 10 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश नगर पालिका (वार्डों का विस्तार) नियम 1994 के नियम 3 (2) के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या में उस नगर पालिका क्षेत्र के लिए निर्धारित वार्डों की संख्या का भाग देने पर, जो भागफल आयेगा, वह उस नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक औसत जनसंख्या होगी, जिसमें अधिक से अधिक 15 प्रतिशत का अंतर मान्य होगा। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार** है। **(ग)** वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2014 में नगर निगम चुनाव के पूर्व मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 10 (3) के प्रावधान अनुसार वार्डों में जनसंख्या का विभाजन यथा साध्य संहृत क्षेत्र तथा वार्डों की औसत जनसंख्या के आधार पर किया गया। रतलाम नगरीय

क्षेत्र में अ.जा. वर्ग हेतु वार्डों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 10 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जायेगी। **(घ)** जानकारी उत्तरांश ''ग'' अनुसार।

<u>लेबड नयागांव तथा रतलाम बाजना रोड में धांधली</u>

[लोक निर्माण]

93. परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 3036) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लेबड जावरा तथा जावरा नयागांव पर टोल वसूलना किस दिनांक से प्रारंभ हुआ तथा 31 मई 2019 तक दोनों रोड पर कुल कितनी-कितनी राशि टाल में प्राप्त कर ली गई है। DPR में टोल वसूली की अवधि कितने वर्ष थी? वह किस दिनांक को समाप्त होगी, क्या टोल अवधि बढ़ाई गई? यदि हाँ, तो बढ़ाई गई अवधि, कारण सहित बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की फोरलेन पर टोल कितने-कितने कि.मी. के कितने टोल बूथ अनुसार प्रारंभिक दिनांक से 31 मई 2019 तक ले रहे है। वर्षवार टोल बूथ अनुसार राशि बतावें। अनुबंध अनुसार टोल वृद्धि का नियम बतावें तथा बतावें कि फोरलेन पर प्रति कि.मी. पर कितने-कितने जीवित पेड़ दोनों ओर हैं। प्रत्येक किमी की सत्यापित सूची बनाकर देवें तथा बतावें कि पेड़ का सत्यापन किस दिनांक को किस अधिकारी द्वारा किया गया। **(ग)** रतलाम बाजना कुशलगढ़ रोड पर बाजना बस स्टैण्ड से बरोठ माता मंदिर तक फोरलेन बनाने की क्या दो DPR बनाई गई है। यदि हाँ, तो कारण बतावें तथा RTI में अजय चत्तर को दिनांक 15.01.18 को दी गई DPR की प्रति दवें तथा बतावें कि रेल्वे ओव्हर ब्रिज की ड्राइंग प्राप्त हो गई है? यदि हाँ, तो प्रति देवें। **(घ)** रतलाम बाजना फोरलेन के दोनों ओर 70 मकानों को किस संस्था द्वारा क्यों तोड़ा गया? अभी तक फोरलेन और तीनों पुलिया क्यों नहीं बनी, नालियां बनना कब प्रारंभ होगा तथा विलंब हेतु ठेकेदार से कितनी पेनाल्टी वसूली गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सज्जन सिंह वर्मा) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं क, ख, ग, घ अनुसार। (ग)** जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक बी-1185 के अनुक्रम में रतलाम (बाजना बस स्टैण्ड) से वरोठ माता मंदिर तक का मार्ग 7.00 मीटर, 7.00 मीटर चौड़ाई में मय मीडियन (1.50 मी. चौड़ाई) के डी.पी.आर. रू. 1747.06 लाख की तैयार कर स्वीकृति हेतु कार्यालय अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मण्डल, उज्जैन को प्रेषित किया गया था। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक बी-1185 के पूर्व से विभागीय योजना मद से टू-लेन मार्ग स्वीकृत था। इस कारण अतिरिक्त टू-लेन मय मीडियन के साथ पृथक से डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश दिये गए जिसके अनुक्रम में रू. 1004.75 लाख की डी.पी.आर. तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई। डी.पी.आर. की प्रति संलग्न है। जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** नगर निगम, रतलाम द्वारा। फोरलेन में कुल 3.00 कि.मी. में से चैनेज 1120 से 2210 में दोनों

साईड 3.50 मीटर चौड़ाई में निर्माण कार्य पेड़ एवं इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग नहीं होने के कारण शेष है। पेड़ एवं पोल शिफ्टिंग बाद शेष बचा मार्ग एवं नाली का निर्माण किया जावेगा 03 नग पुल-पुलिया में से 02 नग पुलियाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। तथा 01 नग पुलिया के डाउन स्ट्रीम में एक विद्युत ट्रांसफार्मर के विस्थापन के उपरांत निर्माण कार्य किया जाना संभव हैं विलम्ब हेतु ठेकेदार के देयकों से 10.00 लाख रूपये रोके गये है।

<u>योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं व्यय</u>

[वन]

94. परि.अता.प्र.सं. 161 (क्र. 3070) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल भिण्ड एवं मुरैना को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन योजनाओं में कितना-कितना बजट उपलब्ध कराया गया है? **(ख)** प्राप्त आवंटन के विरूद्ध किन-किन योजनाओं में कितना-कितना व्यय किया गया है तथा उससे कौन-कौन से ग्रामों में कार्य हुए हैं ग्रामवार कार्यों की सूची उपलब्ध करावें। **(ग)** किये गये कार्यों में व्यय का सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया है? क्या वे सत्यापन हेतु अधिकारी सक्षम थे और यदि सक्षम नहीं थे तो किस आदेश/नियम से सत्यापन किया गया? **(घ)** मुरैना जिले में ऐसे कौन से अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनके विरूद्ध विभागीय जाँच संधरित है तथा वरिष्ठता क्रम न आते हुए भी वरिष्ठ पद का प्रभार सौंपा जाकर कार्य कराया गया है जबकि वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी जिले पदस्थ होने के बाद भी उनसे कार्य क्यों नहीं लिया गया?

वन मंत्री (श्री उमंग सिंघार) : [(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। **(ख)** प्राप्त आवंटन के विरूद्ध योजनावार व्यय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में दर्शित** है। ग्रामों में कराये गये कार्यों की सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** प्राप्त आवंटन के विरूद्ध योजनावार व्यय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में दर्शित** है। ग्रामों में कराये गये कार्यों की **सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग)** किये गये कार्यों के व्यय का सत्यापन संबंधित उप वन मण्डलाधिकारियों द्वारा किया गया है, वे सत्यापन हेतु सक्षम थे। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** वनमंडल मुरैना के अन्तर्गत श्रीमती सुमन खरे, वन क्षेत्रपाल, श्री सुखदेव अरोरा, उप वन क्षेत्रपाल के विरूद्ध विभागीय जाँच प्रचलित है। इन अधिकारी/कर्मचारियों के वरिष्ठताक्रम में न आते हुये भी इनके पास वरिष्ठ पद का प्रभार नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - ''पन्द्रह''</u>

भावांतर योजना के भुग्तान के सम्बंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

95. अता.प्र.सं.63 (क्र. 3076) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कटनी एवं सतना जिले में भावांतर योजना के तहत उपसंचालक कृषि कटनी एवं सतना द्वारा कृषकों को विकासखण्डवार भुगतान किया गया? यदि हाँ तो कितनी राशि का भुगतान किया गया? विकासखण्डवार बतलावें इस योजना में नैमेत्तिक व्यय अथवा स्थापना व्यय में कितना व्यय किया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो नैमेत्तिक व्यय/स्थापना व्यय की राशि में व्यय की गई राशि का विवरण देवें, एवं स्वीकृत आदेशों की कापी के साथ आहरित देयकों का विवरण देवें और यह भी बतलावें कि मध्यप्रदेश माध्यम से किस नियम के तहत क्या क्या सामग्री क्रय की गई? क्या क्रय नियम का पालन किया गया? **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित क्रय सामग्री का सत्यापन कराया गया? यदि हाँ, तो सत्यापन कर्ता अधिकारी का पद नाम बतलावें और यदि सामग्री का सत्यापन नहीं किया गया तो नियमों का उल्लंघन कर भुगतान करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही कर संपूर्ण व्यय राशि की वसूली की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? **(घ)** क्या शासन प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जिला कटनी में भावांतर योजना के तहत कृषकों को विकासखण्डवार भुगतान नहीं किया गया है। कटनी जिले में भावांतर भुगतान योजना वर्ष 2017-18 के तहत जिले के कृषकों को एन.आई.सी. से प्राप्त सूची अनुसार 221 कृषकों को राशि रू. 7811990.00 का भुगतान किया गया है। भावांतर योजनांतर्गत नैमेत्तिक व्यय अथवा स्थापना व्यय में कोई भी राशि व्यय नहीं की गई है। जिला सतना में भावांतर भुगतान योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में जिला स्तर पर कृषि उपज मण्डी सतना के पोर्टल पर दर्ज खरीदी अनुसार कलेक्टर सतना के स्वीकृति उपरांत राशि रूपये 91612126.00 का भुगतान किया गया। योजनांतर्गत नैमेत्तिक व्यय राशि रूपये 1226136.00 व्यय की गई। **(ख)** कटनी जिले में भावांतर भुगतान योजनांतर्गत नैमेत्तिक व्यय/स्थापना में कोई व्यय नही किया गया है। सतना जिले में नैमेत्तिक व्यय अंतर्गत राशि रूपये 1226136.00 व्यय की गई है। देयकवार विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। भावांतर भुगतान योजनांतर्गत जिले में कोई सामग्री मध्यप्रदेश माध्यम से क्रय नही की गई है। **(ग)** उप संचालक कृषि कटनी तथा सतना द्वारा मध्यप्रदेश माध्यम से सामग्री क्रय नहीं की गई। **(घ)** उत्तरांश (ग) के क्रम में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>डोडाचूरा खरीदी की नीति</u>

[गृह]

96. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 3125) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा डोडाचूरा खरीदी हेतु विगत दो वर्षों में कौन सी नीति अपनाई जा

रही है? **(ख)** मंदसौर जिले में वर्ष 2018 -19 में कितने कास्तकारों को अफीम उत्पादन एवं कितनी आरी हेतु लाईसेंस वितरण किया गया है? **(ग)** एक आरी में औसतन कितना डोडाचूरा उत्पादन होता है? **(घ)** शासन द्वारा वर्ष 2017 -18 व 2018-19 शासन के नियमानुसार कितना डोडाचूरा जलाया/खरीदा गया? वर्षवार जानकारी देवें।

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 281 दिनांक 11.07.2016 अनुसार, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी प्रदार्थ (मध्यप्रदेश) नियम 1985 के नियम 37-क के अधीन बनाये गये ''पोस्त भूसा (पॉपीस्ट्रा) नियम'' को निरसित किया गया है। तदनुक्रम में डोडा चूरा की खरीदी नहीं की जाती है। **(ख)** वर्ष 2018-19 अफीम उत्पादन हेतु जिला मंदसौर के प्रथम खण्ड में 5582 किसानों को 558.8 हेक्टेयर रकबा हेतु व मंदसौर द्वितीय खण्ड में 5838 किसानों को 583.800 हेक्टेयर और 05 किसानों को सी.पी.एस. प्रोडक्सन हेतु 0.500 हेक्टेयर हेतु व मंदसौर तृतीय खण्ड में 4601 किसानों को 460.100 हेक्टेयर हेतु व जिला मंदसौर के गरोठ खण्ड में 1404 किसानों को (10 आरी प्रत्येक किसान को) लायसेंस जारी किया गया है। **(ग)** लगभग 75 से 80 कि.ग्रा. डोडाचूरा प्रति 10 आरी उत्पादित होता है जो कि खेत की जमीन, उर्वरता, वातावरण, मानसून व क्षेत्र पर निर्भर करता है। **(घ)** पॉपीस्ट्रा उत्पादक जिला मंदसौर, नीमच, रतलाम से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2017-18 व 2018-19 में डोडाचूरा जलाये/खरीदी की कार्यवाही उपर्युक्त जिलों में नहीं की गई है।

<u>शासन संधारित मंदिरों की जानकारी</u>

[अध्यात्म]

97. परि.अता.प्र.सं. 43 (क्र. 3142) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शाजापुर जिले में कहाँ- कहाँ शासन संधारित मंदिर हैं व उन मंदिरों के नाम से कितनी-कितनी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं? तहसीलवार एव मंदिरवार सूची देवें। **(ख)** प्रशनांश (क) में उल्लेखित मंदिरों के लिये कितनी भूमि पुजारी की जीविका हेतु तथा कितनी भूमि की नीलामी कर राजस्व आय प्राप्त की जाय इस हेतु क्या शासन ने कोई प्रावधान किये हैं? यदि हाँ तो शाजापुर जिले में मापदण्ड से अधिक भूमि वाले कौन-कौन से मंदिर हैं? क्या सरकार उस भूमि को नीलाम करा रही हैं? यदि हाँ, तो क्या इससे मंदिरों की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? यदि पड़ेगा तो मंदिर की व्यवस्थाएं कैसे चलेगी? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित भूमि की नीलामी से होने वाली राजस्व आय का सरकार क्या उपयोग करेगी? क्या उसे मंदिर के विकास में लिया जायेगा अथवा अन्य जगह व्यय की जावेगी?

अध्यात्म मंत्री (श्री कमल नाथ) : [(क) से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय**

में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। **(ग)** नीलामी से होने वाली आय का उपयोग मंदिर के विकास में किया जाता है।

कुपोषण निवारण

[महिला एवं बाल विकास]

98. परि.अता.प्र.सं. 43 (क्र. 3157) श्री सीताराम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिले के कराहल विकास खण्ड में कुपोषण निवारण के क्या-क्या उपाय किये गये हैं? **(ख)** कुपोषण निदान हेतु प्रत्येक परिवार को मिलने वाली राशि रू.1000 (एक हजार) प्रतिमाह का कब तक का भुगतान हो चुका है? यदि नहीं हुआ है तो क्यों? स्थिति स्पष्ट करें। **(ग)** वर्ष 2015-16 से आज दिनांक तक कुपोषित बच्चों की श्रेणीवार एवं वर्षवार जानकारी दें? **(घ)** कुपोषण निदान हेतु सस्ते दर पर कुपोषित बच्चों हेतु मूंग की दाल दी गई, वह कब से नहीं दी गई और कब से दी जायेगी? क्या योजना बंद हो चुकी है? यदि नहीं तो भविष्य में क्या उपाय है? यदि हाँ तो क्यों बंद कर दी गई। स्थिति स्पष्ट करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती इमरती देवी) : [(क) श्योपुर जिले के कराहल विकास खण्ड में कुपोषण निवारण हेतु किये गये उपाय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' पर** है। **(ख)** कुपोषण निवारण हेतु आदिम जाती कल्याण विभाग द्वारा माह मई 2019 तक 34534 विशेष पिछड़ी जनजाति के महिला मुखिया के खाते में राशि रू. 1000/- का भुगतान किया जा चुका है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब' पर** है। **(ग)** श्योपुर जिले में वर्ष 2015-16 से आज दिनांक तक कुपोषित बच्चों की श्रेणीवार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'स' पर** है। **(घ)** कुपोषण निवारण हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से सस्ती दर पर मूंग दाल वितरण माह नवम्बर 2018 तक किया गया है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** श्योपुर जिले के कराहल विकासखण्ड में कुपोषण निवारण हेतु किये गये उपाय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** कुपोषण निवारण हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा माह मई 2019 तक 34534 विशेष पिछड़ी जनजाति के महिला मुखिया के खाते में राशि रू. 1000/- का भुगतान किया जा चुका है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** श्योपुर जिले में वर्ष 2015-16 से आज दिनांक तक कुपोषित बच्चों की श्रेणीवार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कुपोषण निदान हेतु सुपोषण अभियान अंतर्गत मई 2018 से अप्रैल 2018 तक की अवधि में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला श्योपुर के कराहल विकासखण्ड में अनुसूचित जनजाति परिवारों को रियायती दर (10/- प्रति किलो) दाल का वितरण कराया गया। सुपोषण अभियान अंतर्गत प्रति सदस्य 01 किलो एवं 10/- रू. प्रति किलो प्रति माह की दर से दाल का वितरण कराया गया। कराहल विकासखण्ड में योजना के प्रारंभ से ही मूंग

दाल का वितरण किया जा रहा था। मूंग दाल की अनुउपलब्धता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा माह मार्च एवं अप्रैल 2019 हेतु चने का आवंटन जारी कर वितरण कराया गया। सुपोषण अभियान का पायलट प्रोजेक्ट 01 वर्ष की अवधि (मई 2018 से अप्रैल 2019 तक) के लिये था। मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में चना दाल का वितरण कराया जा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

कृषि अनुसंधान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

99. अता.प्र.सं.76 (क्र. 3176) श्री अशोक रोहाणी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के तहत संचालित कृषि अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास की किन-किन योजनाओं/परियोजनाओं हेतु राज्य, केन्द्र शासन एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य किन-किन संस्थाओं से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? लक्ष्यपूर्ति बतलावें। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक की जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में कहाँ-कहाँ पर संचालित किन-किन कृषि अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास की परियोजनाओं में अनुसंधान एवं विकास कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? कौन-कौन से विकास कार्य कब कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के कराये गये हैं? कृषि विकास एवं अनुसंधान की परियोजनाओं की प्रगति क्या है? इनमें कौन-कौन से अनुसंधान कार्य किये गये हैं? **(ग)** प्रश्नांकित किन-किन परियोजनाओं के तहत स्वीकृत पद संरचना के अनुसार कितने पद भरे/रिक्त हैं संख्या देवें? किन-किन के संबंध में वर्ष 2014-15 से 2018-19 के मध्य प्राप्त शिकायतों पर कब किसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? सूची दें?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है।

अवैध कालोनियों के संबंध में।
[नगरीय विकास एवं आवास]

100. अता.प्र.सं.63 (क्र. 3214) श्री कुणाल चौधरी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विगत समय में सभी नगर निगम के वार्डों का विभाजन एवं आरक्षण किया गया? यदि हाँ, तो क्या उसकी विवेचना करने के बाद तथा आवश्यक हुआ तो नये सिरे से वार्डों का परिसीमन करने के बाद नगर निगमों के चुनाव कराए जायेंगे। **(ख)** मेट्रो ट्रेन तथा स्मार्ट सिटी इंदौर, भोपाल, जबलपुर की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें तथा बतावें कि केन्द्र सरकार से समुचित राशि प्राप्त हुई है या नहीं? इनका कलैण्डर क्या है?

(ग) प्रत्येक नगर निगम की अवैध तथा अविकसित कालोनियों की सूची देवें तथा बतावें कि नवम्बर 2018 तक किस नगर निगम में किस-किस अवैध को वैध किया गया था तथा उच्च न्यायालय ग्वालियर के संदर्भ में दायर प्रकरण के बारे में बतावें, कि किस-किस दिनांक की सुनवाई हुई तथा शासन की ओर से पैरवी किसने की शासन द्वारा दायर जवाब की प्रति देवें। **(घ)** नगर निगमों में पिछले 05 वर्षों में 50 करोड़ की राशि के ई-टेण्डर की जानकारी, दिनांक, कार्य का आवंटन ठेकेदार/फर्म का नाम, पता, स्वीकृत कार्य प्रारंभ की दिनांक, भुगतान राशि और दिनांक की अद्यतन स्थिति सहित सूची देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) वस्तुस्थिति यह है कि विगत समय नगर निगम चुनाव के पूर्व म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 में निहित प्रावधानानुसार नगर निगम की आवश्यकता के अनुसार वार्ड का विस्तार एवं धारा 11 के प्रावधान अनुसार प्रदेश की समस्त नगर निगमों में वार्डों का आरक्षण किया गया है। आगामी चुनाव में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी। **(ख)** वस्तुस्थिति यह है कि इन्दौर एवं भोपाल मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया प्रचलन में है तथा केलेण्डर प्रक्रियाधीन है। स्मार्ट सिटी भोपाल इन्दौर, जबलपुर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ग)** नगर निगमों की अवैध तथा अविकसित कालोनियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** मान. उच्च न्यायालय ग्वालियर के संदर्भ में दायर प्रकरण की सुनवाई दिनांक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। विभाग की ओर से प्रकरण में की गई पैरवी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द"** तथा दायर जवाब की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "इ" अनुसार** है। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'फ' अनुसार** है।

<u>इन्दौर नगर पालिक निगम के अन्तर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों के देयकों का भुगतान</u>

[नगरीय विकास एवं आवास]

101. अता.प्र.सं.65 (क्र. 3251) श्री आकाश कैलाश विजयवर्गीय : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इन्दौर नगर पालिक निगम के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी लम्बे समय से ठेकेदारों के देयकों का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ,तो क्या उन्हीं ठेकेदारों को नये कार्यों के टेण्डर स्वीकृत कर कार्य आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ तो क्या इन ठेकेदारों द्वारा नवीन कार्य आदेश अनुसार कार्य शुरू नही किया गया है जिससे जनसामान्य की आवश्यकता एवं विकास प्रभावित हो रहा है? **(ख)** क्या पूर्ण हो चुके कार्यों के लम्बे समय से रूके देयकों के भुगतान के लिये शासन स्तर पर कोई प्रयास किये जा रहे हैं? **(ग)** जिन पूर्ण हो चुके कार्यों के ठेकेदारों

को भुगतान किया जाना शेष है की सूची उपलब्ध करावें व कब तक इनके देयकों का भुगतान कर दिया जावेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) जी नहीं। निगम के कोषालय को प्राप्त देयकों का भुगतान नियमानुसार वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राशि की उपलब्धता प्राप्त होने वाले अनुदान राजस्व करों की वसूली के आधार पर वित्तीय नियमितता बनाये रखने तथा आवश्यक एवं मौसमी खर्चों को प्राथमिकता दिये जाने के उपरांत उपलब्ध राशि के तथा देय भुगतान राशि के अनुपात में समन्वय स्थापित कर ठेकेदारों को भुगतान किये जाते है। जी हाँ। कतिपय विभागों में उन्हीं ठेकेदारों ने नये कार्य आदेश प्राप्त किये है। विभिन्न मूलभूत कार्य निकाय के अधीन संचालित होकर नियमानुसार ठेकेदारों से नवीन कार्य आदेश जो उन्हें प्राप्त हुए है, कार्य प्रस्तावित है। इस कारण जनसामान्य की आवश्यकताएं एवं विकास कार्य प्रभावित नहीं हो रहे है। **(ख)** जी हाँ। निकाय की स्थिति एवं वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिमाह चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि तथा समय-समय पर सड़क मरम्मत तथा यात्रीकर, एस.एफ.सी. की राशियां प्राप्त है तथा निकाय द्वारा स्टाम्प ड्यूटी की राशि प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाते है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रहीं है। **] (क)** जी नहीं। निगम के कोषालय को प्राप्त देयकों का भुगतान नियमानुसार वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राशि की उपलब्धता शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान राजस्व करों की वसूली के आधार पर वित्तीय नियमितता बनाये रखने तथा आवश्यक एवं मौसमी खर्चों को प्राथमिकता दिये जाने के उपरांत उपलब्ध राशि के तथा देय भुगतान राशि के अनुपात में समन्वय स्थापित कर ठेकेदारों को भुगतान किये जाते है। जी हाँ। कतिपय विभागों में उन्हीं ठेकेदारों ने नये कार्य आदेश प्राप्त किये है। विभिन्न मूलभूत कार्य निकाय के अधीन संचालित होकर नियमानुसार ठेकेदारों से नवीन कार्य आदेश, जो उन्हें प्राप्त हुए है, कार्य प्रस्तावित हैं। इस कारण जनसामान्य की आवश्यकताएं एवं विकास कार्य प्रभावित नहीं हो रहे है। **(ख)** जी हाँ। निकाय की स्थिति एवं वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर से प्रतिमाह चुंगी क्षति पूर्ति की राशि तथा समय-समय पर सड़क मरम्मत तथा यात्रीकर, एस.एफ.सी. की राशियां प्राप्त हैं तथा निकाय द्वारा स्टाम्प ड्यूटी की राशि प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाते है। **(ग)** आर्थिक वर्ष 2018-2019 में पूर्ण किये गये कार्यों एवं ठेकेदार/फार्म के नाम की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। इन देयकों में से कतिपय ठेकेदारों/फर्मों को आंशिक भुगतान किये गये हैं। निकाय की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत शेष भुगतान विभिन्न मदों में राशि प्राप्त होने पर किये जा सकेंगे।

<u>धारा 92 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही</u>

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

102. परि.अता.प्र.सं. 80 (क्र. 3289) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला शिवपुरी की कोलारस विधानसभा क्षेत्र के समस्त विकासखण्डों की ग्राम पंचायतों के वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन व कितनी-कितनी राशि के प्रकरण धारा 92 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु लंबित है? जानकारी पंचायतवार, विकासखण्डवार, वर्षवार उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार धारा 92 की कार्यवाही के प्रकरणों में राज्य शासन के नियमानुसार प्रकरण के निराकरण हेतु कितनी समयावधि निर्धारित की गई है? इस हेतु जारी राज्य शासन के नियम, निर्देशों की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें? क्या जिला शिवपुरी की कोलारस विधानसभा क्षेत्र के समस्त विकासखण्डों में वर्ष 2017 से अब तक धारा 92 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए सभी प्रकरण में निर्धारित समयावधि में निराकरण किया गया है? यदि हाँ, तो कितने प्रकरणों में समयावधि में कार्यवाही की गई? तथा कितने प्रकरणो में समयावधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई? ऐसे प्रकरणों से प्रभावित हितग्राहियों में कितनों के कौन से कार्य आज भी अपूर्ण है, व कब तक पूर्ण होगें? जानकारी पंचायतवार विकासखण्डवार वर्षवार उपलब्ध करावे? वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक के लंबित प्रकरणों पर क्या कार्यवाही प्रचलन में हैं? तथा कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी ? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार जिन प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण हुई है, उनमें जारी हुए किन-किन आदेशों पर अमल किया जा चुका है? तथा किनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई है? किन-किन आदेशों का किन कारणों से अमल होना अब तक शेष है? जानकारी पंचायत, विकासखण्ड उपलब्ध करावें? कार्यवाही में विलम्ब हेतु कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं? तथा उनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही कर जारी आदेशों पर अमल हो सकेगा?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख)** धारा 92 की कार्यवाही के प्रकरणों में नियमानुसार निराकरण के लिये 06 माह की अवधि निर्धारित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार**। जी नहीं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार**। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार**। प्रकरण की सुनवाई में निर्धारित न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार निराकरण करने में समय लगने से निर्धारित समयावधि में आदेश पारित नहीं किये जा सके हैं। कोई अधिकार दोषी नहीं है।

<u>जाँच में दोषी पाये गये सचिवों से वसूली</u>

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

103. परि.अता.प्र.सं. 82 (क्र. 3314) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बड़वानी जिले में वर्ष 2012 से दिसम्बर 2018 तक पंच परमेश्वर योजना में बिना कार्य किये राशि निकाली गई? जाँच उपरान्त दोषी पाये गये सचिवों से वसूली कब तक की जाएगी क्या दोषी सचिवों से कितनी वसूली प्रस्तावित है? सूची प्रदाय करें।

(ख) बड़वानी जिले में धारा 40 एवं 92 के तहत कार्यवाही एवं वसूली के प्रकरण कितने लंबित हैं 1 जून की स्थिति में जानकारी देवें। तथा कार्यवाही कब तक की जावेगी। **(ग)** बड़वानी जिले में वर्ष 2012 से लेकर 2018 दिसम्बर तक कितने सचिवों का निलम्बन किस कारण से किया गया?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। वसूली प्रकरण पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत न्यायालयीन प्रकिया होने से समय सीमा बताया जाना संभव नही है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर** है। **(ख)** बड़वानी जिले में 1 जून की स्थिति में धारा 40 के 6 धारा 92 के 330 प्रकरण लंबित है। वसूली प्रकरण न्यायालयीन प्रकिया होने से समय सीमा बताया जाना संभव नही है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" पर** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" पर** है।

सतना जिले में गौंण खनिज मद से कराये गये कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

104. परि.अता.प्र.सं. 83 (क्र. 3320) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र रैगांव में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक गौण खनिज मद से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? उक्त मद से कौन-कौन से कार्य कराये जा सकते हैं? कुल स्वीकृत किये गये कार्य एवं पूर्ण कार्य की जानकारी वर्षवार देवें। **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नांश (क) अवधि में स्वीकृत कार्यों हेतु प्रथम किस्त पंचायतों को जारी की गई थी? प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं क्या प्रथम किस्त की राशि जारी की गई हैं? **(ग)** किन-किन ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं? कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सहायक यंत्री एवं एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी करने पर भी अवशेष किस्त की राशि जारी नही की जा रही है इसका क्या कारण है तथा इसे कब तक जारी किया जावेगा? **(घ)** लापरवाही बरतनें वाले अधिकारियों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) विधानसभा क्षेत्र रैगांव में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक गौण खनिज मद से कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं**,** उक्त अवधि में जिला खनिज मद डीएमएफ से वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कार्यों की संख्या निरंक है। शेष वर्षों में स्वीकृत कार्य एवं पूर्ण कार्यों की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। मध्यप्रदेश शासन खनिज संशाधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-19-5/2015/12/2 भोपाल दिनांक 04.08.2016 की कंडिका 8 अनुसार कार्य उक्त मद से कराये जा सकते है। पत्र एवं तत्संबंधी नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र ''अ''अनुसार है। **(ग)** ग्राम पंचायतवार पूर्ण कार्यों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **]** (ग) शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय मैं रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार** है। (घ) किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही नहीं की गई है अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी

[परिवहन]

105. परि.अता.प्र.सं. 56 (क्र. 3324) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परिवहन विभाग एवं सतना में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कौन से मूल विभाग से कब से और क्यों पदस्थ है? **(ख)** इन्हें कब तक मूल विभाग में भेजा जावेगा, अगर नहीं वापस किया जावेगा तो कृपया कारण बताएं।

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : [(क) एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही** है। **] (क)** एवं **(ख)** मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 01-08/2011/आठ दिनांक 23-09-2018 के द्वारा मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को परिवहन विभाग के अधिनस्थ विभिन्न कार्यालयों में सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों के विरूद्ध अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। जिसमें से श्री राजीव मणि त्रिपाठी एवं श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद मिश्रा को सहायक वर्ग-3 प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के परिसमापन की कार्यवाही प्रचलित है एवं निगम, परिवहन विभाग के ही प्रशासकीय नियंत्रण में आता है अतएव शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सतना जिले के सुखेन्द्र सिंह स्टेडियम में हुई किशोर की मृत्यु पर कार्यवाही

[खेल और युवा कल्याण]

106. परि.अता.प्र.सं. 51 (क्र. 3351) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना स्थित सुखेन्द्र सिंह स्टेडियम का संचालन किसके द्वारा कब से किया जा रहा है, कितने कर्मचारी तैनात है उन्हे कितना भुगतान किया जा रहा हैं? **(ख)** 24 मई को यहां पानी मे डूबने से किशोर की मौत पर क्या जि.पं. सीईओ को डीएसओ द्वारा गलत जवाब दिए गए एवं इस घटना के दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** पुल का पानी फिल्टर प्लांट से कब-कब साफ किया गया? दिन वार और पीएच वैल्यू वार जानकारी उपलब्ध करायें? एक पूरी सफाई में कितने यूनिट बिल आता है? विगत तीन माह का बिल कितना है? **(घ)** शासन के नये नियम से डीएसओ के नियंत्रणकर्ता अधिकारी कौन है? जिले में खेल एवं युवा विभाग अब किस अधिकारी के नियत्रंण में है? क्या पूल का संचालन अनुमति से हो रहा था? यदि हाँ, तो पूल संचालन के मापदंड क्या है क्या पूल संचालक द्वारा उनका पालन किया जा रहा था? यदि नही तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। **]** **(क)** सतना स्थित सुखेन्द्र सिंह स्टेडियम का संचालन जिला खेल और युवा कल्याण सतना द्वारा वर्ष 2013 से खिलाड़ी प्रशिक्षण कल्याण समिति माध्यम से किया जा रहा है, तैनात कर्मचारी एवं उन्हें दिये जा रहे मानदेय का भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रकरण में जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा सी.ई.ओ. को सही जानकारी दी गई एवं दोषियों पर कार्यवाही हेतु पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है, कार्यवाही पूर्ण होने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। **(ग)** फिल्टर प्लांट दिन भर में 6 घंटे चलता था, और पानी का पी.एच.वेल्यू प्रतिदिन 7 से 8 के बीच रहता था। एक दिन में पूरी सफाई में लगभग 150 यूनिट विद्युत खपत होती है। विद्युत कंपनी के मीटर रीडर द्वारा विगत कई महीनों से रीडिंग नहीं ली गई, औसत बिल दिया जाता था, जिसके अनुसार विगत 03 माह का प्रतिमाह औसत बिल रू 4435/- का भुगतान खिलाड़ी प्रशिक्षण कल्याण समिति द्वारा जमा किया गया है। **(घ)** मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 84/48/2019/नौ दिनांक 11/01/2019 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को "नोडल अधिकारी" घोषित किया गया है। पूल का संचालन खिलाड़ी प्रशिक्षण कल्याण समिति जिसके अध्यक्ष, कलेक्टर, सतना है, के अनुमोदन से किया जा रहा था, स्वीमिंग पूल संचालन संबंधी नियम **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>जय किसान फसल ऋण माफी योजना</u>

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

107. परि.अता.प्र.सं. 85 (क्र. 3374) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत छतरपुर जिले के विकासखण्डों में कितने किसानों ने ऋण माफी हेतु आवेदन किया? विकासखण्डवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में कितने किसानों का प्रश्न दिनांक तक ऋण माफ़ कर सम्बंधित बैंक को राशि प्रदाय की गई है. **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में जिन किसानों का उक्त ऋण माफ़ हो चुका है क्या उन किसानों से उक्त ऋण की वसूली हेतु सम्बंधित बैंक द्वारा भविष्य में कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी क्या यह सुनिश्चित किया जावेगा तथा शेष किसानों का ऋण कब तक माफ़ कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। **(ग)** माफ की गई ऋण राशि की वसूली का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ऋण माफी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

किसानों के खाते में ऋण राशि डाले जाने
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

108. परि.अता.प्र.सं. 88 (क्र. 3384) श्री कमल पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के किस-किस जिले में मुख्यमंत्री जय किसान ऋण माफी योजना के तहत कितने-कितने किसानों के बैंक खातों में कितनी कितनी राशि डाली गई? जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** मुख्यमंत्री जय किसान ऋण माफी योजना में वित्त विभाग द्वारा 24 जून 2018 तक कुल कितना बजट प्रावधान किया गया? **(ग)** क्या बैंकों द्वारा ऋण वसूली हेतु किसानों को नोटिस दिए जा रहे है? यदि हाँ, तो किस-किस जिले में कितनी बैंक द्वारा नोटिस किसानों के दिए गए हैं एवं क्यों? **(घ)** कब तक किसानों के खाते में ऋण माफी की राशि रूपये 2-2 लाख डाल दी जाएगी?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** विभाग द्वारा जय किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 5000.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 8000.00 करोड़ प्रावधानित की गई है। **(ग)** इस तरह की कोई सूचना संचालनालय को प्रतिवेदित नहीं है। **(घ)** ऋण माफी की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित है।

परिशिष्ट - ''सोलह''

जेल में हुई मौतो की जानकारी
[जेल]

109. परि.अता.प्र.सं. 91 (क्र. 3396) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर-उज्जैन संभाग अंतर्गत दिनांक 01.01.14 से 30.11.18 तक जेल हिरासत में कितनी मौते हुई जानकारी जिलावार, जेलवार, दिनांकवार, जेल प्रभारी अधिकारी का नाम सहित सूची देवें। **(ख)** उपरोक्तानुसार जानकारी गिरफ्तारी, पूछताछ के लिए बैठाना एवं जेल विभाग द्वारा जेल ले जाने के दौरान हुई मौतों की जानकारी उपरोक्तानुसार देवें। **(ग)** उपरोक्त (क) व (ख) अनुसार प्रत्येक प्रकरण में मौत की जानकारी जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति सहित देवें। **(घ)** इन प्रकरणों में दोषी पाए गए अधिकारियों पर कार्यवाही की जानकारी प्रकरणवार देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो इन पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश (क) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे**

परिशिष्ट के प्रपत्र-अ के कॉलम नं.-6 अनुसार है।] **(ख)** जेल विभाग द्वारा गिरफ्तारी/पूछताछ के लिये जेल में बैठाने की कार्यवाही नहीं की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निर्माण कार्यों की जानकारी

[पशुपालन]

110. परि.अता.प्र.सं. 80 (क्र. 3404) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी (श्री मनोज चावला, श्री इंदर सिंह परमार) : क्या पशुपालन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत गठित नियम, विनियमों में निर्माण कार्य करने के उद्देश्य उल्लेखित है या नहीं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या किसी निगम को खुद निर्माण कार्य कराने की अनुमति है? क्या लोक निर्माण विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मंत्री परिषद से अनुमति ली गई थी? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो निर्माण कार्य करने वालो पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गठित प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक किये गये निर्माण कार्यो की वर्षवार, स्थानवार एवं व्ययवार जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री (श्री लाखन सिंह यादव) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** उद्देश्य में नहीं परन्तु अधिनियम में उल्लेखित है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। **(ख)** जी हाँ। अनुमति आवश्यक नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (क) में किसी प्रकोष्ठ के गठन का उल्लेख नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सत्रह"

कंटन्जेंसी और वाहन शाखा में वर्षों से जमें कर्मचारियों

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

111. अता.प्र.सं.68 (क्र. 3423) श्री रामकिशोर कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशानुसार भंडार, क्रय लेखा जैसी संवेदनशील शाखाओं में पदस्थ कर्मचारियों को 3 वर्ष पश्चात अन्यत्र पदस्थ किया जाना है? **(ख)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के कंटन्जेंसी क्रय एवं वाहन शाखा में पदस्थ कर्मचारियों का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक होने के बाद भी प्रभार क्यों नहीं बदला गया? **(ग)** जिला चिकित्सालय भोपाल के स्टोर एवं क्रय शाखा में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों का प्रभार क्यों नहीं बदला गया? **(ग)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में पदस्थ कर्मचारियों को क्या अन्यत्र पदस्थ किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है **] (क)** जी हाँ। **(ख)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के कंटन्जेंसी क्रय का कार्य करने वाले कर्मचारी स्टोर शाखा से संबंधित होते है, जिन्हे तीन वर्ष

पूर्ण होने पर शाखा परिवर्तित की जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कार्यालयीन आदेश दिनांक 16.05.2019 द्वारा श्री मंयक नाहर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 को क्रय लिपिक का प्रभार सौंपा गया है तथा कार्यालयीन आदेश दिनांक 08.07.2019 द्वारा वाहन शाखा का प्रभार श्री रिजवान सिद्धकी, सहायक ग्रेड-3 को सौंपा गया है (आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट पर** है।) **(ग)** जिला चिकित्सालय (जय प्रकाश चिकित्सालय) भोपाल के स्टोर एवं क्रय शाखा में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हुई है। **(घ)** उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - ''अठारह''</u>

<u>आदिवासी महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के प्रकरण</u>

[गृह]

112. अता.प्र.सं.101 (क्र. 3466) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक आदिवासी महिलाओं पर हुये अत्याचार पर दर्ज प्रकरण की शीर्ष अनुसार संख्या वर्षवार बतावें तथा बतावें कि वर्षवार कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्ष में कुल मिलाकर कितनी भागी हुई लापता तथा अपहरण की गई महिलाओं का मई 2019 तक कोई पता नहीं चला? दस वर्षों की एक साथ संख्या बतावे। इस अवधि में कितनी आदिवासी महिलाओं ने आत्महत्या की? **(ग)** प्रश्नांश (क) अवधि में आदिवासी महिलाओं पर हुये अत्याचार के पुलिस में दर्ज प्रकरणों पर न्यायालय में फैसले हुये प्रकरणों में कुल कितने अरोपी थे? कुल आरोपियों में से कितने आरोपी को सजा मिली? **(घ)** आदिवासी महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को रोकने के लिये न्यायालय में अधिक से अधिक प्रकरणों में अरोपियों को सजा दिलाने के लिये तथा न्यायालयीन फैसले शीघ्र हो, इसके लिये गृह विभाग क्या नवाचार करने जा रहा है?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन): [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2014 से 2018 तक कुल-5929 भागी हुई लापता तथा अपहृत महिलाओं का मई 2019 तक कोई पता नही चला। 2009 से 2018 के मध्य यह संख्या 7004 है। इस अवधि में 25 आदिवासी महिलाओं ने आत्महत्या की है। **(ग)** प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में न्यायालय में 5020 प्रकरणों में फैसले हुए जिसमें 6791 आरोपी थे। इनमें से 1457 आरोपियों को सजा हुई। **(घ)** दोषसिद्धि में वृद्धि हेतु पीड़ित एवं साक्षी संरक्षण तथा सहायता की जा रही है। प्रकरणों को चिन्हित किया जाकर उनकी मॉनिटरिंग विचारण तक की जा रही है, ताकि दोषसिद्धि दर में वृद्धि लायी जा सके। गंभीर सनसनीखेज प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है न्यायालय एवं अभियोजन से बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। इस कारण वर्ष 2018 में महिलाओं/बालिकाओं के 21 प्रकरणों में फांसी की सजा हुई है तथा वर्ष 2019 में अभी तक 06 प्रकरणों में फांसी की सजा हुई है इसके अलावा 01 जनवरी 2019 से 31 मई 2019 तक 128 प्रकरणों में आजीवन

कारावास, 281 प्रकरणों में 10 वर्ष या उससे अधिक दण्ड से दण्डित, 120 प्रकरणों में 10 वर्ष से कम व 05 वर्ष से अधिक दण्ड से दण्डित एवं 874 प्रकरणों में 05 वर्ष से कम के दण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचना की गुणवत्ता एवं गति बढ़ाने के लिए विवेचकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और समय-समय पर परिपत्र जारी कर उन्हें मार्गदर्शन दिया जा रहा है। महिलाओं, बालिकाओं के लिए प्रचार-प्रसार, संवेदनशीलता एवं जागरुकता कार्यक्रम तथा स्कूली छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

<u>परिशिष्ट - ''उन्नीस''</u>

<u>नाबालिग बच्ची से रेप व हत्या के बाद मुआवजा</u>

[गृह]

113. अता.प्र.सं.103 (क्र. 3471) श्री रमेश मेन्दोला : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नाबालिग़ बच्चियों से दुष्कर्म एवं उनकी हत्या के प्रकरण में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के संबंध में इंदौर और भोपाल को लेकर मध्यप्रदेश शासन एवं मुख्यमंत्री इन दोनों की नीतियां अलग-अलग हैं? **(ख)** यदि नहीं तो जून 2019 में भोपाल के कमलानगर थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए मुआवजे और इंदौर में मई 2019 में हीरानगर थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ हुए इसी तरह के जघन्य अपराध में शासन द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि में भारी अंतर क्यों है? **(ग)** इंदौर में मई 2019 में हीरानगर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ हुए इसी तरह के जघन्य अपराध में पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुआवजे की शेष राशि कब दी जाएगी?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। **(ख)** एवं **(ग)** इन्दौर जिले के प्रकरण में कलेक्ट्रेट (आदिम जाति कल्याण विभाग) द्वारा 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि मृतिका की मॉ को ई-पेमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई कलेक्टर इन्दौर के द्वारा रू. 50000/- रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये। भोपाल जिला के प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 5 लाख की आर्थिक सहायता राशि मृतिका के पिता को उपलब्ध कराई गई। रेडक्रॉस एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान निधि नियंत्रण कर्ता के विवेकाधीन होती है।

<u>किसानों की कर्जमाफी</u>

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

114. अता.प्र.सं.104 (क्र. 3473) श्री रमेश मेन्दोला : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2019 की स्थिति में मध्यप्रदेश के कुल कितने किसानों पर बैंक एवं सहकारी समितियों का कर्ज बकाया था? जिलावार किसानों की संख्या एवं राशि बतायें? **(ख)** अभी तक इनमें से कितने किसानों का कर्ज माफ़ किया गया है? इंदौर जिले में

कर्जमाफी किए गए किसानों की संख्या बतायें? **(ग)** जनवरी 2019 से अभी तक शासन द्वारा किसानों की कर्ज माफी हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इसमें से कितनी राशि का आवंटन किया गया है?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** अभी तक 2022731 लाख किसानों की कर्जमाफी की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें से इंदौर जिले के कर्जमाफी किसानों की संख्या 24278 है। **(ग)** वर्ष 2018-19 में राशि रूपये पांच हजार करोड़ का प्रावधान एवं वर्ष 2019-20 में राशि रूपये आठ हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें से राशि रूपये 2915.72 करोड़ का आवंटन जारी किया गया है।

<u>परिशिष्ट - ''बीस''</u>

<u>शासकीय सेवकों के दौरा कार्यक्रम और निरीक्षण प्रतिवेदन</u>

[खनिज साधन]

115. परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 3527) : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पन्ना जले में विगत 02 वर्षों में खनिज साधन और वन विभाग के किस नाम/पदनाम के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ पदस्थ/कार्यरत रहे हैं? और इनके क्या कार्य एवं कार्यक्षेत्र रहें है? शासकीय सेवकवार बताएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्या इन शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आदेशों/विभागीय निर्देशों के पालन में दौरा कार्यक्रम तैयार किए गए? और अपने कार्य/अधिकारिता क्षेत्र में निरीक्षण/दौरा कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गये? यदि हाँ, तो 02 वर्षों में किस-किस शासकीय सेवक (अधिकारी/कर्मचारियों) द्वारा कब-कब और क्या-क्या दौरा कार्यक्रम तैयार किए गये? और कहाँ-कहाँ एवं कब-कब निरीक्षण किया गया एवं क्या निरीक्षण प्रतिवेदन दिये गये? **(ग)** पन्ना जिले में विगत 02 वर्षों में अवैध उत्खनन और भंडारण के कौन-कौन से मामले/प्रकरण किस शासकीय सेवक की क्या जांच/निरीक्षण से सामने आये/ज्ञात हुये हैं? और क्या यह मामले/प्रकरण क्षेत्र में पदस्थ शासकीय सेवकों (अधिकारियों/कर्मचारियों/के निरीक्षण प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित हुये थे? यदि हाँ, तो प्रकरणवार विवरण बतायें? यदि नहीं तो क्यों? तो क्यों न इसे शासकीय कार्यों/दायित्वों में लापरवाही एवं अवैध कार्यों की संरक्षण मानकर कार्यवाही की जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में वन एवं शासकीय भूमि में लगातार हो रहे अवैध उत्खनन को रोक पाने में अक्षम शासकीय सेवकों की भूमिका की शासन स्तर से जाँच और कार्यवाही की जायेंगी? यदि हाँ, तों किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

खनिज साधन मंत्री (श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** प्रश्नांश अनुसार खनिज साधन विभाग के पन्ना जिलें में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके कार्य तथा कार्यक्षेत्र का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** दर्शित है। **(ख)** जी हाँ। वांछित अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत दौरा कार्यक्रम तथा

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** दर्शित है। **(ग)** प्रश्नांश अनुसार अवैध खनन एवं भंडारण के प्रकरणों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर** दर्शित है। **(घ)** खनिज साधन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अवैध खनन एवं भंडारण के प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। अत: पृथक से जाँच कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

<u>शास्ति अधिरोपित आदेश के विरूद्ध की जाने वाली अपील</u>

[सामान्य प्रशासन]

116. अता.प्र.सं.87 (क्र. 3548) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 26 के तहत प्रस्तुत अपील पर नियम 27 के तहत अपील कर विचार करने की विधि प्रक्रिया क्या अर्द्ध न्यायिक है? यदि हाँ, तो संबंधित आदेश नियम परिपत्र की विशिष्टियां स्पष्ट करते हुये उस आदेश नियम परिपत्र की प्रतिलिपियां उपलब्ध करावें। **(ख)** यदि प्रशासनिक विधि प्रक्रिया है? तो उस आदेश नियम परिपत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। **(ग)** उक्त नियम 27 के तहत अपीलीय प्राधिकारी को अपील पर विचार के लिये निर्धारित नियम की शक्तियों के अलावा अपने अधीनस्थ से अभिमत लेने उस अभिमत की प्रति अपीलकर्ता शासकीय सेवक को न देकर और अभिमत पर अपीलकर्ता की बिना सुनवाई के अन्य अधीनस्थ के विवेक पर बल्कि अपीलीय अधिकारी के स्वयं के विवेक पर नहीं अपीलीय अधिकारी का निर्णय करने की शक्ति/अधिकारिता किस नियम परिपत्र में दी गई है? यदि हाँ, तो उस आदेश परिपत्र नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। **] (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार।

<u>दोषियों को अन्यत्र हटाने उपरांत जांच कराकर कार्यवाही</u>

[नगरीय विकास एवं आवास]

117. अता.प्र.सं.88 (क्र. 3566) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम रीवा एवं सतना द्वारा वर्ष 2016 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितने कार्य-कितनी राशि से स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कार्य किन-किन संविदाकारों/ठेकेदारों को किन-किन शर्तों पर करने हेतु कार्यादेश जारी किये गये। वर्तमान स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थित मौके पर क्या है? कार्यो का निरीक्षण, कब, किन अधिकारियों द्वारा किया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों के पूर्ण करने की अवधि क्या थी अनुबंध अनुसार अगर कार्य पूर्ण नही किये तो संबंधित संविदाकारों, सहायक यंत्रियों, उपयंत्रियों के विरूद्ध कब, कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित की गई, अगर कार्यावधि बढ़ाई

गई तो किस शर्त व आदेश की प्रति देते हुए बतावें? इससे ठेकेदार को कितना लाभ हुआ? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के क्षेत्र के कार्य समय पर पूर्ण नही कराये गये संविदाकारों के कार्यवधि बढ़ाकर लाभ पहुँचाया गया। कार्य मौके पर नहीं कराए गए जो कार्य कराए गए वह गुणवत्ताविहीन एवं प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृति से हटकर परंतु फर्जी बिल बाउचर लगा कर राशि आहरित कर ली गई तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है एवं उन पर क्या कार्यवाही करेंगे?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। कार्यों का सतत् निरीक्षण संबंधित इंजीनियरों द्वारा किया गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। जिन ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता उन्हें अनुबंध के प्रावधानों के तहत गुण-दोष के आधार पर समयवृद्धि दी जाती है तथा आवश्यक होने पर ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। किसी भी ठेकेदार को अनाधिकृत लाभ नही दिया गया है। अपूर्ण निर्माण कार्य जिनमे विलम्ब हुआ है के संबंध में ठेकेदारों एवं इंजीनियरों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी एकत्र की जा रही है। **(ग)** समस्त कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं निगम हित में अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। नगर निगम रीवा एवं सतना में कोई भी कार्य प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति से विपरीत नहीं कराये गये और ना ही फर्जी बिल लगाकर कोई भी भुगतान कराया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता। **]**

(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' पर है। कार्यों का सतत निरीक्षण संबंधित इंजीनियरो दवारा किया गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' एवं 'द' पर** है। **(ग)** समस्त कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं निगम हित में अधिकारियों दवारा कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अनुबध में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। नगर निगम रीवा एवं सतना में कोई भी कार्य प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति से विपरीत नहीं कराये गये और न ही फर्जी बिल लगाकर कोई भी भुगतान कराया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता।

<u>सहरिया जाति का विशेष सर्वे</u>
[अनुसूचित जाति कल्याण]

118. अता.प्र.सं.91 (क्र. 3604) श्री जसमंत जाटव : क्या सामाजिक न्याय मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर संभाग के किन जिलों में वर्ष 2015 से अनूसूचित जाति एवं जनजाति के एवं कन्या/बालक छात्रावास स्वीकृत होकर संचालित है तथा उक्त संचालित छात्रावासों को किसके आदेश से कब बंद कर दिया गया है? यदि बंद किया गया है तो उससे कितने छात्र एवं छात्राए वंचित हुये हैं? वर्षवार विस्तृत सूची उपलब्ध करावें। **(ख)**

क्या विशेष पिछड़ी जनजाति एवं सहरिया जाति का विशेष सर्वे करने का प्रावधान है किंतु वर्ष 2017 से सहायक आयुक्त आदिम जाति कलयाण विभाग में पदस्थ आयुक्त द्वारा सर्वे का कोई कार्य नहीं कराया गया है, सर्वे के आभाव मे उन्हें अधिकारों/लाभांवित योजनाओं से वंचित किया गया है का संभाग में किन-किन जिले मे कितना सर्वे हुआ? वर्षवार सूची उपलबध करावें? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार ऐसे कितने आयुक्त हैं जिनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है? क्या श्रीमती उषा पाठक प्रभारी सहायक आयुक्त जनजातिय कार्य जिला ग्वालियर का जाति प्रमाण-पत्र माननीय न्यायालय द्वारा फर्जी पाया गया है, जिस कारण इन्हें दोषी पाये जाने के कारण सजा दी गई है, तब भी उक्त अधिकारी इतने महत्वपूर्ण पद पर कैसे पदस्थ है? क्या इनकी सेवाएं समाप्त संबंधी कोई कार्यवाही की जावेगी? समयावधि बतावें।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण मंत्री (श्री लखन घनघोरिया): [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। आदिम जाति कल्याण विभाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। किसी भी छात्रावास को बंद नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** वर्ष 2017 से विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया के विशेष सर्वे हेतु कोई निर्देश नहीं है। अत: जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संबंध में सहायक आयुक्त, ग्वालियर द्वारा नियमानुसार पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। अनुसूचित जाति राज्य स्तरीय छानबीन समिति को श्रीमती उषा पाठक, प्रभारी सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, ग्वालियर के जाति प्रमाण-पत्र की जाँच हेतु कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - ''इक्कीस''</u>

<u>अनुकम्पा नियुक्ति</u>

[सामान्य प्रशासन]

119. अता.प्र.सं.96 (क्र. 3609) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 03 वर्षों में, जबलपुर एवं कटनी जिलों के अंतर्गत कौन-कौन कर्मचारी शासकीय सेवा अवधि में दिवगंत हुये। जिलेवार, विभागवार, मृत्यु दिनांक सहित नाम एवं पदवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित क्या सभी दिवगंत शासकीय सेवकों के सभी बकाया देयकों का भुगतान कर दिया गया, यदि नहीं तो, शेष दिवंगतो के भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मृत शासकिय सेवकों के परिवार में से अनुकंपा नियुक्ति हेतु दिए गए लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक होगा? **(घ)** क्या मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा अवधि में दिवगंत होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है यदि हाँ

तो (क) अवधि में कटनी एवं जबलपुर जिले के कितने कर्मचारियों की सेवा अवधि में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई तथा किन-किन को नियुक्ति प्रदान किया जाना शेष है? क्या शासन प्रदेश के अन्य विभागों की तरह म.प्र.वि.वि.क. में भी अनुकम्पा नियुक्ति का नियम लागू करेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही** है। **] (क)** से **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार**। **(घ)** जी हाँ। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार**।

किसान फसल ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

120. अता.प्र.सं.130 (क्र. 3632) श्री राम दांगोरे : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत कालातीत एन.पी.ए. की ऋण मुक्ति योजना क्या है? यदि कालातीत एन.पी.ए. की राशि किसान भर चुका है तो क्या सरकार द्वारा किसान को एन.पी.ए. की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा? **(ख)** यदि हाँ, तो उसकी समय-सीमा क्या तय की गई है? यदि नहीं तो उपरोक्त राशि का क्या केसीसी खाते में एडजस्टमेंट किया जाएगा? **(ग)** यदि हाँ, तो खंडवा सहकारी बैंक की छैगांवमाखन समिति द्वारा नहारुसिंह पिता रामसिंह की ₹39135 की कालातीत राशि न नगद दी जा रही है और ना ही उसे केसीसी में दर्ज एडजस्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है बल्कि उससे ₹25513 खाद व बीमे में जबरदस्ती भरवाए गए समिति द्वारा कोई उचित उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा है? **(घ)** क्या शासन किसानों को आ रही इस विकट समस्या का हल करेगें?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जय किसान ऋण माफी योजना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''एक'' अनुसार** है। **(ख)** म.अ. कनवर्सन (एमटीसी) ऋण खाते में एन.पी.ए. ऋण माफी की राशि का लेखांकन करने पर ऋण खाते में राशि ऋणात्मक है तो शासन से राशि प्राप्त होने पर केसीसी ऋण खाते में एडजस्टमेंट की जा सकेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ग)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खण्डवा से संबंद्ध सेवा सहकारी समिति मर्यादित छैगांवमाखन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''दो'' अनुसार** है। **(घ)** शिकायत प्राप्त होने पर निराकरण के प्रयास किये जायेंगे।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना

[नर्मदा घाटी विकास]

121. परि. ता. प्र. सं. 120 (क्र. 3640) श्री महेश परमार : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पूर्व सरकार ने अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना पर जनता का ध्यान केंद्रित करने के लिए विज्ञापन पर

सर्वाधिक राशि खर्च की? यदि हाँ, कितनी राशि खर्च की गयी? और क्या विकास के ऊपर खर्च की गयी राशि से विज्ञापन की राशि अधिक खर्च की गयी? यदि हाँ, तो शासन के धन के दुरूपयोग का कारण बताईये ? **(ख)** क्या क्षिप्रा नदी में ड्रेनेज का पानी मिलने जैसी शिकायतों के कई साक्ष्य एवं वीडियो मौजूद है? यदि हाँ, तो उक्त आधार पर कुल कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज़ हुए? जाँच में कुल कितने जनप्रतिनिधि, एवं अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए गए? **(ग)** क्या 06/02/2016 नर्मदा जयंती पर क्षिप्रा उद्गम स्थल उज्जैनी में तथा 25/02/2016 को रामघाट उज्जैन पर भव्य समारोह में योजना लोकार्पित की गयी थी? यदि हाँ, तो उक्त आयोजन में कुल कितनी राशि खर्च की गयी? क्या परियोजना लोकार्पण के बाद प्रश्न दिनांक तक उज्जैन शहर जल समस्या का सामना नहीं कर रहा है? यदि हाँ, तो क्या परियोजना की कमियों को जनता के सामने उजागर नहीं किया जाएगा? पूर्व सरकार ने 650 करोड़ खर्च करने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक क्षिप्रा इतनी दूषित क्यों है?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल) : **[(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के विज्ञापन प्रकाशन का कार्य संचालनालय, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश द्वारा कराया गया था। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। आवश्यकतानुसार समय-समय पर जल की आपूर्ति की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "बाईस"</u>

<u>सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा का आयोजन</u>

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

122. अता.प्र.सं.132 (क्र. 3647) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मनरेगा के कार्यों का समाजिक अंकेक्षण हेतु उप सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा क्रमांक--1900/एमपीएस-4/एन आर-6/155/2017 भोपाल दिनांक 22-06-2017 समस्त कलेक्टर (सी-ई-ओ) जिला एवं जनपद पंचायतों को पत्र भेजा गया था **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार सम्परीक्षा समिति का रीवा जिले की चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में गठन किया गया है यदि हाँ, तो सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा का आयोजन किस-किस दिनांक को संबंधित ग्राम पंचायतों में किया गया हैं? **(ग)** क्या जिला पंचायत की सामान्य सभा में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं यदि हाँ तो आदेश दिनांक से अब तक की जानकारी दी जाये। यदि नहीं तो क्या दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी, यदि हाँ तो कब तक? **(घ)** रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के जनपद पंचायतों जिला कार्यालयों में सहायक यंत्री उप यंत्री एवं अन्य समस्त पदस्थ संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों के नियुक्ति दिनांक से वर्ष 2018-2019 तक संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के मूल्याकंन के आधार

कब-कब संविदा अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किये गये हैं, विवरण देवें। यदि नहीं तो क्यो, इस हेतु दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा की तिथिवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, ग्राम पंचायतवार जानकारी संकलित कर आगामी सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (ग)** जी हाँ, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सम्पन्न सामाजिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन जिला पंचायत रीवा की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 20.09.2019 में प्रस्तुत किया जाकर अनुमोदित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार** है।

बी.पी.एल. सूची से नियम विरूद्ध काटे गये नाम

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

123. परि.अता.प्र.सं. 7 (क्र. 3659) श्री तरबर सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले की समस्त 8 विधानसभा क्षेत्रों अंतर्गत ग्रामोदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में कितने बी.पी.एल. हितग्राहियों के नाम बी.पी.एल. सूची से किस आधार पर काटे गये? साथ ही कितने भूमिहीन हितग्राहियों के नाम बी.पी.एल. सूची से काटे गये? प्रत्येक विधानसभा की तहसीलवार, नगरीय क्षेत्र में वार्डवार एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतवार सूची, बी.पी.एल. क्रमांक, नाम काटने का कारण सहित उपलब्ध करावें? **(ख)** उक्त अभियान के अंतर्गत शासन द्वारा क्या समस्त कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार को नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों की बी.पी.एल. सूची से अधिक से अधिक संख्या में नाम काटने का लक्ष्य प्रदान किया गया था? यदि हाँ तो क्यों? **(ग)** लक्ष्य पूर्ति करने के एवज में अभियान में पात्र हितग्राहियों के नाम बी.पी.एल. सूची से काटे जाने के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** कुल 28726 बी.पी.एल. परिवारों के नाम अपात्र होने के कारण सूची से काटे गये हैं। भूमिहीन हितग्राहियों के नाम बी.पी.एल. सूची से नहीं काटे गये हैं। विधानसभा की तहसीलवार, नगरीय क्षेत्र में वार्डवार एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतवार सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बालाघाट जिला के ग्राम परसवाड़ा में अपूर्ण खेल परिसर

[खेल और युवा कल्याण]

124. परि.अता.प्र.सं. 17 (क्र. 3672) श्री रामकिशोर कावरे : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्राम परसवाड़ा में खेल परिसर निर्माण कार्य तत्कालीन मान. मुख्यामंत्री की घोषणा क्रमांक 1985 अनुसार खेल युवा कल्याण मद से स्वीकृत था। यदि हाँ तो क्या कार्य पूर्ण हो चुका है या अधूरा है? **(ख)** पत्र क्रमांक 3405 /खे.युवा.कल्याण/अधो./2013 भोपाल दिनांक 11/07/2013 द्वारा खेल परिसर स्वीकृत हुआ था। किन्तु आज दिनांक तक कार्य अधूरा है क्या कारण है? कार्य अधूरा होने में दोषी कौन-कौन अधिकारी है? **(ग)** क्या बजट के अभाव में कार्य अपूर्ण है यदि हाँ तो क्या बजट उपलब्ध करायेगें? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** क्या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा को खेल परिसर विहीन रखेगें? यदि नही तो 5 वर्ष से कार्य क्यों अधूरा हैं?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ, निर्माण कार्य प्रगतिरत है। **(ख)** जी हाँ। परसवाड़ा में स्टेडियम निर्माण हेतु संचालनालयीन पत्र क्रमांक 3405 दिनांक 11/07/2013 द्वारा राशि रू. 86.86 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी, स्टेडियम की निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बालाघाट है। निर्माण एजेंसी को प्रथम किश्त के रूप में दिनांक 02/09/2014 में राशि रू. 25.00 लाख दिनांक 12/10/2015 में राशि 25.00 लाख दिनांक 06/09/2017 में रू 20.00 लाख स्वीकृत दी गई थी, निर्माण एजेंसी द्वारा दिनांक 02/09/2014 को स्वीकृत राशि रू. 25.00 लाख लेप्स कर दी गई तथा दिनांक 12/10/2015 एवं दिनांक 06/09/2017 को स्वीकृत राशि रू. 45.00 लाख में से मात्र राशि रू. 21.72 लाख का व्यय किया गया। दिनांक 20/02/2019 को पुन: राशि रू. 20.00 लाख स्वीकृति जारी की गई थी। स्टेडियम निर्माण कार्य प्रगतिरत है। कार्य विलम्ब होने के लिये निर्माण एजेंसी दोषी है। **(ग)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं, निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किया गया है।

राशि के व्यय करने

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

125. परि.अता.प्र.सं. 4 (क्र. 3703) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्तीय वर्ष 2009 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं राज्य आजीविका फोरम के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न मदों/योजनाओं/ उप-योजनाओं/अर्जित ब्याज की उपलब्ध राशि में से जिला सागर में कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य के आयोजन हेतु व्यय/अंतरित की गई? ग्रामवार, ब्लाकवार, हितग्राहीवार, संख्यावार, स्व-सहायता समूहवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** राज्य आजीविका फोरम अंतर्गत वर्ष 2012 से 2016 के मध्य कराई गई इंडो-चायना मीट में कुल कितनी राशि, किस संस्था के माध्यम से व्यय की गई? इन कार्य के संपादन हेतु किस-किस संस्था से कार्य कराया गया? इन संस्थाओं के चयन का आधार क्या है एवं किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? **(ग)** उक्त इंडो-चायना मीट से कितने हितग्राही/

स्व-सहायता समूह लाभान्वित हुये एवं उनकी आजीविका में आज दिनांक तक कितनी वृद्धि हुई? **(घ)** उक्त कार्यक्रम के दौरान जिन-जिन संस्थाओं से एम.ओ.यू. हुये उनकी जानकारी एवं उससे प्रदेश को हुये लाभ का विस्तृत ब्यौरा दें।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) सागर जिले में योजनावार, मदवार व्यय/अंतरित राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** है। मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं राज्य आजीविका फोरम अंतर्गत मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं स्व-रोजगार योजना से संबंधित जानकारी ग्रामवार, ब्लाकवार, हितग्राहीवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** है। मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं राज्य आजीविका फोरम अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व-सहायता समूहों से संबंधित जानकारी स्व-सहायता समूहवार, विकासखण्डवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट स पर संलग्न है। ग्रामवार जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** इंडो-चायना मीट में कुल राशि रु. 2,18,25,930/- इण्डिया चायना इकोनॉमिक एण्ड कल्चरल कौंसिल के माध्यम से व्यय की गई। उक्त मीट में इण्डिया चायना इकोनॉमिक एण्ड कल्चरल कौंसिल से कार्य कराया गया। विषय विशेषज्ञता को संस्था के चयन का आधार रखा गया था तथा उक्त व्यय के अतिरिक्त संस्था को पृथक से कोई भुगतान नहीं किया गया था। **(ग)** इंडो-चायना मीट का उद्देश्य प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करना, प्रदेश में आवश्यक अधोसंरचना अवसरों का आयात की दृष्टि से विकास करना, रोजगार के नये अवसर सृजित करना तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सृजित करना, पर्यटन में वृद्धि करना था। इस विषय पर कोई आंकड़े संधारित नहीं किये जाने से अवगत कराया जाना संभव नहीं है। **(घ)** किसी भी संस्था से एम.ओ.यू. नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **]** **(क)** सागर जिले में योजनावार, मदवार व्यय/अंतरित राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** है। मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं राज्य आजीविका फोरम अंतर्गत मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं स्व-रोजगार योजना से संबंधित जानकारी ग्रामवार, ब्लाकवार, हितग्राहीवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** है। मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं राज्य आजीविका फोरम अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व-सहायता समूहों से संबंधित जानकारी स्व-सहायता समूहवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर** है।

<u>शहरी कालोनियों को सर्व सुविधायुक्त बनाने</u>

[नगरीय विकास एवं आवास]

126. परि.अता.प्र.सं. 93 (क्र. 3718) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रीवा जिले में नगर पालिक निगम, रीवा अन्तर्गत पद्मघर कालोनी, शान्ती विहार, विन्ध्य विहार, चिरहुला, गृह निर्माण मण्डल कालोनी बनाते समय प्लान में पार्क, विद्यालय एवं सामुदायिक भवन की कार्ययोजना थी? जिसके तहत ही

निर्माण कार्य किया जाना चाहिए था एवं क्या कुछ कालोनियों में पार्क के लिये कुछ जगह छोड़ी जाती है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में क्या गृह निर्माण मण्डल उक्त सुविधा न देने के लिये यह आधार लेता है कि उनके द्वारा कालोनी को नगर निगम में स्थानान्तरित कर दिया है? यदि हाँ, तो फिर इस हेतु ली गई राशि का क्या अन्य मद में उपयोग करते हैं? यदि हाँ, तो कहां पर करते हैं?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा नगर पालिक क्षेत्र रीवा के अन्तर्गत पद्मधर कालोनी, शान्ति विहार, विन्ध्य विहार एवं चिरहुला कालोनी में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमोदित अभिन्यास में पदमधर कालोनी, विन्ध्य विहार एवं चिरहुला कालोनी में open space (खुला क्षेत्र), शाला भूखण्ड एवं सामुदायिक भवन तथा शान्ति विहार कालोनी में open space (खुला क्षेत्र), एवं शाला भूखण्ड का प्रावधान था। जी हॉ। जी हाँ। **(ख)** मण्डल द्वारा निर्मित की गई कालोनियों में आरक्षित शाला भूखण्डों का विक्रय किया गया है, जिसका निर्माण संबंधित क्रेता द्वारा किया जायेगा। कालोनियों के हस्तांतरण एवं पार्कों/सामुदायिक भवन एवं खुले क्षेत्र के रख-रखाव के संबंध में मण्डल एवं नगर निगम रीवा से जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर ली गई राशि एवं उसके उपयोग के संबंध में जानकारी दी जाना संभव होगा। **] (क)** म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा नगर पालिक क्षेत्र रीवा के अन्तर्गत पद्मधर कालोनी, शान्ति विहार, विन्ध्य विहार एवं चिरहुला कालोनी में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमोदित अभिन्यास में पदमधर कालोनी, विन्ध्य विहार एवं चिरहुला कालोनी में OPEN SPACE (खुला क्षेत्र), शाला भूखण्ड एवं सामुदायिक भवन तथा शान्ति विहार कालोनी में OPEN SPACE (खुला क्षेत्र) एवं शाला भूखण्ड का प्रावधान था। जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** मण्डल द्वारा निर्मित की गई कालोनियों में आरक्षित शाला भूखण्डों का विक्रय किया गया है, जिसका निर्माण संबंधित क्रेता द्वारा किया जायेगा। कालोनियों के हस्तांतरण एवं पार्कों/सामुदायिक भवन एवं खुले क्षेत्र के रखरखाव के संबंध में **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - ''तेईस''</u>

<u>विभिन्न अपराधों में जमा सामान की जानकारी</u>

[गृह]

127. परि.अता.प्र.सं. 137 (क्र. 3731) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01-01-2017 से 31-05-2019 तक विभिन्न अपराधों में कितना सामान जब्त कर मालखाने में जमा किया गया इंदौर जिले के थानों की थानावार, माहवार जानकारी देवें। **(ख)** कितना सामान फरियादी के सुपुर्द किया गया? इसकी सूची प्रश्नांश (क) अनुसार देवें। **(ग)** कोर्ट के आदेश के बाद कितने प्रकरणों में सुपुर्दगी शेष है? उनकी सूची देवें।

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय**

में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार।

चिकित्सा महाविद्यालय के फर्जीवाड़े में उचित कार्यवाही न होना

[चिकित्सा शिक्षा]

128. परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 3742) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2009 से 2013 तक MBBS प्रथम वर्ष में प्रवेशित जिन विद्यार्थियों का प्रवेश रोल नम्बर सेटिंग पर रूप धारण OMR शीट में छेड़छाड़ आदि कारणों से निरस्त कर दिया गया उनकी महाविद्यालय अनुसार सूची देवें। व्यापम ने इनकी अभ्यर्थियां निरस्त करने संबंधी जो पत्र विभाग को लिखा उसकी प्रति की सलंग्न सूची दस्तावेज सहित देवें। **(ख)** वर्ष 2014 से 2018 तक MBBS प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम, निवास का पता, प्रवेशित विद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा के प्राप्तांक, रैंक, कक्षा 12वीं के प्राप्तांक सहित सूची देवें। **(ग)** वर्ष 2007 से 2013 तक निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित जिन विद्यार्थियों के प्रवेश व्यापम की अनुशंसा पर निरस्त किये गये उनकी सूची देवें तथा इस संदर्भ में व्यापम द्वारा विभाग को भेजे गये आदेश/पत्र तथा विभाग द्वारा निजी महाविद्यालयों को भेजे गये पत्र तथा उनसे प्राप्त उत्तर कि प्रतियॉ देवें। **(घ)** क्या जिन विद्यार्थियों ने वर्ष 2007 से 2013 में MBBS प्रथम वर्ष में प्रवेश किया था तथा जिनका प्रवेश निरस्त करने की अनुशंसा व्यापम द्वारा की गई थी उनमें से कई विद्यार्थियों को महाविद्यालय से निष्कासित नही किया वे नियमित अध्ययन करते रहे तथा पढ़ाई पूर्ण कर डिग्री प्राप्त करने में सफल रहे? यदि नहीं तो बतावें कि यह कैसे सुनिश्चित किया गया की व्यापम की अनुशंसा वाले सभी का प्रवेश निरस्त हो चुका है इससे संबंधित दस्तावेज देवें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** वर्ष 2009 से 2013 तक एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष में प्रवेशित जिन विद्यार्थियों के प्रवेश, रोल नम्बर, सेंटिंग पर एस.टी.एफ की जांच पश्चात् निरस्त किए गए विद्यार्थियों की सूची (स्वशासी/निजी) की छायाप्रतियां एवं व्यापम से पूर्व में वर्ष 2008 से 2012 तक निष्काशित छात्रों की सूची की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार** है। **(ख)** अधीनस्थ संस्थाओं से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(ग)** जिन विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने की अनुशंसा व्यापम द्वारा की गई थी उन सभी विद्यार्थियों को शासन निर्देशानुसार निष्काशित किया जा चुका है। संबंधित दस्तावेज प्रश्नांश (क) के उत्तर के साथ संलग्न है। **(घ)** प्रश्नांश की जानकारी (ग) अनुसार है।

विदिशा जिले के चिकित्सालयों में खरीदी एवं योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

129. अता.प्र.सं.122 (क्र. 3788) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले में जनवरी 2016 से 30 जून, 2019 तक विभिन्न चिकित्सालयों में योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रशिक्षण हेतु तथा खरीदी हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार आवंटन सहित विकासखण्डवार खरीदी, प्रशिक्षण आयोजन सहित निर्धारित राशि और कितना उपयोग हुआ विकासखण्डवार बतावें। **(ख)** क्या खरीदी और योजनाओं के प्रशिक्षण में व्यय की अनियमितताओं की कोई शिकायत विभाग या जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है? यदि 'हां' तो किन-किन अधिकारियों द्वारा शिकायतों की जांच की जाकर कार्यवाही की गई है? यदि 'नहीं' तो विभाग में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच विभाग किसी वरिष्ठ अधिकारी या EOW से करायेगा? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में कौन-कौन सी कंपनी/विक्रेता से कौन-कौन सी दवाइयां, कितनी राशि की खरीदी गई? क्या कुछ दवाएं बिना टिन नंबर के विक्रेता/कंपनियों से खरीदी गई? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? तथा कितनी दवाईयाँ एक्सपायर होकर नष्ट की गई? दवाईयों के नामवार जानकारी दें। क्या उक्त अस्पतालों में तत्काल में भी कोई दवा क्रय की गई है? यदि हाँ, तो दवाओं के नाम तथा राशि की जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** हैं। **(ख)** विदिशा जिले में 2 शिकायते प्राप्त हुई है, प्रथम शिकायत में (डॉ. के.एस. अहिरवार, श्री आशुतोष घुटे एवं श्री मयंक नाहर) जाँच दल के द्वारा खरीदी मद में दोषी पायें जाने पर संबंधित तत्कालीन फार्मासिस्ट के विरूद्ध निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में है। द्वितीय शिकायत में (डॉ. एम.के.जैन, डॉ. राकेश सक्सेना) जाँच दल के द्वारा खरीदी मद में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन स्टोर कीपर को स्टोर के प्रभार से हटा दिया गया है तथा शेष जाँच की कार्यवाही प्रचलन में हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** हैं। कोई भी दवाईयाँ बिना टिन नम्बर के कंपनी/विक्रेता से नहीं खरीदी गई। विदिशा जिले में कोई भी दवाई एक्सपायर नहीं हुई है एवं तत्काल में कोई भी दवाई क्रय नही की गई है।

<u>शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन</u>

[सामान्य प्रशासन]

130. परि.अता.प्र.सं. 99 (क्र. 3789) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश शासन के समस्त विभागों को जारी विभागीय पत्र क्रमांक सी-5/2009/3/एक दिनांक 11 जनवरी, 2010 द्वारा नागरिकों को जनहित की योजनाओं और कार्यक्रमों की पूरी जानकारी होने और उसका लाभ मिलने के उद्देश्य से प्रत्येक अधिकारी के लिए चार्टर ऑफ एकाउंटेबिलिटी बनाने के निर्देश देते हुए चार्टर का

प्रारूप भी जारी किया गया था? **(ख)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत यदि हाँ तो क्या कटनी जिले में इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ तो चार्टर प्रारूप अनुसार किस-किस विभाग द्वारा किस तरह से, (वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक का) विवरण प्रदान करें। यदि नहीं तो आदेश का पालन न होने का कारण बताएं। **(ग)** क्या इस आदेश की परीधी में नगरीय निकाय भी आते हैं, यदि हाँ तो कटनी जिले के नगरीय निकायों का प्रश्नांश (ख) अनुसार विवरण प्रदान करें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(ग)** जी हाँ। विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** पर है।

<u>जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही</u>

[सामान्य प्रशासन]

131. परि.अता.प्र.सं. 103 (क्र. 3813) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही एवं जवाब देने के लिये शासन के क्या दिशा-निर्देश है? उक्त दिशा-निर्देशों के पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** पत्र क्र.N/2569 दिनांक 27.02.2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यालय कलेक्टर जिला सागर की जारी किये गये पत्र को लेकर क्या कार्यवाही की गई एवं पत्र के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित जनप्रतिनिधि को अवगत कराया गया अथवा नहीं यदि अवगत कराया गया है तो उक्त पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावे यदि अवगत नहीं कराया गया है तो क्यों? **(ग)** जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही न करने व उनके जवाब नहीं देने के लिये जिम्मेदार कौन है? **(घ)** क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये पत्रों के संबंध में शासन द्वारा समीक्षा की जायेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नकर्ता माननीय विधायक के पत्र क्रमांक N/2569 दिनांक 27/02/2019 से कार्यालय कलेक्टर जिला सागर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1518/वि.लि.1/2019 दिनांक 18/02/2019 से नरयावली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत समस्त विभागों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पूर्व मंत्री म.प्र. शासन एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सागर के पत्र (जो कि वस्तुत: माननीय प्रभारी मंत्री जिला सागर की ओर से उनके सागर प्रवास के दौरान प्राप्त हूआ था।) के संदर्भ में समस्त विभागों से मांगने एवं उपलब्ध कराने पर आपत्ति व्यक्त करते हूए उक्त जानकारी को दिये जाने से रोकने की मांग की थी। यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि चाही गई जानकारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है, कार्यालय कलेक्टर सागर के पत्र क्रमांक 1278/वि.लि.1/2019 दिनांक 02.03.2019 द्वारा इसकी सूचना, जानकारी चाहने वाले श्री सुरेन्द्र चौधरी, पूर्व मंत्री मध्यप्रदेश शासन एवं कार्यकारी प्रदेश

अध्यक्ष म.प्र. कांग्रेस कमेटी भोपाल को देते हुए समस्त जिला प्रमुख जिला सागर को सूचित किया गया। कार्यालयीन त्रुटिवश, की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को अवगत नहीं कराया जा सका। संबंधित पत्रों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। **(ग)** त्रुटिकर्ता कर्मचारी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। **(घ)** सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर सभी संबंधितों द्वारा समीक्षा की जाती है।

गरीबी रेखा सूची में नाम दर्ज होने की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

132. अता.प्र.सं.157 (क्र. 3818) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले में माह दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के नाम गरीबी रेखा सूची में दर्ज किये गये एवं कितने परिवारों ने इस हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किये? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलवार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित ऐसे कितने परिवार हैं, जिनके केवल मुखिया का नाम से/एक नाम से गरीबी रेखा सूची में नाम दर्ज किया गया है? शेष सदस्यों के नाम दर्ज क्यों नहीं किये गये, जबकि समग्र आई.डी. में परिवार के अन्य सदस्य भी सम्मिलित थे? **(ग)** यदि केवल मुखिया के नाम से कार्ड जारी किया गया है, क्या उस परिवार के शेष सदस्यों को शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है? जानकारी देवें। **(घ)** यदि मुखिया के नाम से गरीबी रेखा की सूची में दर्ज किया गया है।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **]** **(क)** कुल 923 परिवार के नाम गरीबी रेखा सूची में दर्ज किये गये एवं 3109 परिवारों ने इस हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किये। तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित 41 परिवार हैं जिन्हें केवल मुखिया के नाम से/एक नाम से गरीबी रेखा सूची में गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु बी.पी.एल. सूची में दर्ज किया गया है। **(ग)** जी हाँ। मुखिया का नाम गरीबी रेखा सूची में जोड़ा जाना केवल गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु स्वीकार किया गया है। परिवार के अन्य सदस्य गरीबी रेखा की सूची में शामिल नहीं हैं। **(घ)** जी हाँ।

संविदा कर्मचारियों का स्थाई कर्मचारियों के समतुल्य वेतन का लाभ दिया जाना

[सामान्य प्रशासन]

133. अता.प्र.सं.132 (क्र. 3820) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या संविदा कर्मचारियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक सी 15/2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 5 जून, 2018 को नीति बनाई गई है? **(ख)** प्रश्न (क) में क्या संविदा कर्मचारियों को बनाई गई नीति में संविदा कर्मचारियों को स्थाई

कर्मचारियों के वेतन के 90 प्रतिशत समतुल्य वेतन देने हेतु निर्देश है? यदि हाँ, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ संविदा कर्मचारियों को उक्त नीति अनुरूप मानदेय आदि का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? **(ग)** यदि हाँ, तो कब तक इन कर्मचारियों को नीति अनुसार वेतन भत्तों का लाभ दिया जाने लगेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। शेषांश भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार। **]** **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मोगिया समाज को जाति प्रमाण-पत्र का प्रदाय

[सामान्य प्रशासन]

134. परि.अता.प्र.सं. 108 (क्र. 3854) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले की बदनावर तहसील में मोगिया समाज को किस वर्ग में आरक्षण की पात्रता हैं? **(ख)** क्या शासकीय सेवाओं में भर्ती एवं लोक सभा तथा विधान सभा चुनाव लड़ने हेतु बदनावर तहसील, जिला धार का मोगिया समाज का व्यक्ति आ.ज.ज. वर्ग से पात्रता रखता है? यदि हाँ, तो किस वर्ष से? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। **]** **(क)** भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में सरल क्रमांक 16 पर गोंड के साथ मोगिया जाति सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित है। **(ख)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पत्रकारों को सुविधायें प्रदाय करना

[जनसंपर्क]

135. परि.अता.प्र.सं. 117 (क्र. 3911) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पूरे प्रदेश में कहाँ-कहाँ के जिलों में कौन-कौन से अधिमान्य पत्रकार हैं और उन्हें शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं? प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर के पत्रकारों को मुफ्त इलाज एवं अन्य कौन-कौन सी सुविधायें वर्तमान में दी जा रही हैं? क्या पत्रकारों को सुरक्षा देने हेतु कोई कानून बनाया गया है? अगर हाँ तो बतायें और नहीं तो कब तक शासन इस पर विचार करेगा? **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि तहसील स्तर के पत्रकारों को जिला मुख्यालय जाने हेतु बस पास या आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं? यदि हाँ तो कब तक यह सुविधा तहसील स्तर के पत्रकार को दे दी जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि पत्रकारों को क्या सम्मान निधि, बुजुर्ग पेंशन देने का नियम है तो कितना-कितना? क्या यह कम राशि नहीं है? अगर हाँ तो कब तक बुजुर्ग

पेंशन सम्मान निधि में वृद्धि कर दी जावेगी? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि इनको कहाँ-कहाँ आवास उपलब्ध कराये जो चुके है और किस-किसको मिलना शेष है? ऐसे पत्रकारों को आवास दिया जावेगा तो कब तक? यह भी बताये कि 11 दिसम्बर, 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के किस-किस जिले में किस पत्रकार पर कहाँ-कहाँ मारपीट एवं जानलेवा हमला हुआ है? मुल्जिम गिरफ्तार किये जावेंगे तो कब तक एवं कब तक सुरक्षा संबंधी कानून बना दिया जावेगा?

जनसंपर्क मंत्री (श्री कमल नाथ) : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। पत्रकारों को दुर्घटना समूह बीमा योजना, स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता, आवास/प्लॉट क्रय हेतु 5 प्रतिशत ब्याज, अनुदान, राज्यस्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटॉप क्रय करने हेतु राशि, वरिष्ठ पत्रकारों को श्रद्धानिधि की सुविधा दी जा रही है। पत्रकारों के मुफ्त इलाज की कोई योजना संचालित नहीं है, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रकिया प्रचलन में है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। 7000 रूपये प्रतिमाह राशि का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया गया है। जी हाँ। राशि रूपये 7000/रूपये प्रतिमाह है, जो शासन द्वारा पूर्व से निर्धारित है। वृद्धि की प्रकिया प्रचलन में है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। निर्धारित कोटे के तहत पत्रकारों को शासकीय आवास के आवंटन के संबंध में आवेदन पत्रों पर माननीय मंत्री जनसंपर्क की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। निर्धारित कोटे के तहत पत्रकारों को शासकीय आवास के आवंटन के संबंध में आवेदन पत्रों पर माननीय मंत्रीजी जनसंपर्क की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर प्रदेश में दिनांक 11-12-2018 से 02-07-2019 के बीच किसी भी अधिमान्य पत्रकार के साथ कोई मारपीट या जानलेवा हमले की घटना घटित नहीं हुई है। गैर अधिमान्य पत्रकारों से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

<u>कटनी में अंतरराज्यीय बस स्टाप की स्थापना</u>

[परिवहन]

136. अता.प्र.सं.110 (क्र. 3928) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी के माध्यम से मैहर रोड बायपास चौराहा, कटनी में अंतर्राज्यीय बस स्टाप/अड्डा की स्थापना हेतु भूमि आरक्षण की मांग की गयी थी और कलेक्टर कटनी द्वारा दिनांक- 24/05/2017 को पारित आदेश से शासकीय भूमि खसरा नंबर 146/1 में से 6.00 हेक्ट. भूमि अंतर्राज्यीय बस स्टाप/अड्डा हेतु आवंटित कर परिवहन विभाग को सौंपी गयी थी? **(ख)** क्या कटनी में

अंतर्राज्यीय बस स्टाप की स्थापना हेतु शासन एवं विभाग स्तर पर कोई कार्यवाही प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर किन कारणों से कब से लंबित हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) से (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या भौगोलिक स्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रख कटनी में अंतर्राज्यीय बस स्टाप/अड्डा की स्थापना हेतु समुचित कार्यवाही पूर्ण कर अंतर्राज्यीय बस स्टाप/अड्डा की शीघ्र स्थापना किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** कलेक्टर जिला कटनी मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 167/परिवहन/2019 दिनांक 05.08.2019 के अनुसार कटनी जिले में अन्तर्राज्यीय बस स्टॉप/अड्डा की स्थापना हेतु ग्राम पुरैनी, प.ह.न. 40 रा.नि.मं. मुडवारा-1 तहसील व जिला कटनी में ख.न. 146/3 रकवा 6.00 हे. भूमि मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग को आवंटित की गई है। **(ख)** एवं **(ग)** प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश शासन से पत्राचार किया जा रहा है। पी.आई.यू. द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन अनुसार बजट प्राप्त होने पर बस स्टॉप/अड्डा का कार्य प्रारंभ हो सकेगा।

गरीबी रेखा एवं राशन कार्डधारियों के राशन वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

137. परि.अता.प्र.सं. 99 (क्र. 3930) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कांग्रेस के वचन पत्र के विषय क्र. 8 में उल्लेखित है कि 1. गरीबी रेखा का सर्वे नये सिरे से करायेंगे। 2. गरीबी रेखा में उन लोगों के नाम नहीं काटे जायेंगे, जिनको आवास शौचालय की सुविधा प्राप्त हुई है। 3. घर की रसोई करेंगे सस्ती, ग्रहणियों को घर के बजट की चिंता से मुक्ति मिलेगी। 4. मध्यम वर्गीय एवं अन्य राशन कार्डधारियों को प्रति व्यक्ति 06 किलो गेहूँ/चावल तथा अन्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे तो बिन्दु 01 अनुसार क्या गरीबी रेखा का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो कब तक शुरू एवं सर्वे का आधार क्या होगा तथा वचनपत्र में बिन्दु क्र. 03 के अनुसार घर की रसोई सस्ती करने हेतु क्या कदम उठाने जा रहे हैं। **(ख)** प्रश्नांश (क) में बिन्दु क्र. 04 के अनुसार क्या मध्यम वर्गीय एवं अन्य राशन कार्डधारियों को प्रति व्यक्ति 06 किलो गेहूँ/चावल तथा अन्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे क्या इन राशन कार्डधारियो को गेहूँ/चावल उपलब्ध कराये जा रहे हैं यदि नहीं तो कब से शुरू कराये जायेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) : [(क) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का नए सिरे से सर्वे के कार्य एवं उसके आधार के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जानकारी संकलित की जा रही है। घर की रसोई सस्ती करने एवं गृहणियों को घर के बजट की चिंता से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 2019 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 117 लाख परिवारों को प्रतिमाह 1 किलोग्राम प्रति सदस्य एवं अधिकतम 4

किलोग्राम प्रति परिवार के मान से चना दाल रू. 27 एवं मसूर दाल रू. 24 प्रति किलोग्राम की दर से वितरण प्रारम्भ किया गया है। साथ ही, अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को माह मार्च, 2019 से 1 किलोग्राम प्रति परिवार रू. 20 प्रति किलोग्राम शक्कर का वितरण प्रारम्भ किया गया है। पात्रता पर्चीधारियों को मात्रा 5 किलो प्रति सदस्य से बढ़ाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। **(ख)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं बी.पी.एल. श्रेणी के परिवारों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विभिन्न विभागों में पंजीकृत 25 श्रेणी के गरीब परिवारों को पात्रता श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए कुल 5.46 करोड़ आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2019 की अनुमानित आबादी के 75% हितग्राहियों हेतु खाद्यान्न आवंटन जारी करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। **] (क)** गरीबी रेखा में नाम जोड़ने एवं काटे जाने की सतत् प्रक्रिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 5618 दिनांक 06.06.2019 द्वारा समस्त कलेक्टर्स एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का परिपत्र 19 क्रमांक 3830 दिनांक 14.03.2006 एवं परिपत्र 22 क्रमांक 14325 दिनांक 24.09.2011 में दी गई प्रक्रिया अनुसार सर्वे कराये जाने के निर्देश जारी किये गये है। घर की रसोई सस्ती करने एवं गृहणियों को घर के बजट की चिंता से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 2019 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 117 लाख परिवारों को प्रतिमाह 1 किलोग्राम प्रति सदस्य एवं अधिकतम 4 किलोग्राम प्रति परिवार के मान से चना रू. 27 एवं मसूर रू. 24 प्रति किलोग्राम की दर से वितरण प्रारम्भ किया गया है। साथ ही, अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को माह मार्च, 2019 से 1 किलोग्राम प्रति परिवार रू. 20 प्रति किलोग्राम शक्कर का वितरण प्रारम्भ किया गया है। **(ख)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं बी.पी.एल. श्रेणी के परिवारों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विभिन्न विभागों में पंजीकृत 25 श्रेणी के गरीब परिवारों को पात्रता श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए कुल 5.46 करोड़ आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें अभी 5 किलोग्राम प्रति परिवार वितरण किया जा रहा है। वचन पत्र में बी.पी.एल. कार्डधारियों को 6 किलो प्रति युनिट अनाज देने का उल्लेख है। वर्ष 2018 की अनुमानित आबादी के 75% हितग्राहियों हेतु खाद्यान्न आवंटन जारी करने हेतु भी भारत सरकार को लिखा गया है।

<u>निर्माण कार्यों की जानकारी</u>

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

138. परि.अता.प्र.सं. 121 (क्र. 4008) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संभाग भिण्ड द्वारा प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अटेर में वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों

में नवीन हैण्डपंपों का खनन विभिन्न योजनाओं के तहत किये गये हैं, या किये जा रहे हैं? यह कार्य किस ग्राम के किस स्थान पर किया गया है? हैण्डपंप की लागत, हैण्डपंप का खनन सफल या असफल हुआ? हैण्डपंप का फाउण्डेशन तैयार किया या नहीं? कार्य की वर्तमान स्थिति पूर्ण एवं अपूर्ण आदि की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने कार्य प्रस्तावित किये गये हैं जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है? इन कार्यों की सूची कार्य का नाम, स्वीकृति हेतु भेजने को लागत लाभान्वित ग्रामों के नाम वर्तमान में उक्त प्रस्ताव किस अधिकारी के पास लंबित है, की जानकारी उपलब्ध करावें। प्रस्ताव कार्यों की स्वीकृति कब जारी की जा रही है? यदि नहीं, तो लंबित रहने का कारण बतावें। **(ग)** 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अनियमितताओं एवं फर्जी तथा बिना कार्य कराये भुगतान करने की कितनी शिकायतें की गई उन शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा जांच उपरांत दोषी पाये किन अधिकारी/कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के तारतम्य में यदि शिकायतों की जांच नहीं कराई गई है तो क्यों? कब तक जांच कराई जावेगी?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री सुखदेव पांसे) : [(क) जी हाँ। शेष जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार** है। **(ख)** कोई भी नहीं। शेष प्रश्नांश ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। **] (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** है। **(ख)** कोई भी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है। **(घ)** जाँच की जा रही है। समय बताया जाना संभव नहीं है।

मेडिकल हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर

[चिकित्सा शिक्षा]

139. अता.प्र.सं.132 (क्र. 4024) श्री कमल पटेल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. की कौन-कौन सी मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों में कितने डॉक्टरों, प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों सहित अन्य कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कौन-कौन से पद भरे तथा कितने कौन-कौन से पद खाली है? कब से खाली है? **(ख)** उपरोक्त खाली पदों पर कब तक भर्ती की जाएगी? **(ग)** किस-किस मेडिकल हॉस्पिटल में कितने चिकित्सकों सहित अन्य कौन-कौन से कर्मचारियों के विरूद्ध कौन-कौन से प्रकरण चल रहे हैं? कौन-कौन दोषी पाए गए? **(घ)** क्या दोषी पाए गए चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ जवाबदार पदों पर पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन एवं क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेवार है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। प्रकरण विचाराधीन है। **(घ)** जी नहीं।

इंदौर, उज्जैन जिले में स्कूल/बसों की जानकारी

[परिवहन]

140. अता.प्र.सं.135 (क्र. 4033) श्री सुनील सराफ : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर, उज्जैन जिले में कितनी स्कूल बसें संचालित हैं? **(ख)** इन बसों में जी.पी.एस. एवं अन्य सुरक्षा उपकरण स्थापित होने की जाँच विभागीय अधिकारियों ने कब-कब की दिनांक 01.01.18 से 31.05.19 के संदर्भ में जिलावार, दिनांकवार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्न (ख) अवधि में बस संचालकों द्वारा जमा टैक्स राशि माहवार, बस क्रमांक सहित देवें। स्कूल एवं निजी/अनुबंधित स्कूल बसों की जानकारी पृथक-पृथक जिलावार देवें। **(घ)** उपरोक्त अवधि में हुई स्कूल बस दुर्घटनाओं की जानकारी भी जिलावार देवें।

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही** है। **] (क)** 1- इंदौर जिले में 3065 स्कूल बसें संचालित है । 2- उज्जैन जिले में कुल 1288 स्कूल बसें संचालित है । **(ख)** एवं **(ग)** विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में की गई कार्यवाही एवं बस संचालकों द्वारा जमा किये गये टैक्स एवं निजी अनुबंधित बसों द्वारा जमा कियो गये टैक्स की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार** है । **(घ)** प्रश्नांश (ख) में दर्शित अवधि दिनांक 01-01-2018 से 31-05-2019 की अवधि में हुई स्कूल बस दुर्घटना की पुलिस अधीक्षक इंदौर/उज्जैन द्वारा दी गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है ।

तात्याटोपे खेल स्टेडियम की जानकारी

[खेल और युवा कल्याण]

141. अता.प्र.सं.95 (क्र. 4134) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित तात्याटोपे खेल स्टेडियम में दिनांक 01/01/2014 से प्रश्न-दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण एवं मरम्मत कार्य किस ठेकेदार एवं फर्म-कंपनी से कराया गया तथा इस हेतु प्राप्त की गई प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की जानकारी उपलब्ध करावें। तथा उक्त अवधि में क्रय की गई खेल-सामग्री एवं उपकरणों की जानकारी देवें। उक्त अवधि में प्राप्त समस्त ऑडिट आपत्तियों का विवरण भी उपलब्ध कराए। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्टेडियम में कौन-कौन से निजी संस्थानों से एमओयू कर कौन-कौन से पाठ्यक्रम एवं खेल संचालित किए जा रहे हैं। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्टेडियम में किस खेल की फीस एवं आम नागरिकों से ट्रैक

पर दौड़ने एवं स्टेडियम में प्रवेश हेतु कितना शुल्क प्रतिमाह या वर्षवार निर्धारित किया गया है? पिछले पांच वर्षों में स्टेडियम में खेल के नाम पर एवं आम नागरिकों से किस नियम के अंतर्गत क्या-क्या शुल्क लिए जा रहे हैं तथा कितना शुल्क प्राप्त किया गया **(घ)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्टेडियम में उक्तावधि में हुए घोटाले एवं ऑडिट आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराएंगे और स्टेडियम में आम युवा, नागरिक व खिलाड़ियों को निशुल्क-प्रवेश देने के संबंध में आदेश जारी करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं।

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** तात्याटोपे खेल स्टेडियम में 01/01/2014 से निर्माण मरम्मत, फर्म, कंपनी, प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र 'अ' अनुसार** है। उक्त अवधि में क्रय की गई खेल सामग्री व उपकरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र 'ब' अनुसार** है। उक्त अवधि में तात्याटोपे खेल स्टेडियम की कोई भी आडिट आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** स्टेडियम में युवाओ के लिये 02 रोजगारोन्मुखी पाठयक्रम का संचालन निजी संस्थाओं से एम.ओ.यू. कर किया जा रहा है। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र 'स' अनुसार** है। स्टेडियम में खेल संचालन हेतु किसी भी निजी संस्थान से एम.ओ.यू. नहीं किया गया है। **(ग)** स्टेडियम की समस्त खेल गतिविधियो का शुल्क प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र 'द' अनुसार** है। खिलाड़ी प्रशिक्षक कल्याण समिति की वार्षिक बैठक में समिति सदस्यो द्वारा निर्णय लिया जा कर शुल्क लिया जाता है। स्टेडियम में संचालित समस्त खेलो की शुल्क सूची एवं 05 वर्षों में खेलो से प्राप्त राशि का विवरण पत्रक वर्षवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र 'ई' अनुसार** है। स्टेडियम में ट्रेक में दौड़ने का शुल्क 300/- (आयु 18 वर्ष तक) एवं 500/- आयु 18 वर्ष से अधिक) प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। **(घ)** जी नहीं प्रश्नोत्तर-क के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं विभाग का स्टेडियम में आने वाले आम युवा नागरिकों से शुल्क प्राप्त करने का उद्देशय राशि अर्जित करना नहीं है बल्कि स्टेडियम आ रहें प्रत्येक व्यक्ति का पंजीयन व पहचान करना मात्र है।

<u>रेत के अवैध उत्खनन से उत्पन्न स्थिति</u>

[खनिज साधन]

142. परि.अता.प्र.सं. 130 (क्र. 4197) श्री प्रवीण पाठक : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01.01.2014 से 01.01.2019 तक वर्षवार प्रदेश में अवैध उत्खनन के कितने मामले जिलेवार सामने आये? रेत सहित अन्य सभी खनिजों के मामले वर्षवार जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें? **(ख)** उक्त अवधि में खनिज या रेत माफियाओं या अवैध उत्खनन के अपराधियों द्वारा पुलिस, खनिज या जिला प्रशासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों पर हमले की कितनी घटनाएं हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** नर्मदा

नदी में अवैध रेत उत्खनन की उक्त अवधि में कितनी शिकायतें किनके विरूद्ध थी और उन पर क्या कार्यवाही की गई? होशंगाबाद, देवास व अन्य जिलों की जिलेवार जानकारी दें?

खनिज साधन मंत्री (श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल) : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** 01.01.2014 से 01.01.2019 तक वर्षवार प्रदेश में अवैध उत्खनन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** दर्शित है। **(ख)** प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** दर्शित है। **(ग)** नर्मदा नदी में अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें/कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर** दर्शित है।

उज्जैन जिले में खेल सामग्री का वितरण

[खेल और युवा कल्याण]

143. अता.प्र.सं.116 (क्र. 4204) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01.01.15 से 31.01.19 तक उज्जैन जिले में विभाग द्वारा कितनी सामग्री कहाँ-कहाँ वितरित की गई? सामग्री लिस्ट, दिनांक सहित विधानसभावार, वर्षवार देवें। सामग्री प्राप्तकर्ता सूची, सामग्री नाम सहित साथ में देवें। **(ख)** क्या कारण है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सामग्री बहुतायत में दी एवं कुछ में अल्प मात्रा में दी? **(ग)** प्रश्नांश (क) अवधि अनुसार दिए गए अनुदान की जानकारी भी देवें।

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** दिनांक 01/01/2015 से 30/01/2019 तक उज्जैन जिले में दी गई सामग्री कहाँ-कहाँ वितरित की गई। स्थान व वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। विधानसभावार सामग्री प्रदान नहीं की जाती है। **(ख)** विभाग द्वारा विधानसभावार सामग्री नहीं दी जाती है। मांग व प्रचलित खेल को दृष्टिगत रखते हुए सामग्री प्रदाय की जाती है। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार दिये गये अनुदान की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

महाविद्यालयों की ऑडिट

[उच्च शिक्षा]

144. परि.अता.प्र.सं. 123 (क्र. 4210) श्री सुनील सराफ : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी, अनूपपुर, शहडोल जिले के समस्त शासकीय महाविद्यालयों की वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 के आडिट का विवरण जिलेवार महाविद्यालयवार, वर्षवार देवें। **(ख)** उपरोक्त जिलों में उक्त अवधि में हुए समस्त क्रय एवं निर्माण कार्यों तथा प्रयोगशाला उन्नयन कार्यों पर किए गए की जानकारी भी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार यदि आडिट नहीं कराया तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। इन पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** बड़वानी, अनूपपुर एवं शहडोल जिले के समस्त शासकीय महाविद्यालयों की वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 का वर्षवार एवं जिलेवार ऑडिट विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। **(ख)** उपरोक्त जिलों में उक्त अवधि में हुये क्रय, प्रयोगशाला उन्नयन एवं निर्माण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द', 'ई' एवं 'उ' अनुसार** है। **(ग)** उपरोक्त जिलों में जिन महाविद्यालयों का ऑडिट नहीं हुआ है, उनका ऑडिट कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

उपसंचालक पद पर प्रभारी के रूप में पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

145. अता.प्र.सं.161 (क्र. 4290) श्री पारस चन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दि. 30.06.19 की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग में कितने उपसंचालक और सहायक संचालक कार्यरत हैं? किस-किस जिला कार्यालय में कौन-कौन उपसंचालक और सहायक संचालक पदस्थ हैं? **(ख)** क्या अधिकांश जिलों में उपसंचालक और सहायक संचालकों के पद पर प्रभारी कार्यरत हैं? यदि हाँ तो जिलेवार नाम बतावें। **(ग)** क्या वर्ष 2016 में एक दो को छोड़कर सभी जिला कार्यालयों में उपसंचालक पद के अधिकारी पदस्थ थे? यदि हाँ तो क्या कारण है कि प्रभारियों को पदस्थ करना पडा। **(घ)** क्या डी.पी.सी. के पद पर सहायक संचालकों को पदस्थ करना था? इसके लिए चयन भी किया था? फिर क्यों दि. 30.06.19 तक उनकी पदस्थी सभी जिलों में नहीं हुई।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रभुराम चौधरी) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** 86 उप संचालक एवं 37 सहायक संचालक कार्यरत है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार**। **(ख)** जी नहीं। कतिपय जिलों में कार्य सुविधा की दृष्टि से उप संचालक- सहायक संचालक/प्राचार्य उमावि संवर्ग के अधिकारियों को प्रभारी के रूप में कार्य सौंपा गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार**। **(ग)** जी हाँ। स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति एवं वैधानिक कारणों से पदोन्नति प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं होने से प्रशासकीय कार्यों के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालिक रूप से अन्य अधिकारियों को प्रभार दिया जाता रहा है। **(घ)** जी हाँ। चयन प्रक्रिया के दौरान पात्र सहायक संचालकों की पदस्थापना की गई है। वर्तमान में वैधानिक कारणों से पदोन्नति प्रक्रिया बाधित होने के कारण पदस्थापना की कार्यवाही नही हो सकी है।

वन ग्रामों की भूमियों को राजस्व भूमि मानने वालों पर कार्यवाही

[वन]

146. परि.अता.प्र.सं. 24 (क्र. 4329) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला अभिलेखागार खरगौन एवं तहसील अभिलेखागार बड़वाह में वनमण्डल में आने वाले 9 वन ग्रामों में से किस वन ग्राम की किस-किस वर्ष की नामान्तरण पंजी

उपलब्ध है। उसमें क्रेता का नाम किस दिनांक को संशोधित करने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया जाना है। **(ख)** किस वन ग्राम के अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखागारों में कितने किसानों के नाम भूस्वामी हक पर कितनी भूमि दर्ज है? वन ग्राम नियम 1977 के अनुसार पट्टे पर कितने पट्टाधिकारियों को वितरित भूमि का ब्यौरा उपलब्ध अभिलेखों में दर्ज है। इनमें कितने किसानों को नायब तहसीलदार ने भू-अधिकार एवं पुस्तिका प्रदान की है। **(ग)** क्या वन ग्रामों की भमि राजस्व अभिलेखों में भूस्वामी हक पर दर्ज किए जाने क्रेता का नाम संशोधित किए जाने एवं किसानों के अनुसार राजस्व भूमि मानकर की गई है। **(घ)** वन ग्रामों की भूमियों को राजस्व भूमि मानकर कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है, कब तक करेगा।

वन मंत्री (श्री उमंग सिंघार): [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** जिला अभिलेखागार खरगौन के वनमण्डल, बड़वाह में आने वाले 09 वनग्रामों में से निम्नानुसार 04 वनग्रामों की नामान्तरण पंजी उपलब्ध है।

1. ग्राम कोठांवा-1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2003-04, 2004-05

2. ग्राम मोहिदा-1966 से 1969 तक, 1974 से 1975

3. ग्राम कुण्डी-1964, 2005-06, 2006-07, 2007-08

4. ग्राम नयापुरा-1974-75,

वर्ष 1966-67 में एक बिक्री नामान्तरण तहसीलदार, बडवाह द्वारा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1974-75 में तहसीलदार, बडवाह के दो नामान्तरण राजस्व निरीक्षक, बडवाह द्वारा स्वीकृत किया गया है। **(ख)** वनमण्डल, बड़वाह के 09 वनग्रामों के संबंध में जिला अभिलेखागार खरगौन एवं तहसील अभिलेखागार बड़वाह में उपलब्ध अभिलेखों में किसानों के नाम की भूमि स्वामी हक पर दर्ज भूमि का विवरण **संलग्न परिशिष्ट पर** है। वनग्राम नियम-1977 के अनुसार वितरित पट्टेधारियों का ब्यौरा तहसील अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। इनमें से किसी भी किसान को नायब तहसीलदार ने भू-अधिकार एवं पुस्तिका प्रदान नहीं की है। **(ग)** वनमण्डल, बड़वाह के 09 वनग्रामों की भूमि का कोई हक नामान्तरण पंजी में दर्ज नहीं है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** दोषी अधिकारियों की पहचान कर एक माह में कार्यवाही की जायेगी।

<u>परिशिष्ट - ''चौबीस''</u>